खण्ड-107, अंक-1
सोमवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(25 अगस्त, 1952 ई0)

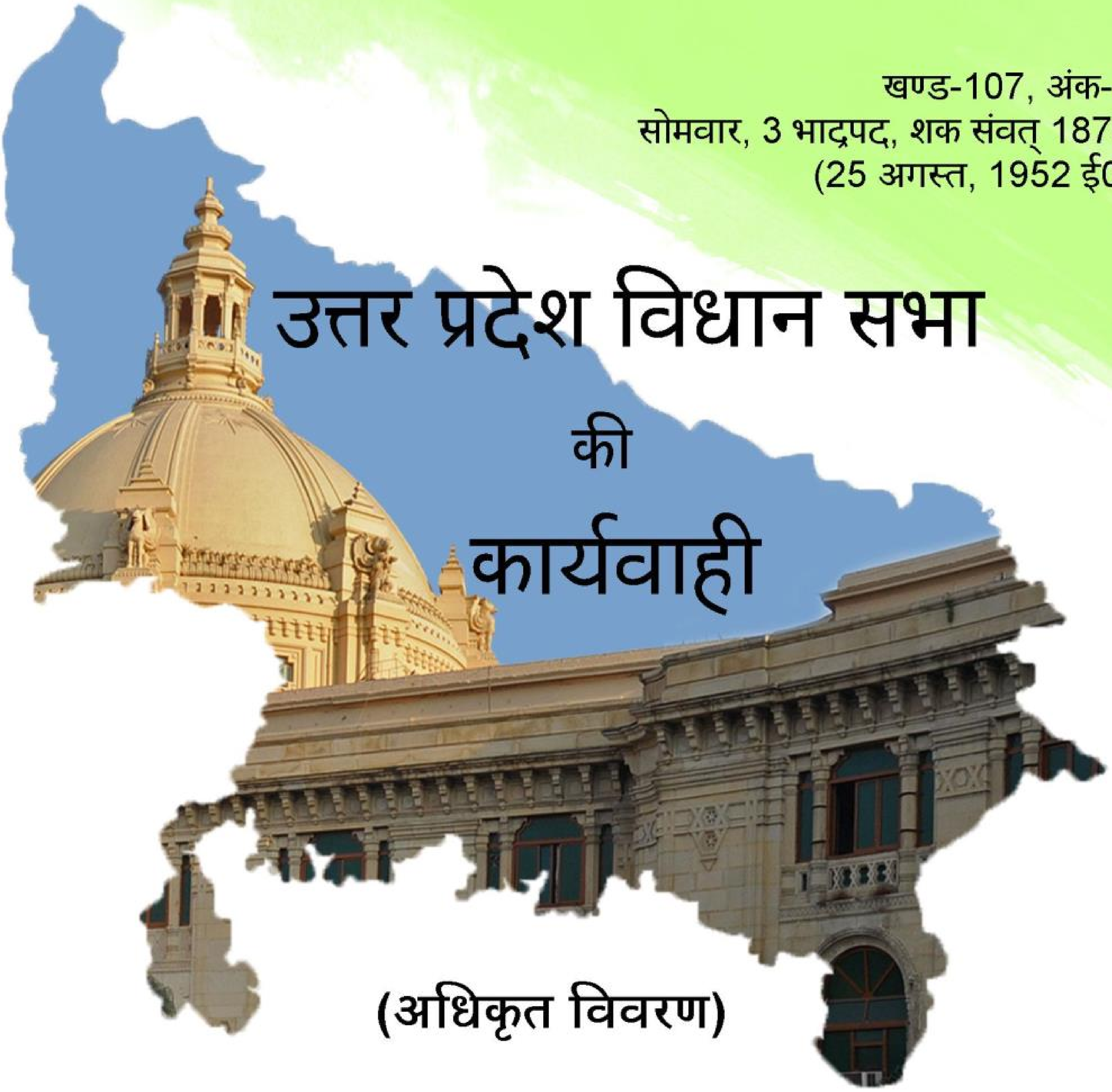

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 107 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131331

सोमवार, २५ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर, की अध्यक्षता में हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री.
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम धार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
राम वचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह,श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल, सिंह श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हर गोबिन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—२—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १७ पर]

गंगातीरी फ़ार्म की भूमि तथा उपज

*३—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गंगातीरी फार्म में गत वर्ष कितना गल्ला पैदा हुआ और कितनी जमीन सरकारी जोत में थी ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—२,११२ मन ४ सेर ८ छटांक अन्न पैदा हुआ और ४८७ एकड़ भूमि पर खेती की गयी थी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ४८७ एकड़ भूमि में भी २४.११२ मन ही गल्ला कैसे पैदा हुआ जबकि सरकारी आंकड़ों में प्रति एकड़ १० मन गल्ला बताया जाता है ?

श्री चरण सिंह—वहां चारा ज्यादा बोया जाता है और अन्न कम बोया जाता है। इसलिये अन्न का औसत कम बैठता है।

श्री राजनारायण—कितने एकड़ भूमि पर चारा और कितने पर अनाज बोया जाता है ?

श्री चरण सिंह—यह ब्रेकअप (पृथक-पृथक हिसाब) तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कितना हरा और कितना सूखा चारा हुआ, यह मैं बता सकता हूं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितना चारा हुआ ?

श्री चरण सिंह—सूखा चारा १८,२८५ मन और हरा चारा २७,४९० मन हुआ।

*४—श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि गंगातीरी फ़ार्म में पड़े शहंशाहपुर तथा उसके आस-पास के किसानों को जो जमीनें छोड़ दी गयी हैं उन पर किसान खेती करते हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*५—[illegible]रायण—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि यदि किसान खेती नहीं करते हैं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न तो उठता ही नहीं।

बिजनौर जिले में रोडवेज की प्रादेशिक समिति

*६—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में रोडवेज की कोई रीजनल कमेटी कायम की गयी है ? यदि की गयी है, तो उसके कौन-कौन से सदस्य हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी नहीं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गतवर्ष यह विश्वास दिलाये जाने के बाद कि हर रीजनल क्षेत्र में एक रीजनल इंक्वायरी कमेटी कायम की जायगी फिर बिजनौर में क्यों ऐसी कमेटी कायम नहीं की गई ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—बिजनौर एक रीजनल क्षेत्र नहीं है, इसलिये वहां कोई कमेटी कायम नहीं की गई।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन में क्या कोई कमेटी कायम की गई है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन में रोडवेज की कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

रोडवेज़ की बसों से दुर्घटनाएं

*७—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में रोड़वेज की बसों के द्वारा अब तक कुल कितने एक्सीडेंट्स हुये और इनके क्या कारण हैं तथा इन ऐक्सीडेंटों में सरकार को कितनी क्षति उठानी पड़ी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—२५ मई, सन् १९४७ से मार्च, १९५२ तक ५ वर्षों में छोटे-बड़े मिला कर १,००४ एक्सीडेंट हुये। इन एक्सीडेंटों के मुख्य कारण यह हैं :—

(क) गाड़ियों की मशीन तथा अन्य कल पुर्जों का यकायक खराब हो जाना।

(ख) ड्राइवरों का तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना।

(ग) रास्ते में पैदल चलने वालों अथवा गाड़ी चलाने वालों की गलती। इन एक्सीडेंटों से सरकार को जो क्षति उठानी पड़ी है उसका ब्यौरा इस प्रकार है।

(१) लखनऊ रीजन	...	११,१८१ रु० ६ आना
(२) कानपुर रीजन	...	३०,९८८ रु० १० आना २ पाई
(३) इलाहाबाद रीजन	...	२२,६४० रु० ५ आना १/२ पाई
(४) आगरा रीजन	...	४५,८११ रु० ९ आना ७ पाई

नैनीताल, बरेली, मेरठ और गोरखपुर रीजनों से इस प्रकार के आंकड़े अभी नहीं प्राप्त हो सके हैं, आवश्यक सूचना इकट्ठा की जा रही है, परन्तु इसमें कुछ और समय लगेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोड़वेज की बसों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण कारखानों से गाड़ियों का खराब हालत में मिलना है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवर लोग बसेज तेजी से न चलायें इसके नियंत्रण के लिये सरकार ने कोई स्कीम सोची है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसके लिये बहुत बड़ा नियंत्रण है। ग़लती साबित होने पर डिसमिस भी किया जाता है और दूसरी सजायें भी दी जाती हैं।

बिजनौर में रोडवेज़ के वर्कशाप तथा दफ्तर के लिये प्राप्त की गयी भूमि

*८—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बिजनौर में रोड़वेज़ के वर्कशाप तथा दफ्तर के लिये जो ज़मीन श्रीमती रानी फूलकुमारी साहिबा से ली गयी है उसका कितना रक़बा है और कितना रुपया उस भूमि की क़ीमत का अदा किया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—बिजनौर में रोडवेज़ के वर्कशाप तथा दफ्तर के लिये जो ज़मीन श्रीमती रानी फूलकुमारी साहिबा से ली गई है उसका रक़बा २.२१९ एकड़ है और इस ज़मीन का मुआवजा ४५,००० रुपया अदा किया गया है।

बहराइच कलेक्टरी में बिजली के पंखों का लगाया जाना

*९—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच ज़िला कचेहरियों के लिये सरकार ने दो साल से ज्यादा हुआ, जो बिजली के पंखे भेज दिये थे वह अब तक लगाये नहीं गये हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां। बिजली के पंखे अब तक नहीं लगाये गये क्योंकि कलेक्टरी बहराइच में अभी तक बिजली नहीं लगी है, कलेक्टरी में बिजली लगने का प्रबन्ध इस साल के बजट में कर दिया गया है और इस साल पंखे लग जायेंगे।

*१०–१२—श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—[८ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*१३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १८ पर]

जलालाबाद, ज़िला मुज़फ्फरनगर के, एक जमींदार घराने को राजकीय सहायता

*१४—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला मुज़फ्फरनगर के क़स्बे जलालाबाद में एक ज़मींदार घराने को हर साल २,६७५ रु० क्यों सरकारी कोष से दिये जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। ज़िला मुज़फ्फरनगर के कस्बे जलालाबाद में कोई ऐसा ज़मींदार घराना नहीं है जिसे सरकारी कोष से २,६७५ रु० वार्षिक दिया जाता हो।

श्री बलवन्त सिंह—क्या इससे कम या ज्यादा जलालाबाद में किसी को दिये जाते हैं ?

श्री चरण सिंह—जलालाबाद में कोई ऐसा घराना ही नहीं है कि जिसे ऐसी कोई रक़म दी जाती हो।

श्री बलवन्त सिंह—क्या जलालाबाद में अहसान अली खां, ज़हूर अली खां, वक्त-अली खां और सलाम अली खां वगैरह को सरकार से कोई रुपया दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह—मेरे पास जो ज़िलाधीश से इत्तला आई है उसमें यही है कि ऐसा कोई रुपया किसी को नहीं दिया जाता। मुमकिन है किसी और कोष से दिया जाता हो। अगर माननीय सदस्य उन लोगों के नाम मेरे पास भेज देंगे तो मैं ज़िलाधीश से पूछ लूंगा।

*१५-१७---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ्फरनगर)---[१ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

१९४९ से लेकर १९५१ तक मछलियों का आयात

*१८---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपा बतायेगी कि १९४९ से लेकर १९५१ तक किन बाह्य देशों या प्रदेशों से कितने लागत की मछलियां मंगायी गयीं ?

श्री चरण सिंह---मद्रास से ५१३ रुपया १२ आना और बंगाल से ७३३ रुपया १३ आना की लागत की मछलियां मंगाई गई। मछलियां विदेश से नहीं मंगाई गईं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन मछलियों से उत्पन्न कितनी मछलियां बाजार में बिकी हैं, और कितने की ?

अध्यक्ष---यह कब से कब तक के लिये पूछा जा रहा है ?

श्री गंगा प्रसाद सिंह---सन् १९४९ से १९५१ तक।

श्री चरण सिंह---मद्रास और बंगाल जहां से ये मछलियां मंगाई गई थीं वे मछलियों के बच्चे थे जो अब बड़े हो गये हैं। मद्रास से मंगाई हुई मछलियां अब बड़ी हो गई हैं इनका नाम मिरगकार है। इन्होंने प्रजनन कार्य शुरू कर दिया है और बंगाल से आई हुई मछलियों ने अभी ब्रीडिंग कार्य शुरू नहीं किया।

*१९---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सत्य है कि अधिकांश मछलियां जो अधिक लागत की थीं रास्ते में मर गयीं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, रास्ते में एक भी मछली नहीं मरी।

*२०---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये मछलियां किन-किन जिलों के किन-किन स्थानों के जलाशयों में पालने के लिये रखी गयी हैं ?

श्री चरण सिंह---मद्रास से लाई गई मछलियां भुवाली (जिला नैनीताल) हवालबाग और बैजनाथ (जिला अल्मोड़ा) तथा बंगाल से लाई गई भुवाली (नैनीताल जिला) के जलाशयों में पालने के लिये रक्खी गई हैं।

श्री रामदास---क्या माननीय माल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन जलाशयों में किन-किन किस्म की मछलियां पाली जाती हैं ?

श्री चरण सिंह---पहाड़ी इलाकों में सामान्य प्रकार की मछलियां जैसे रोहू, नैना, भाकुर आदि जो निचले मैदानों में पाई जाती हैं पहाड़ी प्रदेशों में नहीं हो पातीं। इस कारण से विशेषज्ञों के मतानुसार मिरगकार और महाशेर मछलियां, जो कि साढ़े तीन हजार से लेकर ६ हजार फ़ीट तक की ऊंचाई तक पाली जा सकती हैं इन प्रदेशों में पाली जा रही हैं। यह जाति शीघ्र बढ़ती हैं और अधिक प्रजनन भी करती हैं और आशा है कि इससे पहाड़ी प्रदेशों की मछली की खाद्य समस्या भी हल हो सकेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या जहां जलाशयों में मछलियां पालने के लिये रक्खी गयी हैं वहां कोई रिसर्च स्टेशन भी सरकार की तरफ से खोले गये हैं ?

श्री चरण सिंह-- हां, हमारे विभाग की तरफ से काफी काम हो रहा है। ट्रेनिंग का काम भी हो रहा है। अब रिसर्च का है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। रिसर्च का बड़ा सेंट्रल स्टेशन लखनऊ में ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पहाड़ में एक रिसर्च स्टेशन ऐसी जगह पर है जहां कोई जलाशय नहीं है ?

अध्यक्ष---आप नाम ले देते तो अच्छा रहता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--भवाली में।

श्री चरण सिंह---माननीय सदस्य को मैं झुठलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुमकिन है हो, लेकिन इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मद्रास और बंगाल से जो मछलियां आई हैं और अल्मोड़ा और नैनीताल के जिन जिन जलाशयों में वे रखी रखी गयी हैं, तो जहां से आई हैं और जिन जलाशयों में रखी गयी हैं दोनों के ऐटमासफ़ेयर यानी जल घनत्व में कोई समानता है और अनुकूलता है ?

श्री चरण सिंह--मद्रास से मछलियां आई हैं नीलगिरी पहाड़ से और बंगाल से आती हैं दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके से। जलवायु में दोनों में समानता है इसलिये वे वहां रखी गयी हैं।

गांव मांझा चहोरा, जिला बस्ती, के किसानों को आग लगने से हानि

*२१--**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा मांझा चहोरा, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के ४४ किसानों के घर तथा रबी की फ़सल आग लग जाने से इस वर्ष जल गयी है ?

श्री चरण सिंह--जी हां। ३१ मार्च, १९५२, को ग्राम सुखमा चौरा माझा चहोड़ा टप्पा नाऊ डान्ड में आग लगने से ४३ या ४४ घरों को क्षति पहुंची और कुछ लोगों की खलियान में रक्खी हुई फसल को भी नुक़सान पहुंचा।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मकान और फसल जल जाने के बाद उन किसानों के पास कौन सा साधन जीवन-निर्वाह का है ?

श्री चरण सिंह---खेती कर रहे हैं और आगे को भी खेती करेंगे। मकान जल जाने के मानी यह नहीं हैं कि घर का सामान जल गया हो या सारा मकान जल गया हो। अगर मकान का छप्पर जल गया तो यही कहा जायगा कि मकान जल गया और वह मकान में ही शुमार किया जाता है। जिलाधीश ने सुपरवाइजर कानूनगो को वहां भेजा था और सुपरवाइजर कानूनगो ने दरयाफ्त किया कि कौन-कौन तक़ावी लेने को तैयार है तो उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तकावी एक कर्जा है जो अदा करना पड़ेगा। उन्होंने तकावी लेने की कोई जरूरत महसूस नहीं की।

*२२---**श्री धनुषधारी पांडेय**---क्या यह सच है कि उपरोक्त मौजे के किसानों की दरख्वास्त तकावी तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए जिला अधिकारियों को दी गयी थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह---इन लोगों में से किसी ने भी तकावी या किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिये जिला अधिकारियों को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करेगी कि वहां के किसानों ने उस क्षत्र से सम्बन्धित सदस्य के द्वारा परगनाधीश के पास सहायता के लिये तथा तकावी के लिये दरख्वास्त दी थी तो उसके ऊपर जांच हुई और उसके उपरान्त वहां के अधिकारियों ने सहायता दी ?

श्री चरण सिंह---मुझको ऐसी बात मालूम नहीं है ।

गांव-सभाओं को बाजारों और घाटों से आय प्राप्त करने के अधिकार

*२३---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभाओं को वे कितने रुपये तक की आय वाले बाजारों और घाटों को सुपुर्द कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्रभुदयाल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस विचाराधीन प्रश्न का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चरण सिंह---मैं कोई तिथि नियत नहीं कर सकता । इरादा जल्दी से जल्दी तय करने का है ।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार के पास ऐसी भी रिपोर्ट आयी है कि जमींदारों के निजी बाजार पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं । ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी है बल्कि यह रिपोर्ट आयी है कि ऐसे बाजार और हाट सरकार न ले ले या गांव सभा के पास न चले जाय, उनको चारों तरफ से घेर लिया है ताकि यह कहा जा सके कि इमारत की तारीफ में वे आ गये हैं ।

*२४-२५---श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर)---[२२ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गए ।]

*२६---श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १८ पर ।]

*२७-२९---श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)---[४ सितम्बर, १९५२, के संख्या ४४-४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए ।]

*३०---श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १९ पर ।]

*३१---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १९ पर ।]

कानपुर क्षेत्र में रोडवेज के क्लीनरों को नगर भत्ता

*३२---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि कानपुर रीजन के क्लीनरों को सिटी भत्ता सन् १९४८-४९, १९४९-५०, में कितना दिया गया ? अगर नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सन् १९४८-४९ और १९४९-५० में कानपुर रीजन के क्लीनरों को कोई सिटी भत्ता नहीं दिया गया क्योंकि उस समय तक यह तय नहीं हो पाया था कि क्लीनरों को यह भत्ता कानपुर में मिल सकता है कि नहीं। अब यह मामला तय हो गया है और उन्हें यह भत्ता मिलता है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों को पिछले साल का भत्ता नहीं दिया गया उनको वह दिया जायगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है परन्तु मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि जब वे इसके मुस्तहक हो गये तो उनको मिलना चाहिये।

श्री उमाशंकर—यह भत्ता जो तय हुआ है किस दर से तय हुआ है, यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी सूचना की जरूरत है।

१९५१-५२ में कानपुर क्षेत्र में रोडवेज से सरकार को हानि तथा लाभ

*३३—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि कानपुर रीजन में सन् १९५१-५२ में कितना फ़ायदा या नुक़सान सरकार को हुआ? यदि घाटा हुआ तो क्या उसके कारण की जांच की गयी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—आर्थिक वर्ष १९५१-५२ का कानपुर रीजन का हिसाब किताब पूरा पूरा अभी नहीं हो पाया है लेकिन भय है कि करीब ४-५ लाख का घाटा हो सकता है।

*३४—श्री तेज बहादुर (जिला आज़मगढ़)—[२८ अगस्त, १९५२, के लिए संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्राम मलाव, जिला गोंडा के, श्री सालिग्राम पथिक का अनशन

*३५—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में स्थित मलाव ग्राम तथा उसके समीप के अन्य ज़मींदारों द्वारा काश्तकारों से खेत छीनने के विरोध में श्री सालिगराम पथिक ने अनशन किया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हुई?

श्री चरण सिंह—जी हां। श्री सालिगराम पथिक ने काश्तकारों और ज़मींदारों को शिकमियों की बेदख़ली से रोकने के लिये चार दिन का अनशन किया था। उस वक्त तक कोई शिकमी बेदख़ल नहीं हुआ था। पथिक जी को यह सन्देह था कि ज़मींदार और काश्तकार शिकमियों को बेदखल करना चाहते हैं। अनशन की वजह से किसी ने बेदखली नहीं की और साथ ही साथ तहसीलदार ने दौरा करके सब लोगों को अच्छी तरह बता दिया कि कानून के अनुसार बेदखली नहीं हो सकती। पुलिस भी इस इलाके में होशियार रही।

श्री रघुराज सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पथिक जी और जिलाधीश गोंडा के बीच शिकमी असामियों की स्थिति के सम्बन्ध में जो पत्र-व्यवहार हुआ उसमें जिलाधीश ने क्या उत्तर दिया?

श्री चरण सिंह---उनका जो पत्र-व्यवहार जिलाधीश से हुआ था उसका जिलाधीश ने क्या जवाब दिया, यह तो मुझको मालूम नहीं है। लेकिन पथिक जी का एक पत्र मेरे पास आया था और मैंने उनको लिख दिया कि शिकमी लोग बेदखल नहीं हो सकते। मालूम हुआ कि उस पत्र को छपवा कर वह लोगों में बांटने का इरादा रखते थे जिससे वहां के शिकमियों को तसल्ली हो गयी और फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

अलीगढ़ जिले के सिविल तथा कलेक्टरी कार्यालयों में हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थान पर नियुक्तियां

*३६---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, सन् १९४७ ई० से मार्च सन् १९५२ ई० तक अलीगढ़ जिले के सिविल और कलेक्टरी के कार्यालयों में सुरक्षित सीटों के आधार पर कितने हरिजनों को प्रत्येक विभाग में रक्खा गया है?

श्री चरण सिंह---अलीगढ़ जिले के सिविल कोर्ट के कार्यालयों में इस अवधि में सन् १९५१-५२ को छोड़ कर किसी हरिजन ने दरख्वास्त नहीं दी। सन् १९५१-५२ में क्लर्की की जगह पर १७ व्यक्ति लिये गये जिनमें २ हरिजन थे। जिलाधीश अलीगढ़ के कार्यालय में सन् १९४९-५० और १९५०५१ में एक एक हरिजन पेड अपरेन्टिस के पद पर रक्खे गये जो समय आने पर मुस्तकिल होंगे और किसी वर्ष में किसी हरिजन ने दरख्वास्त नहीं दी।

चपरासी आदि चतुर्थ श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों के पद पर इस अवधि में नियुक्त किये गये हरिजनों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :---

वर्ष	सिविल कोर्ट		कलेक्टरी	
	कुल भरती	हरिजन	कुल भरती	हरिजन
१९४७-४८	१४	३	१२	३
१९४८-४९	५	१	१५	दरख्वास्त नहीं आई
१९४९-५०	१२	२	१३	,,
१९५०-५१	८	१	१०	,,
१९५१-५२	१२	१	१७	१

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन विभागों की पूर्ति के लिये सरकार ने कोई विज्ञापन निकाला था?

श्री चरण सिंह---कोई विज्ञापन तो नहीं निकाला था। नियम यह है कि अगर एक साल जितनी जगहें उनके लिये रिजर्व की जाती हैं उतनी जगहों के लिये लोग न आयें तो अगले साल वे वैकेंसीज़ कैरी ओवर (रिक्तताएं कायम रखी) की जाती हैं।

श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)---क्या सरकार हरिजनों के सुरक्षित स्थानों को पूरा करने के लिये भविष्य में कोई विज्ञापन कराने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह—इस प्रश्न पर तो कोई विचार नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की पालिसी सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो विज्ञापन करने की वैसे भी ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। गवर्नमेंट का इरादा यह है कि जितनी जगहें उनके लिये रिज़र्व हैं कम से कम उतने नौजवान लिये जा सकें। लेकिन कठिनाई आमतौर पर यही रही है कि उम्मीदवार काफी तादाद में मिलते नहीं हैं।

जमींदारी विनाश अधिनियम लागू किये जाने पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि का दिया जाना

*३७—**श्री हरदयाल सिंह पिपल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जमींदारी विनाश के बाद भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही अमल में लायेगी ?

श्री चरण सिंह—सरकार ने पथरी के जंगल (जिला सहारनपुर) का कुछ हिस्सा (२५०० एकड़) और तराई और भाभर सरकारी एस्टेट के १२ वर्ग मील जंगल काटने का आदेश दे दिया है और उनमें से कुछ हिस्से पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाया जायगा।

जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा १८८ के अन्तर्गत गांव सभा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन दे सकेगी और धारा ३१२ के अन्तर्गत ऐसे मजदूर सहकारी फार्म के सदस्य हो सकेंगे।

बनारस में मोगलाबीर नाले की खुदाई

*३८—**श्री उमाशंकर**—क्या यह सच है कि बनारस में सरकारी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मोगलाबीर नामक नाला कई सालों से खुद रहा है ?

श्री चरण सिंह—कृषि इंजीनियरिंग विभाग के निरीक्षण में जनवरी, १९५०, से जून, १९५०, तक मोगलाबीर से निकले ३ मील लम्बे एक पुराने नाले पर केवल उसे गहरा करने का काम हुआ था। मिट्टी खोदने का कार्य ग्राम निवासियों द्वारा कराया गया और उन्हें जिला विकास संघ द्वारा वेतन दिया गया। था इस कार्य पर सरकारी व्यय का ठीक हिसाब इस समय प्राप्त नहीं है। इसके पश्चात् ड्रेनेज विभाग के निरीक्षण में मोगलाबीर नाले का सर्वे करा कर उसको सुचारुरूप से अधिक लाभकारी बनाने का कार्य नवम्बर सन् १९५० में आरम्भ हुआ। यह कार्य सन् १९५१ की वर्षा ऋतु तक समाप्त हो गया था और जो भूमि वर्षा ऋतु में जलग्रस्त रहती थी उसे जलग्रस्त होने से बचाया, जून, सन् १९५१ के पश्चात् तीन पुल रेगुलेटर सहित बनाये गये जो गाड़ियों के रास्ते पर हैं ताकि यात्रियों को सुविधा रहे और साथ ही आवश्यकतानुसार पानी भी रोका जा सके।

श्री उमाशंकर—जो जवाब दिया गया है उसमें लिखा है कि उनको कुछ दिया गया है। मैं पूछ रहा हूं कि मुफ्त में उन्होंने कितना काम किया है ?

श्री चरण सिंह—मैंने प्रश्न संख्या ३८ के जवाब में कह दिया है कि मिट्टी खुदवाने का काम ग्रामवासियों द्वारा कराया गया है।

अध्यक्ष—वह तो यह पूछना चाहते हैं कि बिना वेतन लिये हुये ग्रामवासियों ने कुछ काम किया या नहीं ?

श्री चरण सिंह—यही सूरत मालूम होती है कि मुफ्त में काम किया क्योंकि इसमें उनका जिक्र है कि ग्रामवासियों ने मिट्टी खोदने का काम किया। वैसे मजदूर तो गांव के लोग सभी थे। इससे तो यही जाहिर होता है कि उन्होंने मुफ्त में काम किया। माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो मैं तहकीकात करवा लूंगा।

श्री उमाशंकर---माननीय मंत्री जी का जवाब यह है कि मिट्टी खुदवाने का काम गांव वालों से कराया गया और उनको जिला विकास विभाग द्वारा वेतन दिया गया। मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या कुछ काम उन्होंने बिला वेतन के किया।

श्री चरण सिंह---मैं नहीं कह सकता।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को यह पता है कि बिला वेतन के कितना कार्य कराया गया है?

श्री चरण सिंह---यह तो मैंने कहा है कि मुझे मालूम नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राज नारायण---क्या सरकार को यह पता है कि तीन मील लम्बे नाले में से डेढ़ मील लम्बा नाला ग्रामवासियों ने खोदा है?

श्री चरण सिंह---जो इत्तिला मैंने अभी जवाबों में दी है इसक अतिरिक्त मुझे कुछ और मालूम नहीं है।

*३९---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नाले का जो हिस्सा इंजीनियरिंग विभाग के देख-रेख में पूर्णतः खोदा गया उस पर कितना खर्च हुआ?

श्री चरण सिंह---इस नाले को सुचारुरूप से लाभकारी बनाने में कुल ४९,४५३ रुपया खर्च हुआ।

*४०---श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि नाले की खुदायी पूर्ण हो चुकी है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरण सिंह---इस नाले पर सब काम समाप्त हो चुका है।

*४१-४२---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[२२ सितम्बर, १९५१, के लिये स्थगित किये गये।]

*४३---श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थिति)---[देखिये आगे पृष्ठ २० पर]

जाजीपुर जिले के परगना डहिया में तमसा नदी की बाढ़ से बचने के लिये योजना

*४४---श्री शिवपूजन राय (जिला ग़ाज़ीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तमसा (छोटी सरजू) नदी के पानी को जो नालों के जरिये फैलकर ग्राम गोसलपुर, परगना डहिया, जिला ग़ाज़ीपुर की फसलों को हर साल बरबाद कर देता है, रोकने के लिये सरकार कोई योजना काम में लाने वाली थी? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ?

श्री चरण सिंह---नहीं, छोटी सरजू के पानी को रोकने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४८-४९ में इन नालों की नाप की गई और किसके हुक्म से की गई?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि गोशलपुर बाढ़ एरिया में है?

श्री चरण सिंह—मैं नहीं कह सकता कि गोशलपुर इसी इलाके में है या नहीं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार इस नाले के जरिये से सिंचाई की योजना चलाने वाली है?

श्री चरण सिंह—सिंचाई की बहुत सी योजनायें हैं, लेकिन यह योजना सरजू से इस खास जगह पर है या नहीं यह मैं बिना नोटिस के नहीं बतला सकता।

आजमगढ़ में ए० पी० स्कीम तथा टेस्ट वर्क पर व्यय

*४५—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर यह बतालयेंगी कि आजमगढ़ में ए० पी० स्कीम तथा टेस्ट वर्क के अनुसार किन-किन कामों में अब तक कितना-कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री चरण सिंह—आजमगढ़ जिले में ए० पी० स्कीम के द्वारा अनाज वितरण करने में सरकार को अप्रैल, १९५१ से ३१ जुलाई, १९५२ तक क्रय मूल्य से कम मूल्य पर अनाज देने के कारण १७,५८,०३९ रु० ९ आना ९ पाई की हानि उठानी पड़ी तथा इस बीच में प्रबंध तथा निरीक्षण के लिये रक्खे गये कर्मचारियों के वेतन आदि पर १०,६०८ रु० ६ आना ६ पाई का व्यय हुआ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में १५ अगस्त, १९५२ ई०, तक टैस्ट वर्क्स में भिन्न-भिन्न कार्यों पर जो व्यय हुआ है उसका विवरण इस प्रकार है:—

सड़क बनाना	४०,००० रु०
बांध बांधना	२,०५१ रु०
तालाबों को गहरा करना	४७५ रु०
कुल व्यय	४२,५२६ रु०

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि १५ अगस्त, सन् १९५२ ई० तक कितने तालाब गहरे किये गये और वह कौन-कौन सी तहसील में हैं?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, तालाब की संख्या मैं इस वक्त नहीं बतला सकता।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या वह टैस्ट वर्क की तादाद बढ़ाना चाहती है?

श्री चरण सिंह—अभी एक सप्ताह पहले वहां की तादाद ३४ थी।

रायबरेली जिले में दैवी विपत्तियों से पीड़ित जनता को तकावी का दिया जाना

*४६—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)—क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि सन् १९५१-५२ ई० में रायबरेली में दैवी विपत्तियों से पीड़ित किसानों को कितनी तकावी दी गयी?

श्री चरण सिंह—रायबरेली में दैवी विपत्तियों से पीड़ित किसानों को १९५१—५२ में ३९,८१५ रुपया तकावी के रूप में दिया गया।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तकावी का वितरण किस सिद्धांत के अनुसार हुआ है?

श्री चरण सिंह—इस तकावी के वितरण का सिद्धांत अधिनियम १८९३ और १८८४ के मातहत बने हुये नियमों में बखाना गया है।

*४७—**श्री चन्द्रपाल बाजपेयी**—उक्त तकावी में सबसे अधिक तकावी किस को, किस प्रयोजन के हेतु दी गयी?

श्री चरण सिंह—उक्त तकावी में से सबसे अधिक तकावी ५०० रुपया श्री सुखब्रत सिंह, ग्राम पीठना, तहसील महाराजगंज, को चारा तथा बीज खरीदने के लिये दी गई।

रायबरेली जिले में जमींदारों द्वारा दिये गये पट्टों की तसदीक़

*४८—**श्री चन्द्रपाल वाजपेयी**—क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में जमींदारों द्वारा दिये जाने वाले पट्टों की सबसे ज्यादा तसदीक इस वर्ष किस महीने में और कितनी हुई है?

श्री चरण सिंह—रायबरेली जिले में जमींदारों द्वारा दिये गये पट्टों की सबसे ज्यादा तसदीकें मई, १९५२, में हुई हैं। इनकी संख्या १४३६ थी।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—क्या २० मई के बाद के पट्टे भी इसमें शामिल हैं?

श्री चरण सिंह—मई सन् १९५२ ई० तक १४३६ पट्टे हुये हैं।

अध्यक्ष—उसमें ३० मई भी शामिल है या नहीं वह यह पूछना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—अकेले मई में १,४३६ पट्टे हुये।

कुमायूं डिवीजन में चलमोड़ा घास से खेती को हानि

*४९—**श्री खुशीराम**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुमायूं डिवीजन के कई स्थानों में उदाहरणार्थ जिला नैनीताल के पूर्वी आगरा के मौजा सुनकिया दाड़िम, कोटोली के गेहना वगैरह में खेती को नुकसान पहुंचाने वाली एक चलमोड़ा घास पैदा हो गयी जिसकी उत्पत्ति के कारण खेत में कोई अनाज पैदा नहीं होता है?

श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार खेत को नुकसान पहुंचाने वाली चलमोड़ा घास की उत्पत्ति किसी ठन्डी जगह से हुई या गर्म जगह से?

अध्यक्ष—वह यह पूछना चाहते हैं कि यह घास वहां कहां से इम्पोर्ट हुई या वहीं पहाड़ में ही पैदा हुई।

श्री चरण सिंह—मैंने उसकी फैमिली पेडिग्री तो जानने की कोशिश नहीं की।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि चलमोड़ा घास सुनकिया कटोली आदि मौजों के अलावा और किन-किन स्थानों में पैदा हो गई है?

श्री चरण सिंह--यह घास किस-किस गांव और तहसील में फैल गई है इसकी कोई इत्तिला नहीं है लेकिन सन् १९३६ में इस काप हले इल्म हुआ और तब से अब तक बराबर उस पर प्रयोग हो रहा है और उसकी परिभाषा आदि से भरी मेरे पास ९ सफे की रिपोर्ट है। जो साहब चाहें देख सकते हैं।

*५०--श्री खुशीराम--क्या कृषि मंत्री किसी विशेषज्ञ के द्वारा इस घास को समूल नष्ट कराने का प्रयत्न कर खेती की उपज बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रयोगों तथा अन्य प्रयत्नों के फल स्वरूप चलमोड़ा घास तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली अन्य घासों को नष्ट करने में कई रासायनिक मिश्रण उपयोगी सिद्ध हुये हैं। इन उपायों में सोडियमक्लोरेट का बार-बार छिड़काव एक उपाय है जिससे इस घास के बढ़ाव और फैलाव के रोकथाम में काफी सहायता मिलती है। अब इन उपायों की तुलनात्मक कार्यक्षमता (efficacy)पर प्रयोग हो रहा है। निश्चित फल निकलने पर किसानों को उसके उससे अवगत कराया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार उन अफसर का डिजिग्नेशन बताने की कृपा करेगी जिन्होंने इस दवा का प्रयोग इस घास को मिटाने के लिये बताया है ?

श्री चरण सिंह--मेरे पास डायरेक्टर के पास से रिपोर्ट आई है लेकिन जो अफसर वहां प्रयोग कर रहे हैं उनका डिजिग्नेशन क्या है यह मैं नहीं कह सकता।

* * * *

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज और बांसी में छूट तथा टैस्ट

*१--श्री मुहम्मद अदील अब्बासी (अनुपस्थित)--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जिला बस्ती के तहसील डुमरियागंज और बांसी के हर तप्पा में खरीफ १३५९ फसली में तप्पावार कितनी छूट दी गई ? मेहरबानी करके सूचना निम्नलिखित चार्ट में दी जाय:--

नाम तप्पा	तादाद कुल गांव	तादाद गांव जिनमें छूट दी गयी	तादाद कुल मालगुजारी तप्पा की	छूट जो मालगुजारी में दी गयी	कुल तादाद छूट जो लगान में दी गयी

श्री चरण सिंह--मांगी गई सूचना सम्बद्ध सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२ पर)

*२--श्री मुहम्मद अदील अब्बासी (अनुपस्थित)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि तहसील डुमरियागंज और तहसील बांसी, जिला बस्ती, के हर तप्पा में अलग

नोट--तारांकित प्रश्न १-२ श्री शिवनारायण ने पूछे।

[श्री मुहम्मद अहील अब्बासी]

अलग तप्पा के हिसाब से कौन से टैस्ट वर्क खोले गये ? मेहरबानी करके सूचना निम्न-लिखित चार्ट में दी जाय :—

नाम तप्पा	नाम टैस्ट वर्क जो खोले गये	तादाद कुल रुपया जो खर्च हुआ	तारीखें जिनमें काम मजदूरों से लिया गया	तादाद मजदूर जो हर तारीख में लगाये गये (तारीख के साथ)

श्री चरण सिंह—सांगी गई सूचना संलग्न विवरण सूची में दी हुई है। इस सूची में टैस्ट वर्क में काम करने वाले मजदूरों की रोजाना की संख्या नहीं है। इस सूचना को एकत्रित करना बहुत कठिन है और इसमें समय बहुत लगेगा। इसके बजाय हर टैस्ट वर्क में जितने मजदूरों ने काम किया उनकी पूर्ण संख्या दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७८ पर)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मेहरबानी करके सरकार उस सूची को जिसमें यह तमाम आंकड़े दिये हुये हैं, क्योंकि मैं भी वहां का प्रतिनिधि हूं, देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—मैं इसका सार तो अभी बता सकता हूं।

अध्यक्ष—इसमें सब को दिलचस्पी नहीं है। आप उनके पास भेज दें।

श्री चरण सिंह—बहुत बेहतर है।

* * * *

आगरा नगर में बसों का चलाया जाना

*१३—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में कुछ सड़कों पर सरकार का बस चलाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। जहां कहीं सिटी सर्विस चालू हो चुकी है जब उन जगहों में पूर्ण सफलता मिल जायगी तभी और स्थानों पर बस जलाने का विचार किया जायगा।

श्री बाबूलाल मित्तल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जगहों पर सिटी सर्विस चालू की गई है ?

श्री चरण सिंह—जिन-जिन जगहों पर आज चल रही है वहां सब जगह चालू हो चुकी है।

* * * *

बस्ती जिले के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने की योजना

*२६—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—बस्ती जिले के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में इस वर्षाकाल में जब कि टैस्ट वर्क का काम बन्द हो गया है वहां की जनता को भूख से बचाने के लिये सरकार कोई योजना तत्काल चालू करेगी ? अगर हां, तो क्या और कब तक ?

नोट—१—तारांकित प्रश्न १३ श्री बाबूलाल मित्तल ने पूछा ?
२—तारांकित प्रश्न २६ श्री शिवनारायण ने पूछा।

श्री चरण सिंह—माननीय सदस्य के इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न का उत्तर अल्प सूचना पर १९-८-५२ को दिया जा चुका है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि इस बीच में वहां पर टैस्ट वर्क्स बन्द हो गये हैं?

श्री चरण सिंह—कुछ अर्से के लिये बन्द हो गये थे। जब मैं बस्ती गया था तो कुछ चालू हो चुके थे और बाद में और भी चालू हो गये हैं।

* * * * *

देवरिया जिले के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में टैस्ट वर्क

*३०—श्री राजदेव उपाध्याय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के अकालग्रस्त क्षेत्रों में किन किन स्थानों में टैस्ट वर्क खोले गये हैं और कितने मजदूर उसके कार्य में लगे हैं?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में २२ सितम्बर, १९५२, तक कुल १३ टैस्ट वर्क्स खोले गये हैं जिनमें दो वर्क्स पर वर्षा के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इन वर्क्स की तथा इन पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। कल रात तक की सूचना के अनुसार ३४-३५ हजार तक लोग इन टैस्ट वर्क में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त १५ टैस्ट वर्क्स केन डेवलपमेंट कौन्सिल की ओर से भी खोले गये हैं जिनमें १० हजार के करीब मजदूर काम कर रहे हैं। इस तरह से ४५ हजार के करीब लोग इनमें काम कर रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४ पर)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि खांची कुदाली के न होने की वजह से बहुत से लोग कामों पर से वापिस चले गये?

श्री चरण सिंह—हो सकता है कहीं से वापिस चले गये हों लेकिन सरकार की यह नीति है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रोजगार मिले और कोई वापिस न जाने पाये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को मालूम है कि माल मंत्री जब देवरिया गये थे तो उन्होंने इन टैस्ट वर्क्स के लिये उन जगहों पर गल्ले की दूकानों के खोले जाने की आज्ञा दी थी, लेकिन अभी तक उनके इस हुक्म की तामील नहीं हुई है?

श्री चरण सिंह—निसंदेह मैंने यह कहा था कि जिन स्थानों पर टैस्ट वर्क्स चल रहे हैं वहां गल्ले की दुकान खोल दी जायं, लेकिन जिलाधीश ने उसी वक्त यह आपत्ति की थी कि उन जगहों पर गल्ल के रखने के लिये उपयुक्त स्थान न मिलेगा और बारिश में गल्ला खराब हो जायगा। जहां ऐसी सुविधा होगी कि कोई मकान आदि मिल जायगा वहां पर खोलने की कोशिश की जायगी। दूसरी कठिनाई उन्होंने यह भी बतलाई थी कि जो लोग इन दूकानों से गल्ला लेंगे उनका राशन कार्ड जिन दूकानों का होगा वह वहां से उनको कैंसिल कराना पड़ेगा। इसलिये मुमकिन है कि कुछ कठिनाइयों के कारण अभी तक ये दूकानें न खुल पायी हों।

देवरिया जिले में माफीशुदा लगान की वसूली

*३१—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि देवरिया जिले में कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने माफीशुदा लगान को भी वसूल किया है?

नोटिस—तारांकित प्रश्न ३० और ३१ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री चरण सिंह—जी हां। यह सही है कि देवरिया जिले में ग़लती से कोर्ट आफ वार्ड्स ने ३ गांवों के काश्तकारों से माफीशुदा लगान वसूल किया था। ग़लती मालूम होने पर जिलाधीश ने इस लगान को वापस करने का आदेश दिया। कुछ रुपया वापस कर दिया गया है और बाकी वापस किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को यह पता है कि जिन क्षेत्रों में बरफ पड़ी उन क्षेत्रों में जो कोर्ट आफ वार्ड्स के लोगों ने जो रुपया वसूल किया वह किसानों ने अपने बैल और बरतनों को बेंच कर अदा किया?

श्री चरण सिंह—इस प्रश्न का संबंध मूल प्रश्न से तो नहीं है फिर भी मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा।

* * * * *

जौनपुर रोडवेज स्टेशन की इमारत

*४३—श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि जौनपुर की रोडवेज स्टेशन की इमारत बनवाने का ठेका दे दिया गया है? यदि हां, तो उक्त इमारत के बनने में क्या प्रगति हो रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले की महाराजगंज और फरेंदा तहसीलों में अकाल

१—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)— क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज और फरेंदा तहसीलों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है?

श्री चरण सिंह—गोरखपुर जिले की महाराजगंज और फरेंदा तहसीलों में अकाल की स्थिति तो नहीं है, परन्तु पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ने के कारण भूमिहीन श्रमिकों तथा छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति अवश्य असन्तोषजनक है।

२—श्री शुकदेव प्रसाद—यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या रक्षात्मक उपाय कर रही है?

श्री चरण सिंह—इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने जो कार्य किये हैं वे ये हैं:—

(१) ए० पी० योजना द्वारा सस्ते अनाज का प्रबन्ध।

(२) लगान और मालगुजारी में छूट।

(३) बैल तथा बीज के लिये ९ लाख रुपये की तकावी का वितरण।

(४) धान के बीजों का प्रबन्ध।

(५) अहेतुक सहायता। इसके लिये अब तक कुल दो लाख रुपया स्वीकृत किया जा चुका है।

(६) टैस्ट वर्क्स के लिये ५ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। टैस्ट वर्क्स खुल गये हैं।

(७) तकावी रूल्स के अनुच्छेद ८ के अन्तर्गत ३ लाख रुपया तकावी के लिये स्वीकृत किया गया है जिससे निर्धन कृषक आदि अगले दो महीने तक अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में परती भूमि

३—श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में कितने एकड़ खेती परती पड़ गयी है और इसके क्या-क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह—तहसील महाराजगंज में इस वर्ष जुलाई के अन्त तक प्रायः ३३,५०० एकड़ भूमि कम वर्षा होने के कारण जोत में नहीं लाई जा सकी, किन्तु अब वर्षा हो जाने के कारण आशा है कि अगस्त के महीने में यह भूमि या इसका अधिक से अधिक भाग कृषि योग्य हो जायेगा। इस तहसील में और किसी कारण से भूमि परती नहीं पड़ी।

अन्न उपजाओ आन्दोलन पर सरकारी व्यय

४—श्री राजदेव उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत वर्ष में अन्न उपजाओ आन्दोलन में कितना रुपया सरकार ने खर्च किया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—उक्त आन्दोलन में सरकार ने दुहराये हुये तखमीने के हिसाब से लगभग ५२७.२२ लाख रुपया खर्च किया है।

५—६—श्री गेंदा सिंह—[२१ अगस्त, १९५२ को संख्या ३—४ के अन्तर्गत इन प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं।]

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री नरदेव शास्त्री तथा "हिमाचल टाइम्स" की क्षमा याचना पर अध्यक्ष की व्यवस्था

अध्यक्ष—मुझे इस आदरणीय सदन को एक सूचना देना है जो महत्व की है और इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना से संबंधित है। ९ जुलाई, सन् १९५२, के हिमांचल टाइम्स में श्री नरदेव शास्त्री के प्रश्न जो उन्होंने यहां पर भेजे थे छप गये हैं। हमारे विधान सभा के जो सचिव हैं उन्होंने इसको देखा और मेरे समक्ष पेश किया। जो प्रश्न इसमें छपे थे उनकी स्वीकृति भी अध्यक्ष के द्वारा उस समय तक नहीं हुई थी बाद को उनमें से कुछ को स्वीकृत किया गया और कुछ को संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया लेकिन कुछ इस योग्य भी नहीं थे कि उनको स्वीकार किया जाय अतः वे स्वीकार नहीं हुए लेकिन पहले ये छप गये। नियम ४३ के अनुसार कोई भी प्रश्न जो कि सदन में पूछा जाने वाला है जब तक अध्यक्ष के द्वारा वह स्वीकार न कर लिया जाय, और जब तक उसका उत्तर सदन में न दिया जाय तब तक वह छपना नहीं चाहिये नहीं तो इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना उसमें होती है। जब मुझे इस प्रकार की सूचना मिली तो सचिव द्वारा मैंने तत्काल ही इस संबंध में लिखवाया और उनसे (श्री नरदेव शास्त्री जी से) पूछा कि यह किस तरह से छपे हैं। उन्होंने तत्काल ही अपनी ग़लती को स्वीकार किया और पत्र के द्वारा उन्होंने क्षमा याचना की कि उन्हें वह नियम मालूम नहीं था इसी वजह से उन्होंने ये प्रश्न हिमांचल टाइम्स को भेज दिये। हिमांचल टाइम्स का इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने उन प्रश्न को अज्ञान में छाप दिया। क्योंकि हिमांचल टाइम्स ने भी इसकी अवहेलना की थी अतः उनको भी लिखा गया उन्होंने भी मुक्त कंठ से अपनी ग़लती कबूल की और क्षमा प्रार्थना की और यह भी वायदा किया कि इस किस्म की अवहेलना उनकी ओर से भविष्य में न होगी। मैं इन दोनों पत्रों को सदन के सामने पेश कर देना चाहता हूं।

[अध्यक्ष]

श्री नरदेव शास्त्री का पत्र इस प्रकार है --

"सेवा में,

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक ८ अगस्त, १९५२ ई०।

महाभाग,

आपका पत्र सं० २२४१ यू० ओ० आज मिला। आपके प्रश्न का सरल शब्दों में संक्षिप्त स्पष्टीकरण यही है कि यह सब कुछ अनजाने में हुआ है जिसके लिये खेद है। संपादक "हिमाचल टाइम्स" (मसूरी) का कोई दोष नहीं है क्योंकि हमने ही तो उनके पास भेजा था। उनको भी खयाल नहीं रहा होगा कि हमारे प्रश्न के छापने में वे कोई नियम भंग कर रहे हैं। इस प्रकार अनजाने में यह घटना हुई जिसके लिये खेद प्रकट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

भवदीय,
नरदेव शास्त्री,
एम० एल० ए०।"

"हिमाचल टाइम्स" के सम्पादक श्री एस० पी० गांधी ने अंग्रेजी में पत्र लिखा है। उसका अनुवाद मैं आपको सुना देता हूं--

"सचिव,
विधान सभा विभाग,
उत्तर प्रदेश विधान भवन,
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

हमारे ९ जुलाई, १९५२ के अंक में विधान सभा के सदस्य श्री नरदेव शास्त्री के प्रश्नों के प्रकाशन से इस पत्रिका द्वारा की गयी अभिकथित विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या २२४१ यू० ओ० दिनांक २ अगस्त, १९५२ के संदर्भ में मैं खेदपूर्वक निवेदन करता हूं कि यह त्रुटि अविचार एवं अज्ञानपूर्वक हुई है।

मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करेंगे तथा इस विषय को समाप्त कर देंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में ऐसी त्रुटि न होगी और एतद्विषयक संसदीय नियमों को ध्यान में रखा जायगा।

इस त्रुटि का हमें खेद है।

सधन्यवाद।"

यह पत्र सम्पादक महोदय ने दिया है। इन दोनों पत्रों को सामने रखते हुए मैंने यह उचित समझा कि इस सदन की प्रतिष्टा इसी में है कि ग्रेसफुली और बहुत खूबसूरती के साथ यह सदन कार्य करे। अगर क्षमा भी करना है तो खूबसूरती के साथ होना चाहिये। नियम के अनुसार अगर मैं इजाजत दे देता कि सदन के सामने यह मामला आ जाना चाहिये तो यहां पर इसके ऊपर बहस होती और सदन यह निर्णय करता कि सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है इसलिये कोई दंड दिया जाय। अगर क्षमा देना ही है तो भी माफीपत्र यहां पर ही पढ़ा जाता या माननीय सदस्य खड़े

होकर अपनी माफी सदन के सामने पेश करते। इतना सब करने के बाद सदन चाहता तो क्षमा कर सकता था। चूंकि इतनी शीघ्रतापूर्वक क्षमा मांगी गई है, ऐसी अवस्था में मुझे जो अधिकार नियम ४४ में मौजूद है कि "अध्यक्ष अगर इजाजत दे तो यह प्रश्न सदन के सामने आ सकता है और अगर इजाजत न दे तो यह प्रश्न सदन के सामने नहीं आयेगा" उसका उपयोग करके मैंने यह उचित समझा कि खूबसूरती के साथ इसे समाप्त करने का तरीका यही है कि जब क्षमा मांगने की सूचना मात्र सदन को देकर मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं कि विशेषाधिकार की जो अवहेलना हुई है उसका विचार इस सदन में किया जाय। इसको खूबसूरती के साथ इस प्रकार समाप्त कर दिया गया।

मुझे आशा है कि जो मैंने निर्णय किया है सदन उसको सहर्ष स्वीकार करेगा क्योंकि सदन, की प्रतिष्ठा के लिये यही उचित होगा, यह समझ कर मैंने यह कार्य किया है।

नैपाल में प्राविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी की एक टुकड़ी भेजने की नीति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—अब एक काम रोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय ने मेरे पास भेजा है और वह इस सम्बन्ध में है कि उनकी इत्तिला यह है कि पी० ए० सी० की कोई टुकड़ी नैपाल भेजी गयी। उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है कि पी० ए० सी० की कोई बटालियन नैपाल में वहां के किसानों के आन्दोलन को दबाने के लिये शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के नाम पर भेजी गयी। तो विदेश में इस तरह यहां से बटालियन भेजने की नीति के सम्बन्ध में विचार करने के लिये वे काम-रोको प्रस्ताव लाये हैं।

पहले तो इसमें विदेश नीति से सम्बन्ध है। तो विदेश नीति से प्रान्त का या प्रान्तीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि बटालियन भेजी गयी है या भेजे जाने की आवश्यकता होती है तो केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से और उनकी नीति के अनुसार यह होता है और विदेश नीति के बारे में इस भवन में विवाद नहीं हो सकता है इसलिये भी यह काम रोको प्रस्ताव अवैध है। लेकिन जहां तक वस्तु स्थिति का सम्बन्ध है वह भी यह नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वह यह हैं कि पी० ए० सी० की कोई बटालियन नहीं भेजी गई। मेरे पास गृह मंत्री जी का स्पष्ट लेख है और अगर कभी ऐसा होता है और अगर भेजना पड़े तो इस प्रान्त का उत्तरदायित्व इसमें नहीं है। उस वक्त उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का होता है, उनकी आज्ञा से होता है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता अभी पड़ी नहीं। इसलिये जब वस्तुस्थिति भी नहीं है तब ऐसी अवस्था में भी यह काम रोको प्रस्ताव अवैध है और मैं इसको अवैध करार देता हूं और इसकी अनुमति नहीं देता।

बुलन्दशहर में भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—एक दूसरा काम रोको प्रस्ताव माननीय नारायदण दत्त जी तिवारी ने भेजा है और वह बुलन्दशहर में जनता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह से सम्बन्धित सैकड़ों गिरफ्तारियों की वजह से उत्पन्न विशेष परिस्थिति पर विचार करने के लिये विधान सभा के आज के कार्य को स्थगित करने के लिये है। यह प्रस्ताव मेरे पास अभी आया है। जहां तक सार्वजनिक महत्व की बात है स्पष्ट ही है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अगर कहीं सत्याग्रह हो तो वह महत्वपूर्ण हो सकता है और जब अधिक से

[अध्यक्ष]

अधिक तादाद में लोग सत्याग्रह करते हों। प्रश्न इस बात का है कि इसकी अरजेंसी का है, इसके ऊपर विचार करने की इतनी आवश्यकता है। इसके सम्बन्ध में माननीय नारायण दत्त जी तिवारी से मैं कहूंगा कि वे इसकी अरजेंसी बतावें कि इसमें कौन सी बात को आप अरजेन्ट समझते हैं जिससे सदन का और काम इस समय रोक कर इस पर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं इस मोशन का जो महत्व है बतलाऊं। जो सत्याग्रही गिरफ्तार हो रहे हैं और पिछली २१ तारीख से उनके लिये बुलन्दशहर में जो रवैया बरता जा रहा है वह बहुत ही अवैध है और मैं समझता हूं इस प्रदेश के लिये और यहां के शासन प्रबन्ध के लिये भी एक कलंक है। पिछली २१ तारीख को ६० सत्याग्रहियों का एक जत्था श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव जो श्री हरिहरनाथ जी जो आई० एन० टी० यू० सी० के प्रेसीडेंट हैं उनकी घरवाली हैं उनके नेतृत्व में गया था। उनकी गोद से जबरदस्ती मासूम बच्चों को छीना गया, सारा बुलन्दशहर इसका गवाह है और सरकार के पास भी इसकी रिपोर्ट आ गई होगी। जिस तरह से सत्याग्रहियों के लिये बर्ताव किया जा रहा है और जिस प्रकार से उनको हवालात में रखा जा रहा है और जिस तरह से शहर से १९, २० मील दूर अंधकार में जंगल में छोड़ा जा रहा है मैं समझता हूं यह हम सबों के लिये बहुत शर्म की बात है और लगातार दो या तीन दिनों से ऐसे-ऐसे बर्ताव उनके साथ किये जा रहे हैं जो अमानुषिक हैं। इसलिये इनको रोकने के लिये और जो वहां के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस का रवैया हो रहा है उसको रोकने के लिये मैं समझता हूं यह मोशन अत्यन्त आवश्यक है और इसीलिये मैं आपसे, माननीय सदस्य सदन से अनुमति चाहूंगा कि हम इस पर विचार करें।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब स्पीकर साहब, मैंने जो तकरीर नारायण दत्त साहब की सुनी उससे मेरी समझ में यह आया कि यह मोशन न अर्जेन्ट (आपातिक) है, न डेफीनिट (निश्चित) है और उस रूल के मातहत जिसके जरिये से इसकी इजाजत है आता नहीं है इसलिये यह पेश नहीं हो सकता। जो बातें उन्होंने कहीं उनमें मैं जरूरी नहीं समझता कि उनमें से एक-एक गिनाऊं। उनमें से हर एक अलग मैटर (विषय) है जो इस मोशन के मातहत वे डिसकस (चर्चा) करना चाहते हैं और कायदा यह है कि ऐजर्नमेंट मोशन (कार्यस्थगन-प्रस्ताव) के मातहत सिर्फ एक डेफीनिट मैटर (निश्चित विषय) आ सकता है। उस तरह से यह मोशन जेरे बहस नहीं आ सकता है। तो इसलिये यह कायदे के खिलाफ है।

दूसरी बात यह है कि इसमें अर्जेंसी (आपात) कोई नहीं। इस किस्म की कार्यवाहियां और इस किस्म की गिरफ्तारियां जिनकी शिकायत इसमें की जा रही है आये दिन होती रही हैं और उनको हमेशा के लिये अगर एक ऐसा गैरमामूली मामला बना लिया जाय कि उस पर हाउस का काम रोक कर बहस की जाय तो मैं समझता हूं कि यह बात किसी तरह से मुनासिब नहीं हो सकती है।

तीसरी बात यह है कि यह वाकया जैसा कि उन्होंने खुद अपनी तकरीर में बताया, कई रोज से, २१ तारीख से शुरू हुआ। २१ सो इसका मोशन हो सकता था। २२ को इसका मोशन हो सकता था। २३ को और २४ को छुट्टी भी इसलिये नहीं हो सकता था। तो मैं समझता हूं कि मोशन आफ ऐजर्नमेंट के लिए जिस अर्जेंसी (आपात) की जरूरत होती है, उस अर्जेंसी को इससे भी जांचा जाता है कि मोशन लाने में कितनी देर की गयी है। तो चूंकि यह मोशन २१ को नहीं लाया गया,

२२ को नहीं लाया गया, इसलिये मैं समझता हूं कि खुद यह पेश करने वाले का ऐडमिशन (स्वीकृति) है कि जो जरूरत और जो अर्जेंसी उसकी बतलायी जाती है वह फिलवाकय उसमें है नहीं।

इसलिये जहां तक इस मोशन का ताल्लुक है मोशन आउट आफ आर्डर (अनियमित) है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक बात और अर्ज करूंगा। कुछ बातें नारायण दत्त जी ने अपनी तकरीर में ऐसी कह दीं, मेरे पास इस वक्त उसकी मालूमात नहीं हैं, कि मैं यह जरूरी समझूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से यह बात मुनासिब होगी कि इस बात के ऊपर एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट इस हाउस के अन्दर कल या परसों, जो वक्त मुकर्रर किया जाय उस वक्त हो सकता है, इसलिये कि इस मामले को साफ कर दिया जाय। लेकिन जहां तक इस मोशन का मुनासिब होने का ताल्लुक है, उसको मैं नहीं मानता और उसकी निस्बत यही गुजारिश करूंगा कि वह आउट आफ आर्डर है और उसके जरिये से उसका मुबाहिसा इस ऐवान में नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कल बुलन्दशहर से लौट कर आज आया हूं। बुलन्दशहर में सत्याग्रह को लेकर इतना अत्याचार हो रहा है। २३ तारीख को स्थानीय पार्टी दफ्तर पर छापा मारा गया।

अध्यक्ष—जो प्रश्न उठाया गया है वह निश्चित है या नहीं, यह ऐतराज किया गया है वित्त मंत्री जी की तरफ से और इसी के बारे में मुझे भी शक है। महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि महत्व की बात स्पष्ट है। निश्चित है या नहीं, अर्जेंट है या नहीं, इसके संबंध में सिर्फ बहस होगी।

तो उसका जो आक्षेप किया गया, उसके बारे में जो आपके मालूमात हैं, उसके संबंध में तो उन्होंने स्टेटमेंट देने के लिये कहा है। उस पर कोई बात अगर हो सकती है तो उसी वक्त हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि उस पर विचार करने का यह समय नहीं है।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला अर्जेन्ट (आपातिक) इसलिये है कि वहां के स्थानीय अधिकारियों का जो रुख है वह इतना तानाशाही होता जा रहा है कि अगर सदन भी उस पर विचार नहीं कर सकता तो वहां पर एक भयंकर परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह विषय बहुत ही आवश्यक है और उसी को बताने के लिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को केवल इतना बताना चाहता था कि जिस तरह से साधारण शान्तिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा था उस सत्याग्रह के प्रति एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जो रुख अख्तियार किया जाना चाहिये वह रुख वहां के अधिकारी अख्तियार नहीं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन इतनी विकट और भीषण परिस्थिति होती जा रही है कि अगर सदन उस पर विचार नहीं करता है तो मुझे डर है एक दो रोज जो आने वाले हैं उनमें स्थानीय कर्मचारी वहां की परिस्थिति को इतनी जटिल बना देंगे कि हमारे लिए एक बहुत विकट परिस्थिति पैदा हो जायगी।

इसलिये मैं आपके जरिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विषय आवश्यक है, अर्जेंट है, इस पर बहस होनी चाहिये। इसकी इम्पार्टेंस (महत्व) को बताने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कल वहां पर गया हुआ था। वहां की हालत बहुत ही गड़बड़ और जटिल हो गयी है। वहां के अधिकारी बिल्कुल तुले हुए हैं, और इस तरह पर दमन करने पर तुले हुए हैं कि वह औरतों को भी २०, २० मील की दूरी पर रात को नौ-नौ दस-दस बजे छोड़ आते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सदन

[श्री राज नारायण]

अपनी कोई ओपीनियन स्ट्रेस नहीं करता, (राय नहीं देता) तो वहां के स्थानीय कर्मचारी इस तरह की हालत बना देंगे कि सरकार के लिये वह एक कलंक की बात होगी और इस सम्मानित सदन के लिये भी एक कलंक की बात होगी।

अध्यक्ष---जो काम रोको प्रस्ताव हमारे सामने जिन शब्दों में रखा गया है "यह भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह से संबंधित सैकड़ों गिरफ्तारियों से उत्पन्न विशेष परिस्थिति के ऊपर विचार करने के लिये" यानी यह विशेष परिस्थिति सत्याग्रह द्वारा अनेक प्रकार से हो जाती है, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने और नारायणदत्त जी ने अपने भाषण में कहा। कई बातें, आम अत्याचार होना या ज्यादती स्त्रियों पर होना है, कई बातें इसमें शामिल हैं। कोई विशेष एक बात जिसका नियम में इशारा है, वह इसके अन्दर स्पष्ट नहीं होती। मैं यह देख रहा हूं और यह सदन जानता है कि बहुत सी चीजों के लिये सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह होना ही केवल निश्चित बात नहीं कही जा सकती। कोई विशेष निश्चित बात माननीय राजनारायण जी ने अपने भाषण में नहीं बताई जो इस प्रस्ताव में हो, इसलिये मैं इसको निश्चित नहीं कहता हूं, अनिश्चित समझता हूं।

दूसरी चीज अरजेंसी की है। अरजेंसी के बारे में मैंने पहले अर्ज कर दिया था कि यह शंकित प्रश्न है कि आवश्यक है या नहीं? आवश्यक अगर थोड़ा बहुत माननीय राजनारायण जी के भाषण से मालूम भी होता है कि जिससे इस विषय पर सदन में स्पष्टीकरण होना चाहिये और विवाद होना चाहिये, उसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी जो वादा किया है कि एक दो रोज के अन्दर ही वह अपना स्टेटमेंट (एक घोषणा), इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए सदन को देंगे, इसको सामने रखते हुये मैं उसकी अर्जेंसी को भी कम समझता हूं।

इसलिये दोनों कारणों से यानी यह अनिश्चित है, पूरा निश्चित नहीं है। दूसरे इतनी इसकी आवश्यकता भी नहीं रही जितनी कि पहले मुझे शंका थी वित्त मंत्री जी के वादा करने के बाद। इन कारणों से मैं अनुमति नहीं देता कि यह काम रोको प्रस्ताव पेश हो।

दो और भी काम रोको प्रस्ताव आये हैं, जो कि समय से बाद आये हैं। ११ बजे के पहले आ जाने चाहिये थे। उनका जिक्र मैं आज नहीं करता हूं और उनको पेश करने की अनुमति नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार (क्रमागत)

अध्यक्ष---अब ९ जुलाई, १९५२ ई० को मेज पर रखी गयी १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार जारी होगा।

माननीय वीरेन्द्र शाह जी का संशोधन अभी विचारणीय है और उसके ऊपर अन्त में माननीय मौर्य जी बोल चुके और श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पढ़ देना चाहता हूं। "नियम १९४ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया...

अध्यक्ष---यह तो आप मूव कर चुके हैं। इसमें अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो उत्तर दीजिये।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, जैसा कि मैंने संशोधन में रख दिया है, सरकार से कहा था कि जब सरकार की यह नीति थी और यह स्पष्ट जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा २५१ में दिया गया है; मैं आपकी आज्ञा से धारा पढ़ देना चाहता हूं। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा २५१ इस प्रकार है--

"इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, भूमिधर द्वारा देय मालगुजारी उसके खाते के क्षेत्रफल के घटने या बढ़ने के आधार को छोड़ किसी और आधार पर इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद के चालीस वर्षों के भीतर परिवर्तित नहीं की जायगी।"

श्रीमान्, इस धारा के रहते हुये जो मौर्य्य जी ने हमारे संशोधन के उत्तर में भाषण दिया उससे मैंने यह समझा कि सरकार हम जमींदारों पर और छोटे छोटे जमींदारों की सीर और खुदकाश्त पर लगान बढ़ाने जा रही है। जैसा कि मैंने अपने नोट आफ डिसेन्ट (विमति टिप्पणी) में, जिसको मैंने सदन के सामने पढ़ करके सुनाया, यह स्पष्ट करके बतलाया है कि ढाई सौ की मालगुजारी से नीचे के जमींदारों पर ३५ लाख रुपया सरकार और बढ़ायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने ऐक्ट के अन्दर हम लोगों पर ४० वर्ष तक के लिये कोई मालगुजारी बढ़ाने के लिये नहीं रखा है, तो अब जो दूसरे तरीके से आप मालगुजारी बढ़ा रहे हैं, यह एक बड़ा अन्याय होगा और अनियमित भी होगा। मैं आपके जरिये सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मैंने कमेटी में श्रीमान् माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था और उन्होंने यह कहा था कि मालगुजारी नहीं बढ़ेगी पर मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि जिस तरीके से मैंने समझा है और अपने नोट में बतलाया है उसका मौर्य्य जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी बात बतलाने लगे कि इस तरीके से दो आने कम होगा जो मेरी समझ में नहीं आया। मेरा संशोधन बहुत सीधा साधा है। उसमें यह लिखा है कि मालगुजारी हम आज देते हैं वह मालगुजारी, जैसा धारा २५१ के नियम में है उसके रहते हुये, सरकार न बढ़ावे। यदि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी तो हमको इत्मीनान हो जायगा वरना मैं यह समझूंगा कि सरकार दूसरे तरीके से सीर और खुदकाश्त पर लगान बढ़ाने जा रही है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उसके सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि मालगुजारी तीन ही तरीके से तय की जा सकती थी, एक तो यह की जब बन्दोवस्त हुआ था उस वक्त के हर जमींदार के वह पुराने कागजात बन्दोबस्त देखे जायं और तब जितनी मालगुजारी उसके जरिये खुदकाश्त सीर और ग्रोव (वाग) पर हुई थी वह निकाली जाय और वह अब मुकर्रर की जाय, एक तरीका यह हो सकता है। जहां तक इस तरीके का संबंध है यह गवर्नमेंट के लिये वबाल जान हो जायगा, इस में बहुत देर लगेगी और इसमें बहुत मेहनत करनी होगी और पुराने सरकारी रिकार्ड्स (अभिलेख) देखने पड़ेंगे और हो सकता है कि सूबे भर के सेटिलमेंट के रिकार्ड्स हर जमींदार के और जमीन के चप्पा चप्पा के शायद न मिलें, और जैसा मैंने कहा कि मिल भी गये तो उसमें मेहनत और तवालत बहुत होगी। इस लिये इस रास्ते को तो रूल आउट (निकाल) कर दिया और इस रास्ते को हमने अख्तियार किया नहीं। दूसरा रास्ता सीर और खुदकाश्त की मालगुजारी तय करने का यह हो सकता था कि सारे सूबे की मालगुजारी को सारे सूबे की कल्टीवेटेड एरिया (खेती किये जाने वाले क्षेत्र) से, जेर काश्त जो रक्बा है उससे हम तक्सीम कर देते और उसका औसत निकाल देते।

[श्री चरण सिंह]

और अब जिस भूमिधर के पास सीर और खुदकाश्त रह गयी है उसके अनुपात से हम मालगुजारी मुकर्रर कर दें। तो यह भी कोई बहुत मुनासिब तरीका नहीं था। क्योंकि हो सकता है कि किसी भूमिधर की सीर और खुदकाश्त औसत दर्जे की जमींन से अच्छी हो तो उस पर मालगुजारी कम होगी और जहां जमीन औसत दर्जे की जमींन से रद्दी किस्म की हो तो मालगुजारी उस पर ज्यादा होगी। तो यह तरीका भी हम ने छोड़ दिया। अब तीसरा तरीका जो हो सकता था वह यह है कि जमींदार के असेट्स (निकासी) का हमने वैलूएशन (मूल्यांकन) किया आक्यूपेंसी रेट (दखीलकर की दर) में से साढ़े १२ फीसदी काटकर और कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) के सिलसिले में हर मोहाल के हम ग्रास असेट्स (कच्ची निकासी) निकाल रहे हैं और उसकी मालगुजारी भी हमको मालूम है। तो आज सारे मोहाल की मालगुजारी का जो अनुपात उस मोहाल के ग्रास असेट्स से है वही परसंटेज हम जमींदार के नेट असेट्स (शुद्ध निकासी) का जो कि हमने अ क्यूपेंसी रेट में से साढ़े ५२ फीसदी काट कर निकाला तो उसके वही अनुपात से हम मालगुजारी तय कर देते हैं। मान लिया जाय कि उसका कुल ग्रास असे स ढाई सौ रुपया है और मालगुजारी ६० रुपये है। तो २४ फीसदी ग्रास असेट्स या २४ फीसदी मालगुजारी उस मोहाल की हुई। तो यही २४ फी सदी मालगुजारी हम जमींदार या भूमिधर की कर देंगे और उसकी सीर और खुदकाश्त की वैलूएशन हम आक्यूपेंसी रेट से साढ़े १२ काट कर कर रहे हैं। अब मालूम ऐसा होता है कि माननीय सदस्य का कहना यह है कि सेटिलमेंट में जो मालगुजारी मुकर्रर होती थी वह आक्यूपेंसी रेट से १५ से ३० फीसदी कम कर के इस वेलूएशन पर मालगुजारी मुकर्रर होती थी। यह बात ठीक है कि उसमें कहीं १५, कहीं २५ और कहीं ३० फीसदी अक्यूपेंसी रेट में से काट देते थे। यहाँ हम साढ़े १२ फीसदी काट रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य जहां इस बात पर बल देते हैं वहां यह बात भूल जाते हैं कि जब सेटिलमेंट हुआ था---आखिरी सेटिलमेंट सन् १९४४ में हुआ था---तो उस वक्त मोहाल के जो ग्रास असेट्स थे उसके मुकाबिले में आज मोहाल के ग्रास असेट्स कहीं ज्यादा है। लिहाजा आज जो परसेंटेज मालगुजारी बेयर (सहन) करती है वह कम है बनिस्बत उस परसेंटेज के जब कि सेटिलमेंट हुआ था। लहाजा कोई नुक्सान किसी तरीके से जमींदारों को होता नहीं है। हो सकता है कि किसी एक आध मुहाल में या एक आध इलाके में या एक आध गांव में मालगुजरी कुछ ज्यादा हो जाय, लेकिन ज्यादातर, हमारी इत्तिला यही है कि मालगुजारी कम हो जायगी।

राजा वीरेन्द्र शाह---मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि मौजूदा मालगुजारी आपके फार्मूला (सूत्र) से बढ़ जायगी या घट जायगी ?

श्री चरण सिंह---मैं अर्ज कर रहा था कि हो सकता है कि किसी एक-आध जगह बढ़ जाय, लेकिन अगर एक-आध जगह बढ़ जायगी तो १९ जगह घटने की भी संभावना है। तो अनुमान यह है कि सारे सूबे की अगर देखी जाय तो बढ़ेगी बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने समझाने की कोशिश की है लेकिन यह कुछ टैक्निकल (प्राविधिक) सा मामला है। मैं फिर यही अर्ज कर सकता हूं कि वह बिल्कुल साफ है। एक तरीका यह हो सकता था कि सारे सूबे के पुराने बन्दोबस्त के कागजात उठाकर हर जमींदार की जितनी मालगुजारी उस वक्त मुकर्रर हुई थी और जो अब है, यह हम हर जमींन का निकालें। यह नामुमकिन है। दूसरा यह है कि सारे सूबे का परता फैला दें एक डेढ़ रुपया फी एकड़ के हिसाब से या फिर मालगुजारी फैला दें एक रुपया १० आना के हिसाब से तो यह बिल्कुल अनफेयर (अनुचित) होगा क्योंकि जमीन की हैसियत वैरी (भिन्न) करती है, डिफर (भिन्न) करती है। इस तरह से दोनों रास्ते हमने रूल आउट कर दिये। अब तीसरा रास्ता रह गया जो कि हमने निकाला

है। वह यह है कि आज किसी मोहाल की मालगुजारी उस मोहाल की ग्रोस असैट्स से जो तनासुब रखती है और पहले की मालगुजारी तो सबको मालूम है लेकिन उसके ग्रोस असैट्स मालूम किये जा रहे हैं तो जो तनासुब मोहाल की मालगुजारी रखती है उसी तनासुब से हम मालगुजारी मुकर्रर करने जा रहे हैं जमींदारों की सीर और खुदकाश्त पर उसी तनासुब से जो कि एक्स प्रोपरायटरी रेट (साकितुल मिल्कियत की दर) सीर और खुद काश्त पर आये लेकिन आज जमींदार कहते हैं कि सेटिलमेंट में जो होता था वह १५ से लेकर ३० फी सदी तक आकूपेंसी रेट (दखीलकार की दर) से कम होता था लेकिन हम साढ़े बारह परसेंट ही कर रहे लहाजा उनको आशंका यह है कि मालगुजारी बढ़ जायगी।

इसके संबंध में मेरा जवाब यह है कि हम आज के मुहाल के ग्रास असेट्स से जो आज के मुहाल की मालगुजारी का परसेंटेज रखते हैं तो वही परसेंटज जब कि सेटिलमेंट हुआ था तब वह ३५ फी सदी जो कि आज २४ परसेंट हो गया है तो हमने यह नहीं घटाया बल्कि साढ़े बारह परसेंट ही घटाया है तो जितना घटाया गया है उतना मेकअप (पूरा) हो जायगा और आज ग्रास असेट्स ज्यादा हैं बनिस्बत उस वक्त के जब कि सैटिलमेंट हुआ था और मालगुजारी फिक्स्ड (नियत) है लिहाजा जो तनासुब था वह घट गया, कम हो गया तो उसी घटे हुये परसेंटेज से हम जमींदारों की मालगुजारी मुकर्रर करने जा रहे हैं। हमने १५ से लेकर ३० फीसदी के बजाय साढ़े बारह परसेंट ही रखा है तो वह बहुत कम है और इसी लिहाज से हमें करना है। अब देखना यह है कि वह परसेंटेज जो ग्रास असेट्स की मालगुजारी के लिये थी वह कम हो गयी है। लिहाजा मालगुजारी आम तौर पर घटेगी, बढ़ेगी नहीं। अगर घटेगी नहीं तब भी हमारा अंदाजा यह है कि सारे सूबे की मालगुजारी जैसी की तैसी ही रहेगी। हमारा कोई इरादा बैक डोर (गुप्त रीति) से मालगुजारी बढ़ाने का नहीं है। भूमिधर मालगुजारी देने के जिम्मेदार हैं और वह ४० साल तक नहीं बढ़ेगी लेकिन वह हम तै करेंगे इन नियमों से। जो अब भूमिधर बने हैं उनको तो सबको मालम ही है कि जो वह लगान देते हैं उसका वह आधा देंगे। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १९४ के बाद निम्नलिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूमिधर की निजी जोत या सीर खुदकाश्त या बाग की मालगुजारी की धनराशि, ऐसी दशा को छोड़कर जिसमें अधिनियम की धारा २५१ लागू होती हो, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर देय धनराशि से अधिक न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—एक संशोधन श्री बलवन्त सिंह एम० एल० ए० ने दिया था और वह यह कहते हैं कि माननीय राजस्व मंत्री से उसके लिये स्वीकृति लेकर क्योंकि वह छूट गया था उसको पेश करने की इजाजत दे दी जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह—हम लोगों के पास कापी नहीं है, हम कैसे समझ सकते हैं।

अध्यक्ष—मैं सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है—

"१९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन नियमावली के संशोधनों में जो इस भवन में पास हुये हैं उनमें नियम५ के उपनियम ३ सेप्र ७ तक निकाल देने निश्चित हुये थे किन्तु देवनागरी की कापी में केवल पनियम ३ से ४ तक निकाल देना लिखा है जबकि अंग्रेजी की कापी में उपनि यम ३ से ७ तक देना सही लिखा है। यह लेख की अशुद्धि है जिसका ठीक होना अवश्यक है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि

[अध्यक्ष]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली १९५२ में नियम ५ के उपनियम ३ से ७ तक निकाल दिये जायं और हिन्दी प्रतिलिप को भी शुद्ध कर दिया जाय ।"

राजा वीरेन्द्र शाह जी, आप इसको सुन रहे हैं न ? इस संशोधन को वह पेश करना चाहते हैं । एक प्रकार से यह दुरुस्ती है । अंग्रेजी में तो ठीक है लेकिन हिन्दी के अनुवाद में गलती रह गई है ।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया यह एक प्रकार से कोई अमेंडमेंट (संशोधन) नहीं है बल्कि जो अशुद्धि रह गई है उसको दूर करने के लिये आपकी इजाजत से प्रस्ताव पेश हुआ है । इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं पड़ जाता । कमेटी ने जैसा तय किया था उसी के मुताबिक अंग्रेजी की जो रिपोर्ट है उसमें छपा हुआ है कि रूल ५ के सब-रूल ३ से ७ तक निकाल दिये जायं लेकिन हिन्दी में ३ से ७ तक के बजाय ३ से ४ तक छप गया है । रूल ४ मे जैसा लिखा हुआ है उसी का यह रूल ५ कांसीक्वेंस (परिणाम) है कि इस नियम के उपनियम ३ से लेकर ७ तक डिलीट कर (निकाल) दिये जायं । अगर नियम ४ जैसा मंजूर किया गया है और नियम ५ के उपनियम ५, ६ और ७ रहे जाते हैं तो चीज बेमानी हो जाती है, एक दूसरे का कांट्रेडिक्शन (विरोध) हो जाता है । मैं समझता हूं कि हाउस को इसमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये ।

अध्यक्ष---मैं यह समझूं कि सदन को कोई आपत्ति नहीं है कि यह संशोधन पेश हो ?

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में नियम ५ के उपनियम ३ से ७ तक निकाल दिये जायं और हिन्दी की प्रतिलिपि को भी शुद्ध कर दिया जाय ।

अध्यक्ष---अंग्रेजी में तो सही है और हिन्दी की प्रतिलिपि सामने है जिसमें ३ से ४ तक लिखा हुआ है जबकि ३ से ७ तक होना चाहिये ।

श्री बलवन्त सिंह---नियम ५ के उपनियम ३ से ७ तक निकाल दिये जायं, यह होना चाहिये था लेकिन गल्ती से ७ के बजाय ४ लिख दिया गया है ।

अध्यक्ष---३ से ४ तक निकालना तो मंजूर हो चुका है अब आपको यह प्रस्ताव करना है कि उपनियम ५ से ७ तक और निकाल दिये जयं ।

श्री बलवन्त सिंह---अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार से होगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में नियम ५ के अन्तर्गत उपनियम ५ से ७ और निकाल दिये जायं ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ५ के उपनियम ५ से ७ तक और निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं---

"नियम १९७ के खंड (ख) में, दूसरी पंक्ति में शब्द 'अच्छी तरह स्थापित हो' के स्थान पर शब्द 'लग' रख दिया जाय ।"

मैं इस संबंध में, माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान नियम १९७ की ओर दिलाना चाहता हूं, "निहित होने के दिनांक पर ऐसी बाग वाली भूमि, जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व बागदार के कब्जे में रही हो और जिसके लिये उक्त दिनांक पर कोई लगान देय न रहा हो, मालगुजारी देने से उस समय तक सप्रतिबन्ध मुक्त रहेगी जब तक उस भूमि पर इतनी संख्या में वृक्ष लगे रहें कि उनके कारण भूमि को काश्तकारी के लिये प्रयोग में न लगाया जा सके। (ख) यदि भूमिधर या सीरदार, निहित होने के दिनांक के बाद कोई बाग लगावे तो बाग अच्छी तरह स्थापित हो जाने के बाद वह किसी समय कलेक्टर को मालगुजारी और स्थानिक-कर से भूमि को सप्रतिबंध (Conditionally) मुक्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि जहां पर ये शब्द लिखे हुये हैं कि "अच्छी तरह से स्थापित हो जाय" यह बहुत ही गोल शब्द हैं। इसके क्या मानी लगते हैं ? यह हो सकता है कि किसी जोत में भूमिधर या सीरदार वृक्षारोपण करता है और कलेक्टर साहब के पास मालगुजारी के लिये सप्रतिबन्ध मुक्त करने के लिये दरख्वास्त करता है तब उसकी क्या हैसियत होगी ? तहसीलदार द्वारा अगर उनको रिपोर्ट मिलती रहेगी कि कब ये बागात लगाये गये और कब स्थापित हुये अच्छी तरह से, ऐसी परिस्थिति में श्रीमान् तहसीलदार और कलेक्टर के हाथ में कि वह जब यह समझे कि वे बाग जोत में अच्छी तरह से स्थापित हो गये हैं तब वे उसको सप्रतिबन्ध मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ऐसी जगह पर मैं समझता हूं कि "लग" रख दिया जाय तो बहुत ही मुनासिब होगा। कारण यह है कि अगर इसमें भी माननीय मंत्री को आपत्ति हो तो वह कोई समय नियत कर दें कि वृक्षारोपण के इतने साल पश्चात् मालगुजारी से भूमिधर या सीरदार को मुक्ति हो सकती है। कारण यह है कि दस साल तक या ५ साल तक जब तक कलेक्टर महोदय यह न समझें कि बाग अच्छी तरह से स्थापित हो गया है उस भूमि की सीरदार को या भूमिधर को जिसने वृक्षारोपण किया है उस आराजी की मालगुजारी देनी होगी। ऐसी दशा में जब कि वह खेत जोत नहीं सकता, बो नहीं सकता और कोई चीज पैदा नहीं कर सकता है तो अपने घर से मालगुजारी देता रहे तो यह सचमुच बहुत ही अनुचित होगा। मुमकिन है कि हमारे माननीय मंत्री जी यह कहें कि शुरु आत में बहुत सी चीजें वह बो सकता है और साल दो साल तक और चीजें पैदा कर सकता है। इसके उपरान्त मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि स्थापित के मायने यह भी लगाये जायंगे कि जब तक उन पर फल न आ जायं और काफी दिनों के बाद जब कलेक्टर महोदय इस बात पर आमादा न हो जांय तब तक उसको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। किसी तहसीलदार या कलेक्टर के हाथ में किसी भूमिधर या सीरदार के अधिकार को इस तरह से सौंप देना किसी तरह से ठीक प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर मेरी बात को मंजूर नहीं किया गया तो भूमिधर के लिये तो यह है ही और काश्तकार जो होंगे उनके लिये भी अपनी जोत में पेड़ लगाने के संबंध में कठिनाई पैदा होगी। इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ऐसी दशा में मैं यह बातें कहकर अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री चरण सिंह--मुझे खेद है कि इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता और उसका कारण यह है कि उनका संशोधन जो है उससे उनका ही मन्शा पूरा नहीं होता है। जो अब नियमावली है उसके शब्द यह हैं कि वह अच्छी तरह से स्थापित हो जाय उसके स्थान पर लग जाय के क्या मायने होते हैं ? बाग स्थापित हो जाने में और बाग लग जाने में क्या अन्तर है ? कलेक्टर तो हो सकता है लग शब्द रखने पर भी यह कह सकता है कि जब तक फल न आवे पूरी तरह से स्थापित होने के मायने तो यही हैं कि ठीक तरह से लग न जाय। पौधे लगने से तो बाग नहीं हो सकता है। यह तो ऐसे शब्द हैं जिनको हमें अपने अफसरों की गुडसेन्स (सद्विवेक) पर छोड़ना पड़ेगा। लफ्जों की परिभाषा वैसे ही मुश्किल होती है। उसमें प्लान्टेशन (वृक्ष-कुंज) लगाने के या सही तरीके से स्थापित होने के क्या मानी है ? यह तय करना बड़ा मुश्किल है। जो आपको आशंका "स्थापति" शब्द से है वही "लग" शब्द के रखने से हो सकती है।

[श्री चरण सिंह]

इससे आपका मन्शा पूरा नहीं होता है। जब वह अच्छी तरह से स्थापित हो जाय के मायने यही हैं जो कि अंग्रेजी के अन्दर हैं कि "when the grove is well established" जब वह पूरी तरह से स्टैब्लिश (स्थापित हो) जाय। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नही कर सकता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बतला देना जाहता हूं कि अगर लगने का मतलब दूसरा लगाया जा सकता है तो मैंने पहली मर्तबा यह भी निवेदन किया था कि कोई समय नियत कर दिया जाय लेकिन वह उसका समुचित उत्तर नहीं दे सके। जहां वेल स्टैब्लिशड (अच्छी तरह से स्थापित) होने का सवाल है उसका मतलब तो यही है कि जब तक वह अच्छी तरह से स्थापित न हो जाय। मेरा "लग जाने" से मतलब यह है कि वेल प्लान्टेड। हिन्दी के रूल्स होने की वजह से वह साफ नहीं है। इसमें जो है कि "अनटिल दि ग्रोव इज़ वेल स्टैब्लिशड" इसकी जगह "अनटिल दि ग्रोव इज़ प्लान्टेड"। अगर यह भी मंत्री जी को मंज़ूर न हो तो वह कोई समय मुक़र्रर कर दें कि बाग लगाने के इतने दिनों तक वह दरख़्वास्त दे सकता है और उस समय के बाद वह एप्लाई कर सकता है कि अब लगान माफ़ कर दिया जाय। यही मेरा मतलब था। मैं समझता हूं कि यह समय अधिक से अधिक ३ साल और कम से कब २ साल कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह---मुझे अफ़सोस है कि उनकी दलीलों से मेरे दिमाग पर असर नहीं पड़ा। हम एक रिआयत करने जा रहे हैं और हम चाहते ह कि बाग हमारे यहां ख़ूब लगें और बाग जहां लग जांयगे तो वहां सरकार मालगुज़ारी माफ कर देगी। आप का मतलब यह है कि जहां कहीं गमले में पौधे लगें मालगुज़ारी माफ कर दी जाय चाहे वह पेड़ बड़े हों या न हों, उनकी हिफ़ाजत हो या न हो, चाहे उनको गाय या भैंस ही खा जांय। हमारा मंशा यह है कि जब बाग स्टैब्लिश (स्थापित) हो जाय तब माफ़ हो और उस के बाद हमेशा बाग की मालगुज़ारी माफ़ रहेगी और बाग तो आम तौर पर दो चार पीढ़ी चलते हैं। जब सरकार बागों को इतना फ़रोग़ देने कि लिये इतनी बड़ी रियायत करने जा रही है तो वह यह नहीं चाहती कि उसकी मंशा के खिलाफ़ कोई इस तरह की गुंजायश रह जाय कि तैयार न हो लेकिन मालगुज़ारी माफ़ हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम १९७ के खंड (ख) में, दूसरी पंक्ति में शब्द "अच्छी तरह स्थापित हो", के स्थान पर शब्द "लग" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

"नियम २०० की दूसरी पंक्ति में शब्द "या सूख गये हैं तो चाहे भूमि में खेती न भी की गयी हो" के स्थान पर शब्द "और खेती की गयी हो" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जहां भूमिधर या सीरदारों ने पेड़ कटवा डाले हैं वहां तो ज़िम्मेदारी होती है कि आराज़ी को जोत में नहीं लाता है तो मालगुज़ारी देता रहे।

नियम २०० यह है कि यदि कलेक्टर को सन्तोष हो जाय कि वृक्ष काट डाले गये हैं या सूख गये ह तो चाहे भूमि में खेती न भी की गई हो वह मालगुज़ारी या स्थानिक कर को जिस की इस प्रकार छूट दी गई हो फिर से लगा देगा।

R.A. 742

अब यह कि वह खेती करता है या नहीं करता है, यह उसकी जिम्मेदारी है। इस समय जमीदारों के समक्ष यह कठिनाई है कि चाहे हमारे वृक्ष सूख गये हो परन्तु हमको अधिकार नहीं है कि हम उनको कटवा सकें। भूमिधरों को भी यह अधिकार नहीं होगा जबतक कि प्रादेशिक सरकार अनुमति न दे दे। इसका कोई प्रश्न नहीं है कि संविधान के अनुसार यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जबकि वृक्ष सूखे हैं हमसे मालगुजारी मांगी जाती है लेकिन हम उन्हें कटवा नहीं सकते। यह अन्यायपूर्ण बात होगी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि फ़ारेस्ट ऐक्ट के अनुसार आज किसी भूमिधर या सीरदार को यह अधिकार नहीं है कि सूखे वृक्ष को बगैर प्रादेशिक सरकार की अनुमति के वह कटवा सके। तो फ़ारेस्ट ऐक्ट को बदल दिया जाय तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है और मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। इससे भुमिधर को बिलावजह एक परेशानी होती है।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य के संशोधन को मान लिया जाय तो फिर नियम २०० का मतलब यह हो जाता है, यदि कलेक्टर को संतोष हो जाय कि वृक्ष काट डाले गये हैं और खेती की गयी हो, तो चाहे भूमि में खेती की गई हो, वह मालगुजारी या स्थानिक कर को, जिसकी इस प्रकार छूट दी गई हो, फिर से लगा देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दरख़्त आपने काट लिये और खेती नहीं की तो मालगुजारी लग ही नहीं सकती क्योंकि आप यह कह रहें हैं कि वृक्ष सूख गये हों, काट डाले गये हों और उसमें खेती की गई हो। उस पर मालगुजारी लगेगी। जो अब नियम है वह यह है कि चाहे खेती की जाय या न कीजाय, दरख़्त कट जावगें या सूख जायेंगे, मालगुजारी देने का लाएबिल (दायित्व) होगा। आप कहते हैं कि नहीं, मालगुजारी वह तभी दे जबकि खेती की गई हो। मान लो कि एक आदमी के दरख़्त सूख गये और वह खेती नहीं करता है, तो इस संशोधन से इसमें यह हुआ कि जब तक वह खेती नहीं करे तबतक वह मालगुजारी न दे। मैं तो समझता हूं कि यह मंशा आपका भी नहीं है। आपने आपत्ति की कि प्राईवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट है। वह इजाजत नहीं देता। अगर आपके वृक्ष सूख गये हैं या किसी और वजह से आप काटना चाहते हैं तो वह इजाजत दे ही देगा चाहे वह २-३ महीने में मिले। मालगुजारी ६ महीने में एक बार देनी पड़ती है। इसलिये वह कोई इतनी बड़ी मुद्दत नहीं है जिससें उनको इजाजत न मिले और इस प्रकार यह कोई अन्याय नहीं है। अगर मान लो तीन महीने वे दरख़्त खड़े रह गये या एक फसल की मालगुजारी उसे देनी ही पड़ी, तो उसमें अन्याय क्या है? लेकिन इस संशोधन के स्वीकार होने से लोगों को लूपहोल (गड़बड़ी करने का साधन) मिल जायगा। दरख़्त लगे हुये काट डालेंगे और खेती नहीं करेंगे। जब तक वह खेती नहीं करेगें तब तक मालगुजारी नहीं लग सकेगी। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह संशोधन तो बहुत ही मुनासिब है इस वजह से जब तक खेती न की जाय तब तक उस पर मालगुजारी नहीं पड़नी चाहिये। अगर बड़े जोर की आंधी आवे और पेड़ गिर जाँय, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है तो उस हालत में फिर मालगुजारी न बढ़ेगी क्योंकि इसके दो ही तरीके हैं। या तो दरख़्त काट लिया जाय या सूख जाय। अगर जोर की आंधी आये और उसकी वजह से हर पेड़ गिर जाय तो उस हालत में क्या मैं यह समझूं कि माननीय माल मंत्री जी यह मानते हैं कि उस समय मालगुजारी नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं तो यह मुनासिब समझता हूं कि जब तक खेती न की जाय तब तक उस पर मालगुजारी न पड़े। और या तो आप कोई टाइम मुकर्रर कर दीजिये कि जमींदार का पेड़ अगर गिर जाय, या कट जाय या सूख जाय तो जब तक वह दूसरा पेड़ न लगा ले तीन या पांच साल के अन्दर, तब तक उस पर मालगुजारी न पड़े उसके पश्चात् उस पर मालगुजारी पड़े।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि यह संशोधन जमींदारों की पुरानी प्रवृत्ति को फिर से लागू करना चाहता है। क्योंकि पहले जमींदार एक बार खेती कर लेते थे और उसको हमेशा के लिये परती छोड़ देते थे। अब भी जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन इस प्रकार की है। मुझे ऐसा डर है कि ये फिर वैसा ही करेंगे। कुछ समय के लिये उसमें पेड़ लगवा देंगे और फिर कटवा डालेंगे और फिर उसमें कोई घास उगायेंगे या और किसी तरीके से उसको बेकार रखेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने यह आपत्ति की है कि आपके साथ इतनी रियायत की गयी और उसके बाद अगर आपको एक या दो साल का लगान यों ही देना पड़ेगा तो इसमें क्या।

श्री चरण सिंह—मैंने यह कभी नहीं कहा कि आपके साथ रियायत की गयी बल्कि मैंने यह कहा कि सब के साथ रियायत की गयी।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—सभी के साथ रियायत की गयी तो उन सभी में तो हम भी हैं। हममें और उनमें फर्क क्या रहा।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य के लिये "आप" शब्द कहना गलत है। यहां पर "आप" शब्द अध्यक्ष के लिये लागू होता है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। अगर किसी भी भूमिधर या सीरदार द्वारा आपको कुछ दिन लगान न मिले तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? जब आपने एक दफा रियायत करदी तो फिर कोई कारण नहीं मालूम होता कि आप आइन्दा चल कर उस रियायत को छीन लें। जो रियायत आपने की उसके लिये हम मशकूर हैं।

दूसरी बात यह कि माननीय माल मंत्री जी ने यह फरमाया कि पेड़ सूख जाने की हालत में ५-६ महीने में अनुमति तो मिल ही जाती है और अगर पेड़ गिरे होते हैं तो फिर क्या कठिनाई होती है यह मैं आपको बतलाऊं कि अध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि जिलाधीश के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है कि वे पेड़ काटने की अनुमति दे दें। परन्तु सरकार के द्वारा ही इस पर निर्णय हो सकता है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कलेक्टर को भी इस बात की इजाजत हो कि वह भी इसकी अनुमति दे दे। दूसरी बात यह है कि जब तक किसी खेत में कोई चीज बोई न जाय तब तक मालगुजारी न ली जाय। माननीय मंत्री जी को भय है कि खेत बरसों तक खाली रखे जायेंगे तो मेरा सुझाव यह है कि उसके लिये कोई समय निर्धारित कर दिया जाय, एक साल रख दें, दो साल रख दें और अगर उसके बाद बोवे तो लगान लिया जाय और उसके बाद भी जोत में न ले तो भी लिया जाय। इसके अलावा इसमें एक बात और है जिसे मैं अनुचित कहता हूं कि मान लीजिये उसको अनुमति मिल गई और दरख्त काट डाले गये लेकिन खेत इस काबिल नहीं है कि उसको जोत सकें या बो सकें तब क्यों हमसे लगान लिया जाय जब हम लाभ उठा नहीं रहे हैं। जो चीज हमारे कब्जे में नहीं है और जिससे हमने लाभ उठाया नहीं है उसके लिये मालगुजारी लेना तो वैसा ही है जैसे लखनऊ में किसी मकान का किराया मुझसे लिया जाय जब किरायेदार साहब उसमें कोई और तशरीफ रखते हों। जो जोतता है उससे आप ले सकते हैं और अगर रियायत की गई है तो उसको कायम रखें। हम उसके लिये आपके मशकूर हैं। मैं फिर मंत्री जी से कहूंगा कि इसको मान लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री चरण सिंह---मुझे अफसोस है कि मैं अपने माननीय मित्र से सहमत नहीं हूं और अपने विरोध पर अब भी कायम हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम २०० की दूसरी पंक्ति में शब्द "या सूख गये हैं तो चाहे भूमि में खेती न भी की गयी हो", के स्थान पर शब्द "और खेती की गयी हो" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि नियम २०१ के उपनियम (२) में प्रथम पंक्ति में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर" रख दिया जाय।

नियम १९९ और २०० के अधीन दिया गया है कि कलेक्टर की आज्ञायें अंतिम होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उसकी जगह कमिश्नर रख दिया जाय। "कमिश्नर" से मेरा मतलब "लैंड रिफार्म्स कमिश्नर" है क्योंकि भूमि-व्यवस्था से संबंधित सारे मामलात "लैंड रिफार्म्स कमिश्नर" से होते हैं, डिवीजनल कमिश्नर से नहीं।

अध्यक्ष---आपका यह संशोधन वैधानिक नहीं मालूम होता है। उपनियम १९९ और २०० में कलेक्टर का जिक्र है, कमिश्नर का कहीं जिक्र आया नहीं है। अगर कमिश्नर आ जायगा तो दो परस्पर विरोधी नियम नहीं आ सकते। आप इसको स्पष्ट कीजिये कि क्या कहते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें है कलेक्टर की आज्ञायें अंतिम होंगी इसमें जहां तक रिवीजन (पुनरीक्षण) की पावर्स (शक्ति) हैं उनको मैं चाहता हूं लैंड रिफर्म्स कमिश्नर के पास दी जायं ?

यह मैं नहीं कहता कि कलेक्टर को इस की पावर न हो। शक्ति तो हो, लेकिन उसका अंतिम निर्णय लैंड रिफार्म्स कमिश्नर या कमिश्नर करे।

अध्यक्ष---लेकिन आपने उसकी कोई अपील तो कमिश्नर के पास रखी नहीं है। अंतिम निर्णय कमिश्नर का होगा, इसका मतलब कुछ निकलता नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। मैं इसको अवैध करार देता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :--

"नियम २०४ के प्रथम प्रतिबन्ध के खंड (ख) की पंक्ति २ से शब्द 'और ऐसी धनराशि की दुगनी से अधिक' निकाल दिये जायं।"

श्रीमान्, इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि जिस समय कोई सीरदार लैंड मैनेजमेंट कमेटी से भूमि ले तो नियम के अनुसार लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो उस भूमि पर लगान निर्धारित करेगी वह दर हेरिडिटरी रेट्स (मौरूसी दर) से कम नहीं हो सकता है। उसके साथ ही साथ सरकार लैंड मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार देती है कि यदि वह चाहे तो सीरदार को लगान बढ़ा दे और बढ़ा कर उस धनराशि से ऊपर न हो जो कि उसके हेरिडिटरी रेट्स के लगान से दुगुना हो।

श्रीमान्, इस संबंध में मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक भूमिधर के अधिकार का प्रश्न है सरकार ने दस गुना लगान ले कर भूमिधर को ऐसे अधिकार दिये हैं जो कि किसी भी काश्तकार के लिये बहुत आकर्षक हैं। जिस काश्तकार के पास रुपया था या अब जिसके पास रुपया होगा शायद ही कोई काश्तकार हो जो रुपया होते हुये भी भूमिधर न बनना चाहे। हो सकता है कि सरकार कुछ और कारण समझती हो कि जमींदारी अबालीशन फंड पूरा पूरा वसूल क्यों नहीं हुआ या इतना कम क्यों वसूल हुआ, परन्तु मैं समझता हूं कि इसका खास कारण यही था कि काश्तकार के पास भूमिधर बनने के लिये रुपया नहीं था। इसलिये जाहिर है कि वह सीरदार जो कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी से जमीन

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

लेगा उसके पास रुपया नहीं है भूमिधर बनने के लिये। ऐसी हालत में जब वह इतना गरीब है, तब उससे हेरिडिटरी राइट का लगान दुगना कर दिया जाय मैं समझता हूं उसके लिये जरा दुख और कष्ट की बात होगी।

दूसरी बात, श्रीमान् यह है कि और अधिकार जो भूमिधरको प्राप्त हुये हैं उनमें एक यह भी है कि उस का लगान दस साल तक बढ़ेगा। यह मैं मान सकता हूं कि एक प्वाइन्ट हो सकता है, और मानने योग्य भी है कि जहां तक लगान का सवाल है, सीरदार और भूमिधर में फिर फर्क ही क्या रह जाता है। श्रीमान्, मैं निवेदन यह करूंगा कि आज कल काश्तकार की हालत देखते हुये अभी कम से कम कुछ दिनों तक के लिये तो लगान के मामले में सीरदार और भूमिधर में कोई अन्तर रखना शायद उचित न हो, और अन्य अधिकार जो भूमिधर को दिये गये है वह सीरदार को नहीं मिलेंगे। परन्तु यह अन्तर रखना भूमिधर और सीरदार में कि सीरदार का लगान दुगना तक हो सकता है और खासतौर से सरकार अपने हाथ में इस चीज को न रखे बल्कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में दे दे जो जब चाहे सीरदार का लगान जमीन उठाते समय दुगना कर सकती है, मैं समझता हूं उचित न होगा। परन्तु अगर सरकार ऐसा करना ही चाहती है तो यह अधिकार अपने हाथ में ले, क्योंकि लैंड मैनेजमेंट कमेटी अभी बनी नहीं है। एक नई चीज होगी, पता नहीं वह एक्सपेरिमेंट कैसा चलेगा, किस तरह से उसमें काम होगा, कैसी उसमें आइन्दा पार्टी बंदियां हों, न मालूम क्या क्या और बातें उसमें हों। इसलिये एक इतना बड़ा अधिकार उनके हाथ में दे देना कि किसी सीरदार का लगान दुगना किया जा सके, उचित नहीं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार यह चाहती है तो अधिकार अपने ही हाथ में रखे अगर आवश्यक हो, परन्तु अगर दूने लगान का सवाल ही न रहे तो ज्यादा अच्छा है।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसमें काफी वजन है, लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी है, जो मालूम होता है उनकी आंखों से ओझल हो गया है। जो हेरेडिटरी रेट्स बन्दोबस्त में मुकर्रर हुये थे वह बहुत दिन पहले मुकर्रर हो गये थे और जिस जमीन पर एक रुपया फी एकड़ या ३ रु० फी० एकड़ मुकर्रर हुये थे, हो सकता है कि इस बीच में आबपाशी का जरिया हो गया हो, उसके पास मंडी हो गयी हो, उसके पास से सड़क निकल गयी हो और भी कोई सहूलियत उसके पास हो गयी हो। तो जिन दशाओं में पहले रेट्स मुकर्रर किये गये थे और आज में बहुत अन्तर पड़ गया है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि लैंड मनैजमेंट कमेटी हर मामले में दुगुना ही मुकर्रर करे। उसको अधिकार दे रहे हैं कि दुगुना तक मुकर्रर कर सकती है, जमीन की हैसियत और दूसरे सरकमस्टांसेज (परिस्थितियों) को नजर में रखते हुये। फिर जमीन की हैसियत सड़क या आबपाशी या मंडी के निकट होने के कारण तो बढ़ ही जाती है।

दूसरी बात यह है कि मसलन बांदा की तरफ पान की खेती होती है। अगर आप बन्दोबस्त के कागजात देखें तो बहुत सी जगह जहां अब पान की खेती होती है उसके हेरीटिडरी रेट्स बहुत कम हैं और पान की खेती करने वाले जो दे रहे हैं वह ५० रुपया एकड़, १०० रुपया एकड़ दे रहे हैं। इसी तरह से तम्बाकू की खेती जहां होती है वहां-तम्बाकू भी एक क़ीमती चीज है और ५० रुपया फी एकड़ तो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का एक्साइज (उत्पादन-कर) है उस पर जो वह लेती है, उस के बाद भी तम्बाकू की खेती करना लोग लाभदायक समझते हैं क्योंकि उस में बड़ी आमदनी होती है। तो पान की खेती के लिये और तम्बाकू की खेती के लिये जो जमीन उपयुक्त है, अगर उसमें लैंड मैनेजमेंट कमेटी हेरेडिटरी रेट्स दुगुने तक लगा दे तो मैं समझता हूं कि ऐसा अधिकार उस कमेटी को देना कोई बेजा बात नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम एक सीलिंग (उच्चतम) रख रहे हैं, एक बार, लिमिट (रोक-सीमा) रख रहे हैं। यह नहीं कर रहे हैं कि दुगुने तक कर दिया जाय। कमेटी तो सिर्फ जमीन की हैसियत को देख कर और दूसरे वाकयात को देख कर दूना कर सकती है। इसलिये नियम में रखा है। यह नहीं कि वह हर केस में दुगुना करे। वैसे वह आमतौर पर नहीं करेंगे, यह तो उनको अख्तियार तमीजी दे दिया है कि वाकयात को देख कर करें।

मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने बयान की हैं, उनको ध्यान में रखते हुये शायद मेरे लायक़ दोस्त संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैज़ाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री की बातें सुनीं। संशोधन के प्रस्तावक ने अपने भाषण में यह कहा था....

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब समय नहीं है। एक बज कर पन्द्रह मिनट हो चुके हैं।

माननीय सदस्य सवा दो बजे अपना भाषण जारी रखेंगे।

विधान सभा का साप्ताहिक कार्यक्रम

अध्यक्ष—अब माननीय राजस्व मंत्री इस हफ्ते का क्या कार्यक्रम होगा, कुछ कहना चाहेंगे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—यह जो आज एजेन्डे पर काम लिखा हुआ है, वही विषय इस हफ्ते के लिये होगा। बाकी यह हो सकता है कि एक आध बिल के संबंध में आप से दरख्वास्त करूं कि इसका आर्डर (क्रम) बदल दीजिये।

अध्यक्ष—आर्डर का सवाल नहीं है। विषय तो यही रहेंगे।

श्री चरण सिंह—जी हां। और एक विषय और होगा वह यह कि डेट रिडक्शन बिल का इंट्रोडक्शन (ऋण कम करने के विधेयक का पुरःस्थपन)।

अध्यक्ष—इसमें होगा।

श्री चरण सिंह—जी हां इसी हफ्ते में होगा।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार (क्रमागत)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैज़ाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ज़मींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ में जब नयी ज़मींनों का गांव समाज द्वारा बटवारे का सवाल था तो उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि पहला प्रिफ़रेन्स (अधिमान) तो कोआपरेटिव को दिया जायगा, उसके बाद भूमिधर को दिया जायगा और भूमिधर के बाद कोई ज़मीन बचेगी तो ऐसे आदमी को दे दी जायगी जिसके पास सवा छः एकड़ से कम ज़मीन है। और इस सदन में अभी उस दिन एक नियम पास हुआ जिसमें यह कहा गया था कि हरिजनों के अलावा अगर नयी ज़मीन गांव समाज किसी को दे और कोई आदमी एक ही आर्डर आफ़ प्रिफ़रेन्स (अधिमान क्रम) के हों तो उनमें लाटरी डाली जायगी। मैंने उस समय निवेदन किया था कि लाटरी डालने के बाद जब उसकी तक़दीर का फ़ैसला स्वयं ही हो जाता है और कोई चीज़ उसको नहीं देनी चाहिये। लेकिन उस दिन यह तय हुआ था कि जो हेरेडेटरी रेट है ज़मीन का उसका दस गुना के क़रीब उस को और देना पड़ेगा। अब इस रूल के द्वारा नये बन्दोबस्त में लगान को भी दूना तक बढ़ा देने की व्यवस्था की जा रही है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि यह व्यवस्था इसलिये नहीं की जा रही है, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने बताया था कि संभव है कि उस ज़मीन में तम्बाकू की खेती

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हो गयी हो या सिंचाई की नयी व्यवस्था हो गयी हो । तो अगर कोई सिंचाई की नयी व्यवस्था हो गयी हो तो उस के लिये तो कोई नया विधेयक आने वाला है जिसके द्वारा दर बढ़ाई जायगी और तम्बाकू की खेती के बारे में तो दूसरा रेट लागू हो जाता है । तो असलियत तो यह है कि हमारी सरकार चूंकि एक ग़लती कर चुकी है भूमिधर के पक्ष को लेकर इसलिये जब कभी भूमिधर और सीरदार का प्रश्न आता है तो सरकार की तरफ़ से भूमिधर का पक्षपात किया जाता है और सीरदार को हर तरह से दबाया जाता है कि वह हर हालत में दब कर भूमिधरी का दस गुना जमा कर दिया करे । इस रूल द्वारा यही व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है । इसमें हरिजनों को भी सब से बड़ी तकलीफ़ होगी । हमारी सरकार हरिजनों की बहुत पक्षपाती है और महात्मा गांधी का बार बार उसकी तरफ से नाम लिया जाता है । जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ पर जब हम ध्यान देते हैं तो उसमें अगर वाकई सरकार की बात सही है तो सब से पहले आर्डर के प्रिफ़रेन्स में हरिजनों का स्थान होना चाहिये था लेकिन वहां कोआपरेटिव फार्म को स्थान दिया गया है । खैर, कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये कुछ गुंजायश की जा सकती है मगर दूसरे नम्बर पर हरिजन का नाम आना चाहिये था । वहां भी उस का नाम न आ कर भूमिधर का नाम आया और उस के बाद हरिजन का नाम आता है । और उस नियम में तो हरिजन को छूट जरूर दी गयी थी कि नये बन्दोबस्त में उससे हेरिडेटरी रेट का दस गुना नहीं लिया जायगा । मगर इसमें हरिजन की भी जमीन का लगान दूना हो जायगा । तो इस तरह से ग़लती सरकार की तरफ़ से की जा रही है और मेरी यह राय है कि भूमिधर और सीरदार में पक्षपात करने के लिये हमेशा सरकार एक ग़लती के बाद दूसरी ग़लती करती चली जा रही है । मैं तो जोरों के साथ कह सकता हूं कि सरकार की भूमिधरी की नीति बिल्कुल फ़ेल हो गयी है । अब इन छोटे-छोटे नियमों में या आगे आने वाले नियमों में सीरदार का विरोध करके या भूमिधर का पक्षपात करके सरकार अगर यह चाहे कि १८० करोड़ रुपया इकट्ठा हो जायगा तो यह बात नहीं होने की । तो मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से कहूंगा कि वह ऐसी दलीलें न दें जिन का हम लोगों पर कोई असर न हो और कम से कम यह स्वीकार करें कि वह भूमिधर और सीरदार में फ़र्क करना चाहते हैं और इसी लिये इस रूल की आवश्यकता पड़ी ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन के संबंध में आप के द्वारा जो मैंने सरकार से निवेदन किया उसके उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री ने जो हेरेडेटरी रेट की बात कही उसमें काफ़ी वजन जरूर है । मेरे ध्यान में भी पहले यह था जिस समय मैंने यह संशोधन उपस्थित किया था कि हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह हों जहां पर लैंड अब ज्यादा डेवलप (विकसित) हो गया हो, या नहर निकल गयी हो, या सड़क निकल गयी हो, लेकिन ज्यादा जोर मैं इस बात पर दे रहा था और अब भी उस पर जोर देने के लिये मजबूर हूं कि जहां तक लगान का सवाल है वहां पर यदि सरकार भूमिधर और सीरदार में कोई फ़र्क न रखती तो ज्यादा अच्छा होता । वैसे तो भूमिधरों को और भी बहुत से अधिकार प्राप्त हैं लेकिन जहां तक लगान का सवाल है वहां पर मेरे विचार से भूमिधर और सीरदार में कोई फ़र्क न रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और अगर सरकार को यह चिन्ता है कि आयन्दा दस गुना लगान मिलने में कोई रुकावट होगी तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है क्यों कि यह अधिकार कि लगान ४० साल तक बढ़ेगा नहीं इसके अलावा और भी बहुत से अधिकार भूमिधरों को प्राप्त हैं जिससे सीरदार जिनके पास रक़म होगी वह भूमिधर बनना चाहेंगे और उन्हें इनिशियेटिव (प्रेरणा) जरूर रहेगा लेकिन जहां तक लगान का सवाल है यदि दो क्लास न बनायी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा । ऐसा करना साइकोलाजिकली (मनोवैज्ञानिकरूप से) भी ठीक नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं कि एक जमींदार को हटा कर इतने अधिकार भूमिधरों को दे दिये हैं और सीरदार को नहीं दिये । इससे तर्क में वजन आ जाता है और लगान में फ़र्क रहता है । भूमिधरों के पास वैसे भी काफी अधिकार हैं और सीरदार को इनीशियेटिव रहेगा । इसलिये इसमें मेरे ख़याल से किसी प्रकार का अंतर न होने से लैंड इकोनोमी (भूमि-व्यवस्था) और सोसाइटी का लिहाज करते हुये, अगर ऐसा कर

दें तो ज्यादा सुन्दर होगा । इसलिये मैं मजबूर हूं और इसको वापस नहीं ले सकूंगा क्यों कि मेरा बेसिस (आधार) यही था कि जहां तक लगान का सवाल है दोनों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अचरज का कोई ठिकाना नहीं है और बुद्धि में नहीं आता है कि किस प्रकार सीरदार और भूमिधर में कोई भेद या इमत्याज किया जा रहा है । मैं बहुत खुशी से बैठ जाने को तैयार हूं अगर कोई मुझे समझाने की कोशिश करे। दफा १९५ जो जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था विधेयक की है उस में गांव सभा को जमीन देने के अधिकार दिये गये हैं । दफा १९८ में आर्डर आफ़ प्रेसीडेंस (पूर्वता क्रम) दिया हुआ है और इस नियम में जिन लोगों को जमीन दी जाय उनके लिये लगान मुकर्रर करने का कायदा दिया है हमने लिखा है कि कोआपरेटिव को पहले हक होगा, भूमिधर को दूसरा, छोटे काश्तकारों को तीसरा तथा भूमिहीन आदमियों को चौथा हक होगा । इसमें चाहे कोई भी जमीन ले, भूमिहीन ले या भूमिधर ले या कोआपरेटिव ले, सब के लिये लगान यकसां होगा। हमने कहां यह रखा है कि गांव सभा जो भूमिधर को जमींन देगी उसका लगान कम होगा और सीरदार को जो जमीन मिलेगी उस को ज्यादा देना होगा ? जो आदमी उस भूमि को लगान पर लेगा वह सीरदार होगा । और भूमिधर यदि उस को लेगा तो वह उस जमीन का सीरदार होगा । इसलिये ऐसी कोई चीज इसमें नहीं रखी गयी है । जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मेरी बुद्धि में हरगिज यह चीज नहीं आती है । तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ लोगों को पीलिया का रोग हो जाता है जिनको हर जगह वही चीज नजर आती है । कहां है इसमें भूमिधर या जमींदार और किस के साथ पक्षपात किया जा रहा है ? तो यह कहना कि भूमिधर में गवर्नमेंट ने ग़लती की, मैं कहता हूं कोई गल्ती नहीं की, जो कुछ किया वह जस्टीफाइड (न्यायोचित) है। एक गल्ती कर बैठे थे उसको पानी दे रहे हैं। दिमाग़ में एक बात बैठ गयी और हर नियम में वही चीज देखने की कोशिश करना यह कहां तक न्यायसंगत है । हर आदमी को चाहे जो कहने का हक़ है परन्तु इससे सदन का समय नष्ट होता है । हमने यह क्यों किया ? हो सकता है कि हेरिडिटरी रेट्स जो मुकर्रर हुये थे उनका बन्दोबस्त आज से ४० साल पहले हुआ था इस बीच में जमीन की हालत बदल गयी हो, सड़क, बाजार पास से निकल गये हों, आबपाशी के जराय निकल गये हों। उसकी वजह से उसकी हैसियत बढ़ जाती है।

दूसरी बात यह है कि उस जमीन में कोई क़ीमती चीज, पान अथवा तम्बाकू बोई जाती हो ऐसी सूरत में गांव सभा दूने तक लगान मुकर्रर कर सकती है । यह भी नहीं है कि दूना ही मुकर्रर करे, चाहे तो ड्योढ़ा या सवाया कर सकती है और अगर वह जरूरी समझे .क जमीन की हैसियत काफ़ी बढ़ गई है तो वह दूने लगान तक मुकर्रर कर सकती है । अब यह शख्स भूमिधर हो तो उसको उस लगान का १० गुना देना होगा और कहीं तो भूमिधर का ताल्लुक ऐसी जमीन से पड़ सकता है तो भूमिधर के ख़िलाफ यह चीज पड़ती है क्योंकि उसको उस बढ़े हुये लगान का १० गुना देना होगा । तो भूमिधर के विपरीत यह चीज पड़ती है । हर जगह हेरिडिटरी रेट होगा जो आउट आफ़ डेट (असामयिक) हो चुका है । फिर गांव सभा के अधिकार हैं कि वह चाहे तो वही रेट मुकर्रर कर दे । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का फिर विरोध करता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---एक प्रश्न श्रीमन् की आज्ञा से पूछना चाहता हूं । मैं राजस्व मंत्री से आप के द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी भूमि खाली होती है जिस पर भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तो क्या उस का लगान बढ़ सकेगा।

श्री चरण सिंह---बेशक बढ़ सकेगा । वह जमीन जिसे चाहे गवर्नमेंट ने वेस्ट की हो, चाहे बन्जर पड़ी हो, चाहे सीरदार, मालिक हो या भूमिधर मालिक हो किसी तरह से भी जब वह जमीन गांव सभा के पास आ जायगी तो गांव सभा पूरी मालिक होगी और गाँव-सभा जिस शख्स को उठायेगी वह शख्स सीरदार होगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम २०४ के प्रथम प्रतिबंध के खंड (ख) की पंक्ति २ से शब्द "और ऐसी धनराशि की दुगुनी से अधिक" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गजन्द्र सिंह (जिला इटावा)---मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नियम २०८ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपनियम (१) रखा जाय--

"(१) ऐसी स्थिति में जिनमें राज सरकार मालगुजारी की वसूली का काम तहसीलदार को सौंपे भुगतान साधारणतः उस तहसील के तहसीलदार के कार्यालय में किया जायगा जिसकी सीमाओं के भीतर वह खाता स्थित हो जिसके निमित्त भुगतान किया जाय पर ऐसी स्थिति में मनीआर्डर के जरिये भी तहसीलदार के पास मालगुजारी भेजी जा सकती है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम २०८ के उपनियम २ में सरकार ने मालगुजारी वसूल करने की व्यवस्था अमीनों के द्वारा की है यानी अमीन सरकार द्वारा नियुक्त किये जायंगे वह मालगुजारी वसूल करेंगे। इसके साथ साथ कहीं पर अमीनों को मालगुजारी देने के लिये कुछ लोग सहमत नहीं हो सकते हैं इसलिये सरकार ने तहसीलदार के आफिस में मालगुजारी जमा करने की आज्ञा दी है। २०८ (१) के मुताबिक मैं चाहता हूं कि जहां तहसीलदार के आफिस में जा कर तहसीलदार को रुपया दिया जाय उस के साथ साथ यह भी जोड़ दिया जाय कि मनीआर्डर से भी रुपया भेजा जा सकता है। परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि किसी जगह पर अमीन जाता है वहां पर झगड़ा हो जाता है या वह लोग अमीन को नहीं देना चाहते हैं या ऐसा हो सकता है कि वसूल करने के लिये अमीन के पास बहुत से गांव हों वहां पर वह नम्बर से जायगा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से काश्तकार हों वह घर पर न मिलें या दूसरे या तीसरे टर्न (बारी) में भी न मिलें। ऐसी सूरत में जहां वह तहसीलदार के आफिस में रुपया जमा करेंगे इसके अलवा उनको यह अधिकार और दिया जाय कि वह मनीआर्डर के जरिये से भी रुपया भेज सकें। तहसील का हेडक्वार्टर बहुत दूरी पर होता है इसमें किसानों को परेशानी कम होगी। मनीआर्डर से भेजने में उनको आसानी हो जायगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे किसान हो सकते हैं कि जो अमीन को न दें और तहसीलदार के आफिस में उनको आने में परेशानी हो और समय भी खर्च हो सकता है। ऐसी सूरत में हम यह भी चाहते हैं कि जहां पर तहसीलदार के आफिस में रुपया जमा करने का अधिकार देते हैं वहां मनी आर्डर से भेजने का अधिकार भी उनको दिया जाय। यह संशोधन उस में कर दिया जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन यह जो मालगुजारी भेजी जाती है उसकी बाकायदा एक रसीद वगैरह होती है। हो सकता है कि मालगुजारी कम हो, या खाते का नम्बर वगैरह कुछ ग़लत हो इसलिये बाकायदा कोई नियम नहीं रखा गया है। यों तो वैसे उसमें कोई चीज बाधक नहीं है अगर कोई साहब भेजना चाहते हैं तो वह भेज सकते हैं। यों अमीन उनके यहां वसूल करने जायगा और मालगुजारी भेजने में मनीआर्डर से जो पैसा खर्च होता है वह वहां पर देने से नहीं होगा। नाबालिग या विधवा जो हैं उनके लिये आसानी इसी में है कि अमीन जब आवे घर पर उस को वहां दे दें। इससे उनका खर्च बच जायगा। मनीआर्डर भेजने के लिये २ मील, ३ मील जाना पड़ेगा क्यों कि डाकखाने गांव में दूरी पर होते हैं। रास्ते में उन से रुपया कोई छीन भी सकता है क्यों कि हर गांव में डाकखाना नहीं होता है। कहीं तो उस को मनीआर्डर करने के लिये जाना पड़ेगा। कानूनी कोई रुकावट इसमें नहीं है कि लोग न भेजें लेकिन इसको नियम के अन्दर हमने नहीं रखा है क्यों कि इस चीज को हम इन्करेज (प्रोत्साहित) नहीं करना चाहते हैं। अच्छा यही है कि अमीन घर पर आवे उस को वहां पर रुपया दे दिया जाय। इसमें खर्च भी उन का नहीं है और सहूलियत भी है। काश्तकारों के लिये जमींदारों के पास

लगान भेजने का नियम तो इसलिये रखा था कि जमीदार रसीद देने में आनाकानी करते थे । इसलिये कायदा कर दिया था कि काश्तकार चाहें तो मनीआर्डर भेज सकते हैं । उस के पास रुपया भेजने का सबूत होगा और रसीद भी आजायगी और जमींदार यह नहीं कहेगा कि लगान नहीं दिया । बहुत दफ़ा जमीदार लगान लेना नहीं चाहते थे और उस को ३ साल होने पर बेदखल कर देते थे । इसलिये काश्तकारों को लगान मनीआर्डर से जमीदार के पास भेजने की सहूलियत दी थी । यह स्टेट के लिये रखना कोई फायदे की बात नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें तो बहुत अच्छा है ।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्व मंत्री जी यह बात मानते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और क़ानूनन मनीआर्डर किया जा सकता है तो फिर वापस लेने की क्या जरूरत है ? वह इसको मान लें जब कोई हर्ज नहीं है । इससे सहूलित जरूर होगी लेकिन बाज़ वक्त ऐसे मौक़े भी आते हैं कि अमीन साहब किसी वक्त आये और उस वक्त उसे कोई नहीं मिला और अमीन वापस हो गया , उस के बाद दूसरे टर्न में फिर अमीन आये और वह नहीं मिला । ऐसी सूरत में यह हो सकता है कि वह अमीन को रुपया न दे पावे और वह उस की कुर्की करा ले। ऐसी सूरत में आप उस को मनीआर्डर की सहूलियत दें तो अच्छा होगा। दो तीन मील पर डाकखाना हो और रुपया लूट लिया जाय ऐसी बात भी नहीं हो सकती और एक दो केस में ऐसा हो जाय तो कोई बात नहीं है । ऐसी सूरत में मैं अर्ज करूंगा कि जब कोई विशेष बात नहीं है तो इसके मानने में क्या हर्ज है बल्कि इस से तो सुविधा ही हो जायगी।

श्री चरण सिंह—मैं समझता हूं इसका रखना बिलकुल अनावश्यक है । कुर्की वग़ैरह की तो नौबत ही नहीं आवेगी । पहले वह पटवारी के पास जायगा और उस के बाद वह पंचायत के पास जायगा और इसी में क़रीब दो-तीन महीना लग जायंगे और तब कहीं कुर्की की नौबत आवेगी । इसलिये नियम बनाने की जरूरत नहीं है वैसे कोई मनीआर्डर से भेजना चाहे तो भेज सकता है ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २०८ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपनियम (१) रखा जाय—

"(१) ऐसी स्थिति में जिनमें राज सरकार मालगुजारी की वसूली का काम तहसीलदार को सौंपे भुगतान साधारणतः उस तहसील के तहसीलदार के कार्यालय में किया जायगा जिसकी सीमाओं के भीतर वह खाता स्थित हो जिसके निमित्त भुगतान किया जाय पर ऐसी स्थिति में मनीआर्डर के जरिये भी तहसीलदार के पास मालगुजारी भेजी जा सकती है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान नियम २०८ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(२) उन स्थितियों में जब कि मालगुजारी वसूल करने के लिये अमीन नियुक्त किये जायें तो लगान का भुगतान साधारणतया उस अमीन को किया जायगा जिसके अधिक्षेत्र में खाता पड़ता हो।"

यह बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी तशरीह में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम २०८ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय --

"(२) उन स्थितियों में जब कि मालगुजारी वसूल करने के लिये अमीन नियुक्त किये जायं तो लगान का भुगतान साधारणतया उस अमीन को किया जायगा जिसके अधि-क्षेत्र में खाता पड़ता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नियम २०८ के उपनियम (२) के बाद निम्नांकित उपनियम (३) जोड़ दिया जाय --

"(३) ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी की वसूली का काम भूमि-प्रबन्धक समिति को सौंपा जाय। भुगतान साधारणतः समिति के प्रधान को किया जायगा पर ऐसी हालत में मालगुजारी तहसील में भी जमा की जा सकती है या मनीआर्डर द्वारा तहसीलदार के पास भी भेजी जा सकती है।"

जहां तक २०८ के उपनियम (२) का संबंध है सरकार ने मालगुजारी वसूल करने का काम अमीन को सौंपा है। मैं मुनासिब समझता हूं कि अमीन के बजाय भूमि-प्रबंधक समिति को दिया जाय। यह काम भूमि-प्रबंधक समिति को सौंपा जाय।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य देखेंगे कि पहले जो शायद संशोधन अस्वीकृत हो चुका है यह उस से मिलता-जुलता है। इसलिये इसे पेश करना नियम विरुद्ध है।

श्री गजेन्द्र सिंह---मैं यह चाहता हूं कि अमीन की जगह भूमि-प्रबंधक समिति को वसूली का काम सौंपा जाय।

उपाध्यक्ष---आप की खुशी है।

श्री गजेन्द्र सिंह---जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट में सरकार ने इस बात को माना है कि पंचायत राज्य ऐक्ट के द्वारा चुनी हुई पंचायतों के सुपुर्द लगान वसूली का काम किया जायगा। माननीय राजस्व मंत्री ने पिछले दिनों यह कहा था कि उन्होंने जिले के अफ़सरों से इस बात को पूछा है कि लगान वसूल करने का क्या तरीका हो। अधिकतर रिपोर्ट उन्हें यह मिली है कि पटवारियों के.....

श्री चरण सिंह---मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री गजेन्द्र सिंह---हो सकता है मैंने ग़लत समझा हो। आप ने शायद अपनी बहस के दौरान में यह कहा था कि जिलों से हमने रिपोर्ट मांगी है कि कौन सा तरीक़ा अच्छा होगा। तीन गांव पंचायतों से तो रिपोर्ट आ गई है कि वह वसूली कर सकती हैं और बाक़ी में काम पटवारियों और अमीनों को सौंपा जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि पंचायतें इस काम को बखूबी कर सकती हैं। जहां तक जिला मैजिस्ट्रेट या दूसरे अधिकारियों की राय का सवाल है वे तो कभी भी इसे पसंद नहीं करेंगे और चाहेंगे कि नौकरशाही के हाथ में ही यह काम रहे। गांव पंचायतें इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि कौन किसान आज देने योग्य है और कौन नहीं है। इसलिये यह मालगुजारी वसूली का काम उन्हीं को मिलना चाहिये। इससे किसानों को भी सुविधा होगी, क्योंकि अमीन को तो लगान देना ही होगा चाहे किसान कैसे भी करे। यह दलील दी गयी है कि पंचायतें अपना ही टैक्स वसूल नहीं कर सकती हैं। इसका तो एक कारण यह भी है कि बहुत सी पंचायतों ने अपने टैक्स नहीं लगाये थे वरन् वे उनके ऊपर-ऊपर से, तहसीलदार वग़ैरह की तरफ़ से, लादे गये थे। फिर हम समझते हैं कि जो सरकारी शक्ति अमीन के पीछे होगी यदि वही शक्ति पंचायतों के पीछे भी सरकार देगी तो पंचायतें जरूर वसूल कर सकेंगी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को रखते हुये आशा करता हूं कि राजस्व मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (ज़िला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन के सामने उपस्थित है उसमें मैं यह समझता हूं कि राज्य सरकार के पूर्व शब्द "जब कि" बढ़ा देना जरूरी है । इस से इस संशोधन का महत्व ठीक तौर से समझ में आ सकता है और पढ़ने में अच्छा भी मालूम पड़ता है । जहां तक मेरा ख़्याल है, सरकार की नीति यह है कि हर ज़िले में जिस पंचायत पर पूर्ण विश्वास हो कि वह नेकनियती के साथ काम करेगी और कोई ख़राबी लगान वसूली में पैदा नहीं करेगी तो ऐसी हालत में कम से एक-एक पंचायत हर ज़िले में जिसके सिपुर्द यह काम किया जाय। अगर मैं यह ठीक समझता हूं कि सरकार की यह नीति है तो मेरी समझ में जो संशोधन मैंने इस प्रस्ताव में पेश किया है वह अगर स्वीकार हो जाय तो इस संशोधन का होना इस नियमावली में निहायत आवश्यक है । क्यों कि अगर यह काम भूमि प्रबंधक समिति या किसी भी समिति को सौंपा जाता है तो उस हालत में उनके बारे में कोई न कोई नियमावली होना आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य कौन अंश बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—मैंने यह कहा है कि राज्य सरकार के पूर्व शब्द "जब कि" बढ़ा दिया जाय । तो वह इस प्रकार से पढ़ा जायगा —

"ऐसी स्थिति में जब कि राज्य सरकार द्वारा मालगुज़ारी की वसूली का काम भूमि प्रबन्धक समिति को सौंपा जाय ....."

श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र-सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्री गजेन्द्र सिंह जी का कहना है कि लगान वसूली का काम भूमि-प्रबन्धक समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये । सरकार ने यह फैसला किया है कि यह काम अमीनों से लिया जायगा । अमीनों को अगर इस ख़्याल से रखा जाता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा बेकारी है और उस बेकारी को दूर करना है तो उस में तो कोई आपत्ति की बात नहीं है । लेकिन अगर उसी के साथ-साथ सरकार के ऊपर एक बोझ पड़ता है और वह बोझ अन्ततोगत्वा इस प्रदेश की ग़रीब जनता पर जा कर पड़ता है और उसके लिये सरकार को फिर दूसरे-दूसरे नये करों को लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ।

हमारे सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हैं और आर्थिक कठिनाइयों की वजह से हमारे बहुत अच्छे-अच्छे काम रुके हुये हैं ऐसी हालत में एक बहुत बड़ी तादाद में अमीनों को और चपरासियों को अनावश्यक तरीक़े पर रखने में लाखों रुपया बढ़ाये जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इस सदन के द्वारा सरकार ने ५० लाख रुपया पंचायतों के मंत्रियों की तनख्वाह के लिये स्वीकार कराया था । इसके पहले सरकार पंचायत के मंत्रियों को कुछ मौके-मौके पर दे दिया करती थी, लेकिन कोई नियमित रूप से उनकी तनख्वाह के लिये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी । लेकिन इस सदन में ऐसी बात सरकार की तरफ से हो सकती है और आगे पंचायत के मंत्रियों की तनख्वाहों की जिम्मेदारी वह उठाना चाहती है और शायद उठायेगी । तो उसके अलावा फिर यह एक नये तरीके का बोझ उठाना सरकार के लिये कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता है ।

दूसरी बात यह है कि गांव पंचायतों पर हम क्यों नहीं विश्वास करते । गांव पंचायतें लगान वसूली का काम अच्छी तरह से कर सकती हैं । यदि आप समझते हैं कि गांव पंचायतें इस काम में ढ़िलाई करेंगी या उनको और कुछ दिक्कत होगी तो हम गांव पंचायतों को इस लायक बनाने की कोशिश करें न कि गांव पंचायतों को ऐसा बना दें कि वे अपने को ऐसा समझने लगें कि हम नालायक़ हैं । इस नालायकी का असर मनोवैज्ञानिक भी पड़ता है । अगर हम उन्हें नालायक़ समझते हैं तो गांव पंचायतों के ऊपर इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। गांव पंचायतें

[श्री गेंदा सिंह]

अगले जमाने में बहुत दिनों तक ऐसा हो सकता है कि इस काम के लायक़ न बन सकें। अगर मेरी याददाश्त ठीक काम करती है तो मुझे याद है कि इसी सदन में जब कभी जमींदारी विनाश कानून जल्दी-जल्दी पास करने की बात कही जाती थी तो सरकार की तरफ़ से यह कहा जाता था कि जब तक कि गांव पंचायत कानून को हम पास नहीं करेंगे तब तक कोई ऐसी संस्था नहीं बना पायेंगे कि जो जमींदारों का स्थान ले सके और इसलिये जमींदारी विनाश कानून में तब तक पंचायत राज कानून पास नहीं हो सकता जब तक हमने उसको पास नहीं किया। उस वक्त सरकार की यह धारणा थी कि गांव पंचायतें जो होंगी वह आज के जमींदारों का स्थान लें लेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे-धीरे गांव पंजायतों का जो महत्व है वह कम होता चला जा रहा है। यह तरीका ठीक नहीं है और न यह मनोवृत्ति ही ठीक है और न सरकार की नीति ही ठीक है। हमारी यह बुनियाद है कि गांव पंचायतों में ख़राबियां हैं, लेकिन उस बुनियाद को हम छोड़ नहीं सकते।जैसे सरकार में भी बहुत सी खराबियां हैं, सरकार भी मानती है कि उसके अन्दर खराबियां हैं तो उन खराबियों की वजह से सरकार को नालायक बना कर निकाल तो नहीं देते वह आज ६ करोड़ ३० लाख मनुष्य के भाग्य की विधाता बनी हुई है। आप गांव सभाओं के ऊपर इत्मीनान करें और मालगुजारी वसूल करने का काम उनके सुपुर्द करें और उसके साथ ही सावधान रहें जिस तरीके से और जगहों में हम सावधान रहते हैं रुपये पैसे के काम में तो मैं समझता हूं कि गांव पंचायतों की इज्जत बढ़ेगी और अच्छे से अच्छे लोग उसमें आने की कोशिश करेंगे और उसमें काम करने की क्षमता आवेगी।

तीसरी बात मैं और जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पंचायतों की आर्थिक-स्थिति जो है उनके बारे में सरकार भी जानती है। उनकी स्थिति को सुधारना भी सरकार का फर्ज है। अगर गांव पंचायतें इस काम को अपने हाथ में लेती हैं तो वसूली के सिलसिले में उन्हें कुछ कमीशन मिलेगा और वह कमीशन एक अच्छी रक़म होगी। और उसके जरिये से वह गांवों के विकास के कामों को तरक्की दे सकते हैं और इन कामों के लिये तब सरकार को ख़जाने से पैसा नहीं देना पड़ेगा और न जनता से नये करों द्वारा धन लेना पड़ेगा। इन सब बातों को सोचते हुये सरकार को गांव पंचायतों को तरक्की देने के लिये और साधारण लोगों का विश्वास उसे प्राप्त कराने के लिये वसूली का काम उन्हें देना चाहिये। इससे उनमें यह भावना पैदा हो सकती है कि वह अपने को यह समझें कि हम अपने ऊपर हुकूमत करते हैं। यह हो सकता है कि कहीं-कहीं, दूसरा प्रबंध भी करना पड़े पर उसकी संख्या बहुत थोड़ी होगी। बिल्कुल इसको कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जितनी पंचायतें हैं सब इस काम के लिये क्षमता रखती हैं लेकिन अगले वर्ष गांव पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं अगर यह काम उनके सुपुर्द कर दिया जाय तो जो चुनाव अगला होगा वह ठीक होगा इसमें अच्छे लोग आयेंगे और अगर सरकार मेहरबानी रखे गांव पंचायतों के साथ तो वह इस काम को करने के काबिल होंगे। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नये स्थापित स्वार्थों को पैदा करना अच्छा नहीं होगा। आज तो आप ५ हजार अमीन रख दें और १० हजार के क़रीब चपरासी रखेंगे। समाजवादी होने के नाते मुझे खुशी होती है कि सरकार ने कम से कम १५ हजार आदमियों के खाने पीने का बन्दोबस्त किया लेकिन उसी के साथ-साथ मुझे फ़िक्र भी होती है कि इन १५ हजार आदमियों का गांव पंचायतों का झगड़ा चल पड़ेगा। और जिस वक्त सरकार यह चाहेगी कि इन आदमियों को हटाकर गांव पंचायतों के सुपुर्द यह काम करें तो सरकार के सामने भारी कठिनाई होगी कि इन १५ हजार आदमियों को कहां ठिकाना लगावें। और तब आप को १५ हजार आदमियों के बन्दोबस्त करने की फ़िक्र पहले पड़ेगी और पंचायतों को वसूली सुपुर्द करने की बात बाद को सोची जायगी। इन सब बातों को मैंने माननीय चरण सिंह जी से कमेटी में भी निवेदन किया था और उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जायगा लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ। फिर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह जानता हूं कि गांव पंचायतों के नाम पर उनके दिल में कितनी हमदर्दी है। लेकिन हमदर्दी के ख़्यालात भीतर रखने से काम न चलेगा। बस गांव पंचायतों का ख्याल रखें यही मेरी उनसे दरख्वास्त है।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे में कांग्रेस पार्टी में और माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कुछ कहा है और माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई अन्तर नहीं है। और अन्तर न होते हुये भी अन्तर ढूंढ़ने की कोशिश की गयी है। मैंने यह कहा था कि अभी हमारी पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हो कर मालगुजारी वसूल करने की क्षमता या काब्लियत नहीं रखती हैं, अगर्चे हम चाहते यह हैं कि मालगुजारी वसूल करने काम काम जल्द से जल्द पंचायतें करने लगें। मैं तफसील में न जाकर इतना ही कहूंगा कि पंचायतों की कमजोरी को, पंचायतों की स्थिति को, सबको देखकर ही गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि मालगुजारी अमीनों के जरिये वसूल की जाय और साथ ही यह भी कहा गया कि उसके साथ ही जहां पंचायतें इस काबिल होंगी, जहां आपस में बिरादरीगत, गोत्रगत या किसी कारणवश दलबन्दी से ऊपर उठी हुई होंगी पंचायतें, तो वहां पंचायतों को भी मालगुजारी वसूल करने का अख्तियार दिया जायगा। अब माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि पंचायतों को देना चाहिये। लेकिन जहां पंचायतें कमजोर हों वहां पंचायतों को न देना चाहिये। मैं यह कह रहा हूं कि पंचायतों को हम देंगे, और जहां पंचायतें मजबूत हैं उनको आज ही दे रहे हैं। तो जहां तक उद्देश्य का, नीति का, या सिद्धांत का संबंध है उसमें कोई अन्तर नहीं है। फिर भी अन्तर ढूंढ़ने की कोशिश की गयी है।

जो तीन सदस्य सोशलिस्ट पार्टी के हमारी उस कमेटी के मेम्बर थे उन्होंने लिखा यह है कि राज्य सरकार ने भी इस बात की कई बार घोषणा की है कि जहां गांव पंचायतें ठीक तौर पर काम कर रही हैं वहां पंचायतों के द्वारा मालगुजारी की वसूली की जायगी। तब तो फिर मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मनोवृत्ति दिखाने का आज मौका नहीं था।

"पर नियमों में पंचायतों द्वारा मालगुजारी वसूल की कोई व्यवस्था नहीं है।" क्या यह है कि इसकी व्यवस्था नहीं है। वाक्या तो यह है कि बिना पढ़े कंडेम (निंदा) करने की आदत पड़ गयी है। अब देखिये नियम उठा करके। नियम २९४ से ले कर ३०६ तक १३ नियम हैं जो कि केवल पंचायतों द्वारा मालगुजारी कैसे वसूल की जायगी, पंचायतें कैसे कैसे रजिस्टर रखेंगी, गांव का प्रधान या सभापति तहसील में जाकर तसदीक करेगा कि रुपया पहुंच गया या नहीं, १३ नियम रखे गये हैं।

आप एक नियम बढ़ा कर, यह संशोधन पेश करके सारा क्रेडिट (श्रेय) ले लेना चाहते हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि यह कांग्रेस वाले नौकरशाही मनोवृत्ति से ऊपर उठ नहीं सकते। और आपके दो लम्बे व्याख्यान सुनने को मिल गये और डिसेंटिंग मिनिट (विमति टिप्पणी) में लिख दिया कि नियमावली में इस संबंध में कोई नियम नहीं है। अब मैं माननीय मित्रों को ज्यादा न कहूंगा क्योंकि वाकयी इसका जवाब नहीं है। गलती उनसे हो गयी हैं।

२९४ नियम देखिये। उसका हेडिंग है, "पंचायतों द्वारा वसूली" नियम यह है।

"उस दशा में जब धारा २७६ के निदेशों के अनुसार किसी गांव सभा को मालगुजारी की वसूली का काम सौंप दिया जाय, तो अनुवर्ती (Subsequent) नियमों में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।"

पूरे १३ नियम हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम अब की बार तो वह अपनी गलती महसूस करके अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन नियमों पर बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता था। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना तो कुछ इच्छा हुई कि बोल डालूं।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग बिना पढ़े ही कुछ बातें कह दिया करते हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री बिना समझे हुये ही कुछ बात यहां कह दिया करते हैं और वह एक तरफ तो कहते हैं कि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो जब कोई फर्क पड़ता नहीं है तो हमारी बात को कबूल क्यों नहीं करते ? क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आया है, इसलिये आप उसे कबूल करने के लिये तैयार नहीं हैं। पंचायतों की जब चर्चा होती है, डेमोक्रैसी की बातें जब इस सदन में होती हैं तो कहा जाता है कि हमने प्रजातंत्र की, पंचायत राज की स्थापना की है और पंचायतों को बना करके राज आपको सौंप दिया है और वहां की जनता के पास राज है। जब हम कहते हैं कि टैक्स, (लगान) वसूल करने का काम भी पंचायतों को सौंपा जाय तो पुराने अमीन साहब ही वसूल करेंगे और कारण यह बतलाते हैं कि पंचायतें अभी इतनी काबिल नहीं हैं कि उनको इतना बड़ा भारी भार सौंपा जाय। आप इस कानून में यही लिख दीजिये कि जब यह पंचायतें ठीक हो जायेंगी तभी लगान वसूली का भार पंचायतों को सौंप दिया जायगा। अगर आप ही कहीं लिख दिये होते तो आज इस संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिये मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि या तो आप कहीं खुद लिखिये, वर्ना मैं यह कहता हूं कि

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि आपका जो संशोधन है पार्टी की ओर से यह लिखा गया है कि हर जगह मालगुजारी वसूल करने का काम प्रबन्धक कमेटी को सौंपा जाय ? आपका खुद लिखा हुआ है कि जहां मुनासिब समझें वहां किया जाय। जहां समझें वहां क्या किया जाय, वह तो पहले से ही कह रखा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कि हमारा संशोधन है वही आपके सामने है। मैं तो यह कहने जा रहा था कि अगर आप समझते हैं सचमुच में कि पंचायतें कुछ काम कर सकती हैं और पंचायतों के पास काम क्या है ? सिवाय इसके कि मुकद्दमेबाजी बढ़ गयी है। किसी ने किसी के खेत की ककड़ी चुरा ली तो मुकदमा चल रहा है। सारी पंचायतों की ताकत मुकदमेबाजी में लगी हुई है। देश के उत्थान का कोई ख्याल नहीं है। अगर उनको जिम्मेदारियां सौंप देंगे लगान वसूली करने की, जो भारी काम है तो मैं समझता हूं कि जिम्मेदारियां बढ़ने से उनको पंचायत राज पर विश्वास भी होगा। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री को हमारे संशोधन पर कोई खास एतराज न होना चाहिये और मैं यह कहूंगा कि हमारे इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाबवाला, मैंने श्री गेंदा सिंह और उपाध्यक्ष जी की तकरीर सुनी। मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने इस मसले पर तकरीर की। गेंदा सिंह जी हमारी कमेटी के मेम्बर थे और मुझे ताज्जुब है कि महज सुनने पर उन्होंने तकरीर फरमाई और पढ़ा लिखा कुछ नहीं। तो उसका नतीजा यह है कि आप तकरीर करने के लिये खड़े हो गये और कर दी। आपको मालूम है कि हम लोग बिलकुल इस बात पर तैयार हैं कि पंचायतों को इख्तियार दिया जाय और हर शख्स चाहता है कि जहां तक हो पंचायतों को जायद से जायद अख्तियार दिया जाय। सवाल यह है कि आया वह इस काबिल है कि उनको अख्तियार इसका दिया जाय या नहीं ? सबको अख्तियार दिया जाय या नहीं ? जो इस काबिल हैं उनको दिया जायगा, कमेटी में इसका तजकिरा आया था और जो आपने अमेंडमेंट किया है कि उनको अख्तियार दिया जाय उसके मानने में कोई इन्कार भी नहीं, क्योंकि मेम्बर साहब जो मवर (प्रस्तावक) हैं उन्होंने यह नहीं कहा कि सब पंचायतों को अख्तियार दिया जाय। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि जो काबिल वसूली के हैं उनको दिया जाय। तो इस बात में न उनकी तरफ से और न सरकार की तरफ से कोई इख्तलाफ राय है। सवाल यह है कि आया यह अमेंडमेंट (संशोधन) इस जगह मुनासिब है या नहीं ? हमारे मिनिस्टर महोदय ने यह बतला दिया कि दफा २९४ से लेकर आगे बहुत सी दफात तक वसूलयाबी के अख्तियारात गांव पंचायतों को

दिये गये हैं। अगर मैं दफा २९४ को पढ़ूं तो पढ़ने के बाद आप को मालूम हो जायगा कि उसमें पहले ही से यह चीज रखी हुई है। हुजूरवाला, मेरे पास अंग्रेजी की कापी है इस लिये मैं उसी में से आप की इजाजत से पढ़ूंगा :

"Where in accordance with the provisions of section 276 a *Gaon Sabha* is charged with the duty of collection of revenue, the procedure mentioned in the subsequent sections shall be followed."

[उस दशा में जब धारा २७६ के निदेशों के अनुसार किसी गांव सभा को मालगुजारी की वसूली का काम सौंप दिया जाय, तो अनुवर्त्ती नियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।]

इस तरह २९४ के बाद २९५, २९६ गर्जेकि ३०६ तक जितनी दफात हैं उन सब में यह प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से उनको वसूलयाबी का काम दिया जायगा और किस तरह से उनको काग़ज़ात रखने होंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें आप को क्या इख्तिलाफ है। महज़ प्रोपेगैंडा के लिये यह अमेंडमेंट यहां पेश कर दिया गया है ताकि यह कहने को हो जाय कि हमने गांव पंचायतों को यह काम सुपुर्द करने के लिये स्पीच दी लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना।

हमारे गेंदा सिंह साहब जो एक पुरजोश मेम्बर हैं और जो एक समझदार मेम्बर हैं वह खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि जहां तक हो सके वहां तक ऐसा किया जाय। इस सिलसिले में मैं बिलकुल उनकी मुआफिकत में हूं और यह ख्वाहिश करूंगा कि जो पंचायतें मजबूत हों उनको जल्द से जल्द वसूलयाबी का काम सुपुर्द किया जाय। कमेटी के अन्दर भी इस बात का तज़किरा आया था और उसमें यह कहा गया था कि बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जिनको यह अख्तियार दे करके एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) किया जायगा। ऐसी हालत में बहस करने से क्या फायदा है। यहां जो नुक्ताचीनी की जा रही है वह महज इसलिये की जा रही है कि बाहर वैसे तो प्रोपेगैंडा है नहीं, लेकिन अब जब पंचायतों और देहातों में जायेंगे तो उनसे यह कहेंगे कि हमने तुम्हारे लिये कहा था लेकिन गवर्नमेंट नहीं तैयार हुई।

हमारे उपाध्याय जी ने कुछ सुना नहीं लेकिन उनको बोलना जरूरी था इसलिये बोलने के लिये खड़े हो गये ताकि अमेंडमेंट में उनका भी नाम लिखा जाय। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई और बात नहीं थी

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या आप अमेंडमेंट मान रहे हैं?

श्री ऐजाज रसूल--मैं कह रहा हूं कि अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। जब कि इस किस्म के अख्तियारात हैं तो ऐसे अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर साहेबान इस बात पर फिर गौर करेंगे कि जब गवर्नमेंट के और उनके नुक्ते नजर में कोई फर्क ही नहीं है और दफा २९४ में ऐसे अख्तियारात रखे गये हैं तो फिर ऐसे अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस पर गौर करके वह अपने अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो हमारे संशोधन पर बयान दिया उसमें उन्होंने यह कहा कि जो हमारा संशोधन है और जो सरकार का नियम है उसमें कोई अन्तर नहीं है। यदि अन्तर नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसे मान लेने में उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मालगुजारी की वसूली की क्षमता अभी ग्राम पंचायतों में नहीं है। जहां तक क्षमता का प्रश्न है वह क्षमता हमको पैदा करनी पड़ेगी। हमारे राज्य की शक्ति यदि अमीन के

[श्री गजेन्द्र सिंह]

पीछे न हो तो अमीन में भी क्षमता नहीं होगी। जो अमीन बाहर का है वह गांव में जा करके क्या वसूल करेगा। वास्तव में बात यह है कि राज्य की शक्ति उसके पीछे है इसी डर की वजह से लोग उसको मालगुजारी दे देते हैं। जब राज्य शक्ति का डर गांव पंचायतों के पीछे होगा तो हमें यकीन है कि उनमें भी वह क्षमता आ जायगी। इस तरह से माननीय राजस्व मंत्री का यह कहना कि गांव पंचायतों में क्षमता नहीं है, इसके लिये मैं यह समझता हूं कि उनमें वह क्षमता हमको पैदा करनी होगी। अगर हम इस क्षमता को पैदा नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रजातांत्रिक उसूल है वह गिरता है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री को हमारा यह संशोधन मान लेना चाहिये और उन्होंने जो दलीलें दी हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं है। इसके साथ ही साथ एक्ट में भी उसी चीज को वह मानते जाते हैं। जहां एजेंसी का वर्णन करते हैं वहां जनता द्वारा चुनी हुई गांव सभाओं को लगान वसूली के लिये एजेंसी माना है। इसलिये इसके बारे में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिये।

अभी माननीय गेंदा सिंह जी की बात को ले कर कुछ प्रश्न माननीय सदस्यों ने पैदा किया माननीय सदस्य ने कहा कि सब जगह पंचायतें नहीं हैं या बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जो सस्पेंड कर दी गयी हैं किन्ही वजूहात की वजह से। तो हमारा मतलब उन पंचायतों से नहीं है और जितनी आम पंचायतें उनसे हमारा मतलब यह है कि उनके द्वारा लगान वसूली का काम होना चाहिये। तो इस तरह से इस संशोधन को रखते हुये उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री हमारे संशोधन को मंजूर करेंगे जो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है।

उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो उनके संशोधन पर एक संशोधन माननीय कुंवर कृष्ण जी ने किया है कि उनके प्रस्ताव की पहली पंक्ति में "ऐसी स्थिति" और "राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी की वसूली" का "के बीच में शब्द 'जब कि' बढ़ा दिये जायं, क्या वह माननीय सदस्य को मंजूर है?

श्री गजेन्द्र सिंह—जी नहीं।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि इन्सान गलती कर सकता है और जब इन्सान गलती करता है तो उसका इक़रार करने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिये बल्कि अगर इन्सान ग़लती करता है और इक़रार करता है तो मैं समझता हूं कि तब वह गलती नहीं करता है। लेकिन ग़लती करता है, यह जानते हुये कि हमसे ग़लती हो गयी फिर भी यह कहे कि हमसे ग़लती नहीं हुई, हम सही हैं, तो मैं समझता हूं कि यह एक दूसरी ग़लती होती है। हम लोगों ने तो अभी तक यही पढ़ा और हमारे यहां जो बड़े-बड़े नेता हुए उन्होंने भी हमको यही सिखाया। बड़ी-बड़ी ग़लतियां उन्होंने की लेकिन एलानिया माना कि हमसे ग़लती हुई। मैं तो यह समझता था कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी माननीय गेंदा सिंह जी की सलाह से माननीय मदन मोहन जी चाहे जो कुछ कह गये हों, खड़े हो कर यह कहेंगे कि हां, यह वाक़या है कि हमारी समझ में नहीं आया क्योंकि नियम २९४ बहुत आगे था और इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं। इसमें, मैं समझता हूं कि कोई ग़लती नहीं होती और उसका एप्रिसियेशन (प्रशंसा) होता। लेकिन माननीय सदस्य, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह एक अनिवार्य नियम सा है कि चाहे जो बात हो जाय गलती न मानी जाय। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं खुद उन लोगों में हूं जो ग़लती करते हैं और इस सिलसिले में भी गलती करता हूं लेकिन उन ग़लतियों को तसलीम करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है खैर, यह उनकी मर्जी है, मानें या न मानें। लेकिन वह जिस बात का प्रचार करना चाहते हैं या जो उद्देश्य इसके जरिये सिद्ध करना चाहते हैं वह, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इससे पूरा नहीं होता। इसमें कहा गया है कि "ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी की वसूली

का काम भूमि प्रबन्धक समिति को सौंपा जाय। भुगतान साधारणतः समिति के प्रधान को किया जायगा। पर ऐसी हालत में मालगुजारी तहसील में भी जमा की जा सकती है या मनीआर्डर द्वारा तहसीलदार क पास भी भेजी जा सकती है।" यहां सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में "जब कि" ऐसी स्थिति में "जहां" ये अल्फाज आप से रह गये। वहां अगर यह होता कि मालगुजारी का भुगतान या वसूली की जाय प्रबन्धक समिति के द्वारा तो यह संशोधन ही और प्रकार होता। इन शब्दों की जरूरत नहीं थी कि "ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी की वसूली का काम भूमि समिति को सौंपा जाय"। कौन सी स्थिति में, स्थिति तो कोई नहीं है। आपकी मंशा यह है कि हर सूरत में, हर स्थिति में सौंपा जाय, यदि नहीं है तो फिर स्थिति का कोई जिक्र नहीं है। जब मालगुजारी वसूल करने का काम प्रबन्धक समिति को सौंपा जाय तो ऐसी हालत में 'जबकि' रहना चाहिये था। आप स्वयं तस्लीम करते हैं कि यह काम हर पंचायत को नहीं दिया जा सकता है लेकिन जिनको दिया जाय उनके लिये यह है कि वह या तो तहसीलदार के यहां जमा कर दें या मनीआर्डर के जरिये मालगुजारी जमा कर दें। हम भी ग्राम पंचायत के सुपुर्द करना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है। इसी चीज के १३ नियम दिये हैं। उनके लिये रखा है कि किसी गांव सभा का सरपंच ५९० रुपये से ज्यादा नहीं रख सकेगा। आपका अगर यह संशोधन होता तो वह होता। लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि वहां तक किसी ने पढ़ा नहीं। आपकी पार्टी के सदस्यों के द्वारा जो नोट आफ डिसेंट (विमति टिप्पणी है) वह यह है कि इन नियमों में पंचायत के द्वारा मालगुजारी वसूल करने का जिक्र नहीं है, क्या नहीं है। लफ्जब लफ्ज वही अमेंडमेंट यहां पर रख दिया गया है। अब आप नहीं मान रहे हैं। फैक्ट (तथ्य) तो यह है कि गलती से रह गया है। यह नियम इतने हैं कि मुझे भी याद नहीं है। लिहाजा अगर गल्ती से संशोधन पेश हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खैर उनको अधिकार है वह मानें या न मानें। श्री ऐजाज रसूल ने जो फरमाया था उसको देखते हुये अब कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अनावश्यक और गैर जरूरी समझता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २०८ के उपनियम (२) के बाद निम्नांकित उपनियम (३) जोड़ दिया जाय—

"(३) ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी की वसूली का काम भूमि प्रबंधक समिति को सौंपा जाय। भुगतान साधारणतः समिति के प्रधान को किया जायगा पर ऐसी हालत में मालगुजारी तहसील में भी जमा की जा सकती है या मनीआर्डर द्वारा तहसीलदार के पास भी भेजी जा सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि नियम २०९ के उपनियम (१) के अन्त में निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जांय—

"परन्तु यदि कटी हुई जमीन पानी के कारण खेती के योग्य न रहे तो उसका लगान उस समय तक माफ रहेगा जब तक दुबारा खेती योग्य न हो जाय और वह जमीन भूतपूर्व किसान के ही मिल्कियत में रहेगी।"

माननीय उपध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पेश करने के बाद जो नियम २०९ (१) है उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि—

"यदि किसी नदी की गहरी धारा का बहाव बदल जाने से किसी गांव का कोई भाग कट कर एक जिले से दूसरे जिले की सीमा में अंतर्भूत हो जाय, तो उस गांव की

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

पूरी मालगुजारी उसी जिले में उस समय तक दी जाती रहेगी जिसमें वह पहले दी जाती थी जब तक कि सरकार की आज्ञा के अधीन संपूर्ण गांव दूसरे जिले को संक्रामित न कर दिया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन जो हमने रखा है, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनकी धारा से, जिनके कटाव के कारण हर साल हजारों एकड़ जमीन इधर को उधर हो जाया करती है और हमने यह भी देखा है कि खास कर घाघरा और गंगा नदी, छोटी सरजू और गोमती ये जो नदियां हैं उनके कटाव मैंने देखे हैं। हजारों एकड़ जमीन ये नदियां बाढ़ या बरसात के जमाने में काटती हैं और काट कर अपने गर्भ में कर लेती है या छोड़ती हैं तो बहुत दिनों तक बालू ही बालू वहां रहता है । फिर जब कभी वह नदियां कहीं काटती हैं तो वह कटाव ला कर उस बालू पर छोड़ती हैं और १०-२० या ५० साल बाद जो भूमि पहले कट चुकी थी वह खेती के लायक होती है। इस नियम के अनुसार अगर किसान ऐसी जमीन का मालिक है और वह खेती करता हो लेकिन उसको मालगुजारी देनी होगी । उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्याय है उस किसान के प्रति जिसकी जमीन नदी के कटाव के कारण बालू या पानी में है । उपाध्यक्ष महोदय , इस नियम १९७ (ख) में कहा गया है कि यदि भूमिधर या सीरदार निहित होने के दिनांक के बाद कोई बाग लगावे, तो बाग अच्छी तरह स्थापित हो जाने के बाद वह किसी समय कलेक्टर को मालगुजारी और स्थानिक कर से भूमि को सप्रतिबंध मुक्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस नियम १९७ (ख) के देखने के बाद और स्वीकृत हो जाने के पश्चात् मैं नहीं समझता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री को मैंने यह जो संशोधन उपस्थित किया है उसको कबूल करने में कोई इंकार हो सकता है, क्यों कि जब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि जमीन जिसमें बाग लगा हो और जब तक भली प्रकार उग न गया हो तो उसकी मालगुजारी की छूट के लिये वह जिलाधीश को (प्रर्थना-पत्र) दे सकता है तो मैं यह समझता हूं कि हमारा यह संशोधन जिसमें कि फसल उगती नहीं है, जब तक मजरुआ नहीं हो सकती उसमें छूट होनी चाहिये ।

इस संशोधन में दूसरा अंश यह है कि वह जमीन भूतपूर्व किसान को मिलनी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, बिल के जरिये यह मालूम होता है कि जो किसान उसमें मजरुआ न करता हो तो उससे उस खेत का लगान और मालगुजारी कुर्की के द्वारा किसी और जरिये या उसकी दूसरी खेती के सामान से की जा सकती है, यह तो अन्याय होगा। जो किसान किसी खेत पर गल्ला न बोता हो उसकी मालगुजारी और खेतों से ली जाय यह अनुचित बात है। दूसरे हमने देखा कि घाघरा नदी का पाट आठ मील का है। उसी में बरहज बाजार, देवरिया, गोरखपुर हैं और बीच में किसान खेती करते हैं और पिछले तीन-चार साल से कटाव एक सिरे से दूसरे सिरे तक ८ मील लम्बे पाट पर हो रहा है और वे किसान वहां खेती नहीं कर पाते और हजारों एकड़ जमीन बालू या पानी में पड़ी है और जबरदस्ती उस जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम नहीं लेना चाहता एक सरकारी कर्मचारी जो ऊंचे पद पर आसीन हैं उन्होंने ऐसे किसानों की जमीन जो नदी के कटाव से कट गई पटवारी पर जोर डाल कर जमीन ले ली। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जो सही मानी में यदि कृषि मंत्री हैं और सारे प्रदेश की नदियों के कटाव को देखते हैं और यह भी देखते हैं कि नदियों के कट जाने से जमीन पर बालू आ जाती है या जमीन पानी में आ जाती है , तो ऐसी जमीनों पर किसी दूसरे का कब्जा न होना चाहिये और जब तक उनकी वह जमीन खेती लायक न हो उनसे मालगुजारी वसूल न करना चाहिये । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है उसके औचित्य से मुझे कोई इन्कार नहीं है कि जो जमीन गायब हो जाय और उसकी जमीन किसी नदी के भंडार के अन्दर आ जाय और वहां खेती न हो सकती हो तो उसकी मालगुजारी वसूल नहीं करनी चाहिये । इस नियमावली के नियम २७४ की ओर मैं अपका

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । २७४ यह कहता है कि "जब राज्य सरकार साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा इस प्रकार के निर्देश दे तो प्रत्येक कृषि वर्ष के प्रारम्भ में गांव सभा, एहतमाली प्रदेशों या कछार क्षेत्रों में स्थित खातों के क्षेत्रफल के सभी परिवर्तनों के विषय में कलेक्टर को सूचना देगी और तब कलेक्टर ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, ऐसी भूमि का, जो खेती से निकल गयी हो या खेती में ले ली गयी हो, ध्यान रखते हुये, गांव पर निर्धारित मालगुजारी बढ़ा या घटा सकता है ।" तो इसी तरह से मैं अंग्रेजी का भी पढ़ना चाहता हूं उससे और भी साफ हो जायगा :

"Where the State Government by general or special order so directs, the *Gaon Sabha* shall at the commencement of each agricultural year report to the Collector all changes in the area of the holding situate in various tracts of alluvial area and the Collector shall in such manner as may be prescribed enhance or abate the land revenue assessed taking into account the land that has gone out of cultivation and the land that has been brought under cultivation."

लिहाजा अगर हम नियम न भी रखें तो ऐक्ट की धारा साफ़ है । उस जमीन की मालगुजारी उस अरसे के लिये वसूल नहीं की जायगी । रहा यह कि धारा के अन्तर्गत या अधीन हमने नियम नहीं बनाया । अगर इसकी जरूरत समझी जायगी तो बाद में बना लिया जायगा और मुमकिन है बल्कि नियम के अनुसार विधान सभा के सामने आ जायगा । जब हमको इसके बनाने की आवश्यकता मालूम होगी उस वक्त बना लिया जायगा । इस वक्त आवश्यकता नहीं मालूम होती है । यह तो वसूलयाबी मालगुजारी से संबंध रखता है । मालगुजारी डिटरमिनेशन (अवधारण) से इसका कोई ताल्लुक नहीं है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इसका स्वीकार करना उचित नहीं है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने अभी १० मिनट पहले तो हमारे माननीय सदस्यों को बहुत सी बातें सुना दी हैं । मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं । लेकिन माननीय राजस्व मंत्री के शब्दों को दोहराना चाहता हूं । उन्होंने अभी कहा है कि उनको नियम के स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं है लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि अगर माननीय राजस्व मंत्री को हिचकिचाहट नहीं मालूम होती है तो फिर इसको स्वीकार करने में कौन सी बड़ी भारी बात होने वाली है । ऐक्ट का जो उदाहरण माननीय राजस्व मंत्री ने दिया है वह सुन्दर है । लेकिन यह नियम में भी तो होना चाहिये । अगर नियम में वह बात नहीं है और ऐक्ट के अन्दर है तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार पक्के कर रखे हैं । मैं फिर राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से बहुत ही लाभ होने वाला है और खासकर उनको जिनके खेत रोजाना कटते रहते हैं । माननीय राजस्व मंत्री ने बताया कि मालगुजारी के बढ़ने और घटने पर ध्यान रखा जायगा इस ऐक्ट के अनुसार । लेकिन मैं बड़े अदब से प्रार्थना करूंगा कि जिस अमीन के द्वारा या जिसके भी द्वारा मालगुजारी वसूल करने के लिये आप नियम बना रहे हैं उसके अनुसार मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अमीन उन लोगों से मालगुजारी वसूल करेगा और नाजायज तरीके से वसूल करेगा । जिनका सही माने में खाते में इंदराज है । तो मैं बहुत अदब से राजस्व मंत्री से पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप इसको स्वीकार करें और हठवादिता से काम न लें । जब आप इसको सही समझते हैं और इसके बनने से कछार की जनता को लाभ होने वाला है तो आप को इस संशोधन को पूर्णतः स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री चरण सिंह--मैं जो कुछ पहले कह चुका हूं उस के देखते हुये अब कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम २०९ के उपनियम (१) के अन्त में निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायं--

"परन्तु यदि कटी हुई जमीन पानी के कारण खेती के योग्य न रहे तो उसका लगान उस समय तक माफ़ रहेगा जब तक वह दोबारा खेती योग्य न हो जाय और वह जमीन भूतपूर्व किसान की ही मिल्कियत में रहेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २१० की दूसरी पंक्ति से शब्द "गिरफ़तारी के अधिपत्र" निकाल दिये जायं।

मैं नियम २१० पढ़ रहा हूं। "भुगतान उन चपरासियों को न किये जायंगे जिन्हें किसी मांग पत्र की तामील या गिरफ़्तारी के अधिपत्र के निष्पादन का कार्य सौंपा गया हो।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गिरफ़्तारी के वारंट किसी चपरासी के सुपुर्द न किये जांय। यह निष्पादन का कार्य आपके पास जो हजारों अमीन होंगे उनके सुपुर्द किया जा सकता है या और वारंट जिसको आप मुनासिब समझें उसको यह काम आप दे सकते हैं। जब किसी के पास चपरासी लें कर जाता है और साथ ही यह भी पाबन्दी है कि उसको भुगतान भी नहीं किया जा सकता तो हो सकता है कि वह वारंट मिलने पर अगर पहले रुपया नहीं इकट्ठा कर सका है तो उस वक्त कर ले तब भी भुगतान का अधिकार उस चपरासी को नहीं है। तो ऐसी हालत में अगर आप इसी तरह से रखना चाहते हैं तब तो भुगतान की इजाजत चपरासी को ही दी जाय और अगर आप को मेरी बात स्वीकार है तो अमीन को ही भुगतान हो सकता है। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। इस से हमको जो संविधान में मौलिक अधिकार दिये गये हैं वह भी छिन जायेंगे और उनका उल्लघंन होगा। चपरासियों को वारंट आफ अरेस्ट देने के कोई मानें नहीं हैं। इसलिये मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--मुझे अफसोस है कि मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। वारंट अगर जारी होगा तो तहसीलदार जारी करेंगे। अब आप यह चाहते हैं कि तहसीलदार ही गिरफ़्तार करने के लिये जायं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं अमीन को कहता हूं।

श्री चरण सिंह--अमीन भी इतने नहीं हैं कि वे हर जगह गिरफ़्तारी के लिये जा सकें। और उस के साथ भी शायद आप यह शर्त लगावें कि अमीन ही पकड़ कर अपने हाथ से लाये, चपरासी छूये भी नहीं या कुछ मदद भी न करे। मैं यह समझता हूं कि गिरफ़्तारी की नौबत बहुत कम आवेगी लेकिन जब आवेगी तो हर जगह अमीन को भेजना लाजिम कर देना मुनासिब नहीं होगा। अभी दुनिया भर में जो गिरफ़्तारियां होती हैं वे सिपाही या चपरासी की ही करते हैं। और दूसरे टेक्स ऐसे होते हैं, शायद मुझे आगे इसका जिक्र करना पड़े जो मलगुजारी की तरह वसूल होते हैं और उन में चपरासी ही गिरफ़्तारी करते हैं। यदि आप यह समझते हैं कि चपरासी गिरफ़्तार करने के लिये आया है तो हमारी शान में बट्टा लग गया है, तो यह दलील तो वहां भी लग सकती है। कंस्टीट्यूशन की दुहाई दी गयी, मालूम नहीं इसका नाम यहां कैसे लाया गया। यह यहां ग़ैरमुताल्लिक़ चीज है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी की बातें मैंने सुनीं और मैंने इसके लिये कमेटी में भी उन्हें राजी करने की कोशिश की थी

कि गिरफ़्तारी से इतनी मुहब्बत वह न रखें । लेकिन बदक़िस्मती से मुझे ऐसा लगता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने राज्य काल में १ हज़ार या दो हज़ार आदमियों को जेलखाने में भेज कर आनन्द अनुभव करना चाहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि अगर गिरफ़्तार करने वाले चपरासियों को कहीं रुपया दिया जाता है तो गिरफ़्तार होने वाला आदमी वहां छूट जाता है । पहले ज़माने में भी जिस समय मालगुजारी की वसूली होती थी चपरासी वारंट लेकर जाता था और हज़ार हज़ार रुपये के वारंट लेकर जाता था और वहां उनको रुपया जमा कर दिया जाता था तो वे छूट जाते थे । इस बात के लिये कि चपरासी रुपया लेकर भाग जाय तो उस ज़माने में भी जबकि चपरासी को ५ या ७ रुपये वेतन मिलते थे ऐसे मामले बहुत कम हुये । आज तो हमें नीचे के मुलाज़िमों पर कुछ भरोसा भी करना सीखना चाहिये । जैसा कि पहले राजस्व मंत्री जी ने कहा, पंचायतों पर भरोसा नहीं है और अब चपरासियों पर भी भरोसा नहीं है । वह कहते हैं कि चपरासी रुपया ले कर भाग जायगा । मैं समझता हूं कि अगर सीधा नहीं कहते हैं तो घूमफिर कर वही बात कहते हैं कि चपरासी के ऊपर भरोसा करने से काम बिगड़ जायगा । मेरी यह निश्चिन्त धारणा है कि माननीय चरण सिंह जी को ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को गिरफ़्तार कराने से खुशी होती है । पिछले ज़माने में तो मालगुजारी की रक़म ज्यादा होती थी लेकिन अब तो उन्होंने १-१ और २-२ रुपये के भूमिधर और सीरदार बनाये हैं जिन्हें थोड़ी रक़म के लिये गिरफ़्तार किया जायगा । नादिहन्द ही गिरफ़्तार हुआ करते हैं । मैं समझता हूं कि इतनी रियायत तो करनी ही चाहिये कि चपरासियों के मार्फ़त गिरफ़्तारी होनेके वक्त इतनी सहूलियत तो दे दें कि अगर कोई अपना ज़ेवर या कुछ और रुपया देना चाहे तो ऐसी हालत में उसको १५-२० मीलर स्सी से बांध कर न घसीटा जाय । इस लिये मैं सोचता हूं कि इस संशोधन को राजस्व मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये । कोई ऐसा हठ तो नहीं होना चाहिये । हम को तो वे बतलाते हैं कि बिना पढ़े लिखे की तरह हम बात कर देते हैं लेकिन उसी तरह से मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी पढ़ लिख कर भी कुछ उल्टा कर देते हैं । यह उनकी हमदर्दी की भावना को देखते हुये कि किसानों से उनकी कितनी हमदर्दी है इसलिये मैं बार बार उनसे आग्रह करता हूं कि गिरफ्तार होने के बाद किसान को मौका दें मालगुजारी देने वाले को यह मौका दें कि वे अगर छूटना चाहते हैं तो छूट जांय और उन्हें तहसील तक या किसी हवालात तक आने की नौबत न आवे । इसमें कोई हठ की बात नहीं है ।

पुराने जमाने में भी ऐसी बात रही है । इस कानून से पहले जो कानून लागू था उस कानून में भी ऐसी बात थी । तो इस वक्त उस कानून की सहूलियत को ले लेने में मैं नहीं समझता कि क्या लाभ है जिस पर वे तुले हुये हैं । यह इसलिये कहता हूं कि मैं तो पहले गिरफ्तारी के शब्द से ही कुछ घबराता था कि गिरफ्तारी न हो तो भी मालगुजारी वसूल होने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, मालगुजारी वसूल होगी । लेकिन इस बात पर हम लोग राजी हो गये थे कि यदि और किसी तरह से मालगुजारी वसूल न हो सके तो ऐसी हालत में गिरफ्तारी की भी गुंजायश रखी जाय । लेकिन गिरफ्तारी की कोई साधारण बात न बना दी जाय । कानून में ऐसा दिया गया है और नियम में भी आप ने ऐसा रखा है कि जिसको गिरफ्तार करेंगे, उसको गिरफ्तार करने के बाद जो दीवानी का तरीका होता है उस तरीके की उसे सुविधा देंगे । तो इस तरह से मालगुजारी देने वाला आदमी दीवानी की सहूलियत पाने के बाद यह सोच सकता है कि हमको मालगुजारी दे देनी चाहिये । दीवानी की सहूलियत प्राप्त करने पर तीन चार महीने का मौका मिल सकता है इस लिये आप ने जेलखाना भेजने की बात पर बहुत जोर दिया । लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से जेलखाना भेजने की बात पर ज्यादा जोर देना और अपने को उसी तरफ ले जाना मुनासिब नहीं होगा । यह रियायत की बात न होगी और शान की बात भी न होगी । इस लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय । इससे कोई शान में बट्टा नहीं आयेगा और हम भी सोचेंगे कि कभी कभी राजस्व मंत्री जी विरोधी पक्ष की बातों को भी मान लेते हैं ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और प्रस्तावक महोदय से भी कहूंगा कि इस संशोधन के ऊपर और ज्यादा बहस करना इस भवन के समय को नष्ट करना है क्यों कि यह संशोधन ही ठीक नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि यदि आप की आज्ञा हो तो संशोधन ठीक कर दिया जाय और तब वह सदन के सामने आवे क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि "गिरफ्तारी के अधिपत्र" निकाल दिये जांय तो फिर संशोधित नियम इस तरह से पढ़ा जायगा:--

"भुगतान उन चपरासियों को न किये जायंगे जिन्हें किसी मांग पत्र की तामील के निष्पादन का कार्य सौंपा गया हो।"

यह क्या माने रखता है। मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन पास हो गया तो उसके बाद इस नियम के कोई माने नहीं रह जायगे। दूसरी बात जो श्री गेंदा सिंह ने कही है वह बिलकुल ठीक है कि इस बात का होना आवश्यक है कि यदि चपरासी अरेस्ट करे और उसे रुपया दिया जा सके तो वह उसे छोड़ सके। परन्तु इस संशोधन से तो फिर भी अरेस्ट की बात रहती है। इसलिय यदि आप आज्ञा दें तो संशोधन ठीक होने के बाद फिर इस पर बहस हो नहीं तो इस तरह से इस पर सदन के समय को नष्ट करना है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन ठीक है। हमारे उपनेता उस को ठीक से समझ नहीं सके हैं। उसको इस तरह से पढ़ लिया जाय--

"भुगतान उन चपरासियों को न किये जायंगे जिन्हें किसी मांग पत्र की तामील के निष्पादन का कार्य सौंपा गया हो।"

मैं कहता हूं कि मेरा संशोधन ठीक है। और यह उनकी समझ में नहीं आ सका इसलिये उन्होंने ऐसा कहा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--श्रीमन्, आप रूलिंग दे दें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं यह कहता हूं कि मेरा संशोधन ठीक है और अगर किसी को कुछ और कहना है तो आप रूलिंग दे दीजिये। जहां तक मान अपमान का प्रश्न है वह उठता नहीं है, महज इतना मैं चाहता था कि गिरफ्तारी के अधिपत्र चपरासियों को न दिये जांय क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं होंगे। अगर उनको भुगतान किया जायगा तो उनको रसीद देने में कठिनाई होगी। अमीन पढ़ा लिखा होता है उसको भुगतान भी किया जा सकता है और वह रसीद काट भी सकता है।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी उसूलन् गिरफ्तारी का ही विरोध कर रहे हैं और संशोधन जो था वह था कि जो लोग गिरफ्तार करने के लिये जायें अगर उनको रुपया दे दिया जाय तो गिरफ्तारी न हो। प्रस्तावक का आशय यह है। जो चपरासी होते हैं उनको हो सकता है कि रकम ज्यादा हो तो उस पर इतना विश्वास न किया और मुमकिन है दो चार गिरफ्तारियों के वारण्ट उसके पास हों और रुपया ज्यादा हो जाय। यह तो उसूल की बात थी, मसलहत की बात थी, अफसरान का तजुर्बा है कि चपरासियों को पैसे का अधिकार नहीं देना चाहिये, रुपया उनको न दिया जाय और रुपया लेकर वह न आयें।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम २१० की दूसरी पंक्ति से शब्द "गिरफ्तारी के अधिपत्र" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २११, २२०, २२२, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २८७, २८९, २९० और २९१ में जहां कहीं शब्द "पटवारी" आया है उसके स्थान पर शब्द "अमीन" लिखा जाय।

इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले थोड़ा यह विचार था जब यह नियम बनाये गये थे कि शायद पटवारी के जरिये मालगुजारी वसूल की जायगी लेकिन अब यह तय हुआ है कि अमीन के जरिये मालगुजारी वसूल होगी इसलिये नियम में जहां जहां शब्द "पटवारी" आया है वहां "अमीन" लिखा जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २११, २२०, २२२, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २८७, २८९, २९० और २९१ में जहां कहीं शब्द "पटवारी" आया है उसके स्थान पर शब्द "अमीन" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन उपस्थित करता हूं।

"नियम २१३ के उपनियम (१) का द्वितीय पैरा निकाल दिया जाय।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह पाबन्दी वह न लगायें तो अच्छा होगा कि जब हमारा इंटरेस्ट समाप्त हो तभी वह रुपया वापस दिया जा सकता है। अगर हमने किसी वजह से मालगुजारी में ज्यादा रुपया दे दिया है तो हम को उस रुपये को वापस मिल जाना चाहिये नकि जबकि हमारा इंटरेस्ट उसमें खत्म न हो तब तक वह हम को वापस न किया जाय। वह इस पर विचार कर लें। म मानता हूं कि वह खुद ही वापस न लेंगे क्योंकि फाइनेंश्यल हैंडबुक के अनुसार वापसी में इतनी कठिनाई है, कि दस रुपये के लिये वह दौड़ा दौड़ा नहीं फिरेगा। लेकिन यह प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। जो रुपया हमने मालगुजारी से अधिक दिया है वह वापस हो जाना चाहिये बिना किसी पाबन्दी के।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। मालगुजारी देने का अगर मुस्तोजिब रहता है तो अगली फसल में मुजरा हो जानी चाहिये। अगर उस का स्वत्व उस जमीन से बिलकुल खत्म हो गया है तो उसको वापस हो जानी चाहिये। यह नियम कहता है।

आप यह चाहते हैं कि जो आदमी जमीन का मालिक चला आता है अगर एक फसल से ज्यादा वसूली हुई है तो वापस की जायगी, मुजरा न दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि जितने वापसी वगैरा की नौबत आयेगी उतने अगली फसल वाजिब हो जाती है और अगर वह अगली फसल में मुजरा हो जाय तो क्या हर्ज है। यह तो इसमें साफ दिया हुआ है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह लिखा हुआ है कि "उस व्यक्ति का स्वत्व जो इस प्रकार की वापसी का अधिकारी हो, समाप्त हो जाय।" यह जो पाबन्दी कर दी है कि इंटरेस्ट जब खत्म होता हो तभी वापसी होती है, यह क्यों लगाई जाय? हम समझते हैं कि वापसी में बड़ी कठिनाई होती है। यह दलील मैं माननीय मंत्री की मानता हूं, लेकिन यह पाबन्दी अनौचित्यपूर्ण है जब यह कहा जाता है कि जब आपके इंटरेस्ट खत्म हों तभी वापसी हो सकती है, वरना आइन्दा की जो किश्त होगी उसमें मुजरा कर दिया जायगा।

एक सदस्य—एडजस्टमेंट हो जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—ऐडजस्टमेंट शब्द तो बहुत सुन्दर है, परन्तु अगर वह वापसी चाहता है तो उसको अधिकार है। क्योंकि आपका जो मतालबा था वह तो दे चुका। अब उसकी मरजी होनी चाहिये कि या तो वापस ले या मुजरा करावे। यह जबरदस्ती क्यों उसके ऊपर बोझ लादा जाय। जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं। फाइनैंश्यल हैंडबुक के अनुसार दो चार महीने उसको लग सकते हैं, लेकिन पाबन्दी क्यों हो?

श्री चरण सिंह—मेरा विरोध तो अभी कायम है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २१३ के उपनियम (१) का द्वितीय पैरा निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में कुछ प्रिंटिंग में गलती हो गयी है। इसमें यह है कि नियम २१५ में शब्द "तैयार करेगा" और शब्द "विवरण" के बीच में शब्द "तीन प्रतियों में" लिख दिया जाय। लेकिन आप नियम देखें तो "विवरण" और "तैयार करेगा' के बीच में एक शब्द है "पृथक पृथक"। तो होना यह चाहिये कि "पृथक पृथक" और "तैयार करेगा" के बीच में "तीन प्रतियों में" बढ़ा दिया जाय। इसलिये मेरे संशोधन में जहां शब्द "विवरण" आया है उसकी जगह "पृथक पृथक" कर दिया जाय। फिर संशोधन इस प्रकार होगा कि नियम २१५ में शब्द "तैयार करेगा" और शब्द "पृथक पृथक" के बीच में शब्द "तीन प्रतियों में" लिखा जाय।

यह लफ्जी तरमीम है। तीन कापियों में हम विवरण चाहते हैं। मैं समझता हूं सदन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २१५ इस प्रकार संशोधित रूप में रखा जाय।

"प्रत्येक हल्के का पटवारी ज० वि० आकार पत्र ६१ में अपने हल्के के प्रत्येक गांव की वार्षिक मांग का विवरण पृथक पृथक तीन प्रतियों में तैयार करेगा। उक्त विवरण प्रत्येक वर्ष की ३१ जुलाई तक पूरा कर दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २१६ के अंतिम २ वाक्यों के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिखे जांय :

"उसके बाद सुपरवाइजर कानूनगो विवरण पत्र को फिर जांच करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। विवरण पत्र की तीन प्रतियां तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेंगी जो उसके पास प्रत्येक वर्ष की ३१वीं अगस्त तक पहुंच जानी चाहियें।"

नियम २१६ के अंतिम दो वाक्य इस प्रकार हैं—

'तत्पश्चात् सुपरवाइजर कानूनगो उक्त विवरण की फिर से जांच करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, और विवरण की दो प्रतिलिपियां तैयार की जायेंगी जिन में से एक पटवारी के पास और दूसरी गांव पंचायत के पास रहेगी। मूल प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत की जायगी जो उसके पास प्रत्येक वर्ष की ३१वीं अगस्त तक पहुंच जानी चाहिये।' अब वह दो प्रतियों के बजाय तीन प्रतियां तैयार करेगा और अब पटवारी को कोई प्रति देने की जरूरत नहीं है। पहले पटवारी को यों देना आवश्यक था कि पटवारी के जिम्मे हम मालगुजारी की वसूली का काम कर रहे थे। वह अब सारी प्रतियां तहसीलदार के सुपुर्द कर देगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २१६ के अंतिम २ वाक्यों के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिखे जांय--

"उसके बाद सुपरवाइजर कानूनगो विवरण पत्र को फिर जांच करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। विवरण पत्र की तीन प्रतियां तहसीलदार को प्रस्तुत की जांयगी जो उसके पास प्रत्येक वर्ष की ३१ वीं अगस्त तक पहुंच जानी चाहियें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २१७ के अंतिम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिखा जाय--

"एक प्रति अमीन को और एक प्रति गांव के पंचायत के प्रधान को दे दी जायगी।"

नियम में अंतिम वाक्य इस प्रकार है--

"एक प्रति पटवारी अपने पास रखेगा और दूसरी सम्बद्ध गांव-पंचायत के प्रधान को दी जायगी ।

पटवारी तो बीच में से निकल गया। पटवारी की जगह अमीन आ गया इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता हुई।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २१७ के अंतिम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिखा जाय--

"एक प्रति अमीन को और एक प्रति गांव के पंचायत के प्रधान को दे दी जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २२५ के उपनियम (१) के अन्त में निम्नलिखित नया वाक्य जोड़ दिया जाय--

"रसीद बही के प्रत्येक पत्रक पर तहसील की मोहर होगी।" यह एहतियात के लिये जरूरी समझा है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २२५ के उपनियम (१) के अन्त में निम्नलिखित नया वाक्य जोड़ दिया जाय--

"रसीद बही के प्रत्येक पत्रक पर तहसील की मोहर होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

'नियम २२९ की दूसरी पंक्ति के शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।'

श्रीमन्, नियम २२९ यह कहता है कि यदि खातेदार के विरुद्ध पेश की गई मांग उसके देय होने के दिनांक से एक महीने के भीतर पूरी न हो जाय तो पटवारी ऐसे बाकीदारों की एक सूची तैयार करेगा और उसे गांव पंचायत के समक्ष इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत करेगा कि पंचायत धनराशि वसूल करने में सहायता दे।

श्रीमन् इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि बजाय इसके कि वह एक महीना रुकने के बाद गांव सभा को सूची दे, दो महीने उसे रुकना आवश्यक होगा। इस प्रकार इस संशोधन

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

के और आगे कुछ संशोधन आये हैं उनका तात्पर्य यह है कि बजाय इसके कि दो महीने के बाद यह नौबत आये कि उसको अरेस्ट करना पड़े, उसको कुछ और समय मिल जायगा और तीन महीने के बाद वह अरेस्ट हो सकेगा। यही तात्पर्य इस संशोधन का है श्रीमन्।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि एक महीने के बजाय दो महीने कर दिये जाँय लेकिन इससे वक्त बहुत गुजर जायगा। यह एक महीना तो पंचायत के समझाने के लिये है, लोगों को बुला कर यह कहने के लिये है कि भाई, अपनी मालगुजारी दे दो। मेरी समझ में यह बहुत काफी है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, जो संशोधन अभी मेरे भाई श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने राजस्व मंत्री जी का भाषण सुना। आप एक महीना और काश्तकार को मोहलत देने में भी आपत्ति उठा रहे हैं। मैं आपके जरिये सरकार को बता देना चाहता हूं कि ये ग़रीब जमींदार जिनको बहुत बुरा कहा जाता था उनको तीन साल की मोहलत देते थे। अब आप जमींदार हुये तो आपको एक माह और देने में परेशानी मालूम होने लगी। तो यह तो मतलब की चीज होती है। जो चीज ग्रहण कर लेता है उसके बाद वह अपने मतलब से देखता है। आज जब सरकार को जमींदारी मिल गयी तो एक माह काश्तकार को देने में परेशानी होने लगी। मैं कहता हूं कि एक माह में वह नहीं दे सकेगा। एक माह का अगर उसे और मौका मिल जायगा तो आगे चल कर जो आप उसे मजबूर करेंगे इसकी नौबत नहीं आयेगी। इसलिये हमारे संशोधन की मुखालिफत का हठ नहीं करना चाहिये। तीन साल के बजाय कुछ दो महीने ही दे दीजिये।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजा साहब के दिल में एक नया दर्द किसानों के बारे में देख कर मुझे कुछ ताज्जुब सा हुआ। दो महीने क्या चार महीने सरकार मानने के लिये तैयार होती अगर यह सरकार उन जरियों को इस्तेमाल करने के लिये तैयार होती जो कि उधर के लोगों ने पिछले दिनों में मालगुजारी वसूल करने के लिये इस्तेमाल किये थे। यह सत्य है कि एक महीने के बाद गांव पंचायत को लेने में और फिर उनको समझा बुझा कर मालगुजारी वसूल करने का यह एक सुन्दर तरीक़ा है। इसलिये उसको बढ़ा देने में राज्य के पास पैसा आने को देर तक रोक रखना उचित नहीं है। और दूसरे एक मनोविज्ञान की बात है कि अगर किसी को दो महीने का वक्त दे दिया जायगा तो वह दो महीने तक यों ही बैठा रहेगा और अगर एक ही महीना है तो वह फौरन इन्तजाम करके दे देगा। और फिर वह फेहरिस्त तो गांव सभा पंचायत के पास जायगी वह समझाये बुझायेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि जो राजा साहब ने कहा वह उन तरीक़ों को भूल गये हैं जिनके जरिये वह तीन वर्ष और दो वर्ष रहते हुए भी साल भर पहले ही वसूल कर लेते थे। तो यहां तो क़ायदा कानून की बात है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी --- अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को और ख़ास कर राजस्व मंत्री जी को इस बात का दावा है कि उनकी सरकार दिन पर दिन क्रान्तिकारी पथ पर बढ़ती चली जा रही है। इसी सरकार ने सन् १९३६-३७ में टेनेंसी ऐक्ट बनाया था। उसमें अगर लगान की बेबाकी नहीं होती थी तो साल भर बाद दावा करने का नियम बनाया गया था। उसके बाद भी अगर किसान मोहलत मांगता था, अदालत में जाकर अपनी किस्तें करा लेता था तो उसको और भी मौका मिल जाया करता था। लेकिन जिस, इस अधिनियम को और उसके मातहत क़ायदों को हमारे राजस्व मंत्री प्रगति का नमूना और क्रान्तिकारी होने का एक सबूत के आधार पर पेश करना

चाहते हैं उसमें हर फस्ल के लगान पर उसको गिरफ्तारी का डर रहेगा और नियमानुकूल गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत ही इनोसेंट (निर्दोष) क़िस्म का संशोधन है कि अगर एक महीने में नहीं दे सकता तो एक महीने का और मौक़ा दिया जाय। सम्भव है कि दूसरी फ़स्ल में उसकी पैदावार अच्छी हो जाय और वह रुपया अदा कर दे। मुझे श्री गेंदा सिंह जी की बात याद आती है कि राजस्व मंत्री जी हुकूमत हाथ में आने पर और यह माल का महकमा भी उन्हीं के हाथ में है, साथ ही साथ यह फख्र भी है, यह चाहते हैं कि जल्दी से लगान वसूल हो जाय और किसी तरह से हमारी कामयाबी हो जाय, यही उनको सूझता है। इसलिये वे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की परवाह भी नहीं करते। अतः मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह तो बिल्कुल ही सीधा संशोधन है। उससे अगर किसानों को एक महीने की और मोहलत मिल जाती है तो आपका तख्ता नहीं पलट जायगा बल्कि किसानों को बहुत कुछ सुविधा हो जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को मंजूर करेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि जब हम जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था विधेयक के नियमों पर विचार कर रहे हैं तो उस समय इस दृष्टिकोण से देखना कि जमींदारी विनाश से पहले क्या क्या होता था ठीक न होगा। पहले बहुत सी बातें होती थीं जिन्हें रोकने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जमींदारों को मालगुजारी देनी पड़ती थी। उस हिसाब से वह लगान लेते थे। वह जेल में तो भेज नहीं सकते थे। कहा जाता है कि इस तरह से वसूल करते थे उस तरह से वसूल करते थे इस दृष्टिकोण से विचार करना ठीक नहीं होगा। आप ही देखें कि विधेयक पहली तारीख को लागू हुआ उसके बाद कहा जा चुका है कि मालगुजारी जमींदार दे रहे हैं और सहूलियत से दे रहे हैं इसलिये कि काश्तकार लगान अदा कर रहा है। काश्तकार यह कभी नहीं चाहेगा कि सरकार की मालगुजारी न दे। उसकी ऐसी कोशिश कभी नहीं हो सकती है। वह तो सिर्फ एक ही हालत में डिफाल्टर होगा जब कि उसके पास पैसा नहीं होगा। जब वह जमींदार को विधेयक के लागू हो जाने के बाद भी वह दे देता है तो फिर वह अपनी सरकार को क्यों नहीं देगा। वह तभी नहीं दे सकेगा जब कि उसके पास पैसा नहीं होगा। उसी का इन्तजाम करने के लिये मैं यह मुहलत मांग रहा हूं कि एक महीने के बजाय दो महीने कर दिया जाय और आगे के संशोधन में भी मैंने रखा है कि १५ दिन के बजाय ३० दिन कर दिया जाय। अगर यह संशोधन मंजूर हो जाते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि उसकी गिरफ्तारी होने में तीन साढ़े तीन महीने लग जायंगे यानी इतना मौका उसको मिल जायगा और उस समय तक गिरफ्तार नहीं हो सकेगा।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह ग़लत बात कह गया कि पंचायतों को एक महीने का मौका मिलेगा। दरअस्ल यह चीज उनके लिये नहीं थी। बल्कि यह अमीनों के लिये था कि एक महीने के बाद वह फेहरिस्त तैयार करके पंचायत को देगा और पंचायत को १५ दिन का मौका है कि वह समझाये। जो फेहरिस्त बकायादारों की दी जायगी उसके लिये एक महीना है जिसको दो महीने करने का संशोधन है। तकरीर में एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों के साथ आपकी क्या हमदर्दी रही जब कि आपने दो महीने भी नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर हम यह कर भी दें तो कोई और साहब यह कहेंगे कि चार महीने क्यों नहीं किये। फिर क्या हमदर्दी रही। हम लोगों को कोई ठेका नहीं है कि हमारी किसानों के साथ हमदर्दी है और किसी की नहीं है, औरों को भी है। हम तो यह कहते हैं कि

[श्री चरण सिंह]

हमारी भी हमदर्दी है। इस तरह से बार बार कहना मैं पसन्द नहीं करता हूं। जो सज्जन कहना चाहें भले ही कहें। दो चार महीने करने से कोई हमदर्दी का वास्ता नहीं है। अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि उनको दो तीन महीने कर भी दिया जाय तब भी आदमी जब ही फिक्र करता है जब कि दिन गुजरने को आते हैं और तभी देने की वह सोचता है। जब लगान वाजिब होता था तो फौरन जमींदार नालिश कर सकता था, दरख्वास्त दे सकता था और उसको जो अख्तियारात थे उन सबका वह इस्तेमाल कर सकता था। यहां तो यह है कि जब वह वाजिब हो जाय तो उसके एक महीने तक तो वह मांगेगा। इसके बाद अमीन बकायादारों की फेहरिस्त तैयार करके पंचायत को देगा। पंचायत १५ दिन तक समझायेगी और उसके बाद पंचायत वह फेहरिस्त तहसील में भेजेगी कि फलां-फलां बाकीदार हैं, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद कोई आपत्ति कोअर्सिव प्रोसेस (दबाव का प्रसर) होगा। आप चाहते हैं कि डेढ़ महीने के बजाय ढाई महीना हो जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में यह बहुत ज्यादा अर्सा हो जायगा। पहले १ दिन भी नहीं मिलता था, जो कुछ प्रोसेस जमींदार के पास थे उनका वह इस्तेमाल करता था। अब हम उसको डेढ़ महीने यों देंगे। फिर फेहरिस्त तहसील में जायगी और वहां अमीन से कहा जाय कि फलां के खिलाफ जाकर कोअर्सिव प्रोसेस अख्तियार करो तो महीना डेढ़ महीना यों गुजर जाता है। फिर पहले लगान मालगुजारी से १ महीना पहले हो जाता था अब चूंकि मालगुजारी और लगान ही मिल कर मालगुजारी हो गये हैं तो लगान की जो डेट्स पहले थीं उनको मैं सही तो नहीं बतला सकता लेकिन लगान की जो ड्यू डेट्स थीं वे कुछ पहले थीं, उससे हट कर हमने मालगुजारी की डेट्स रक्खी हैं। इस तरह से डेढ़ महीना हमने यह रक्खा, तहसील से जब कोअर्सिव प्रोसेस अख्तियार करने को कहा जायगा तो उसमें कुछ वक्त लगेगा तो यह सब इतना समय हो गया। अब कितनी मुद्दत हम दें जब यह माना जायगा कि किसान से हमदर्दी होती है। सारा सवाल यह है कि मालगुजारी वसूल करनी है, बिना उसके किसी गवर्नमेंट का काम नहीं चल सकता तो उसमें यह कोई हमदर्दी का सबूत नहीं है कि उसकी मुद्दत को लम्बा कर दिया जाय। मालगुजारी तो आखिर देनी ही है, जितने लम्बी मुद्दत रक्खी जायगी उसके बाद भी वह दबाव महसूस करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को अनावश्यक समझता हूं और इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २२९ की दूसरी पंक्ति के शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं

'नियम २३० की दूसरी पंक्ति में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।'

अंक १५ के स्थान पर अंक ३० रख देने की बात जो अपने पिछले संशोधन पर मैंने कही उसके बाद कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती परन्तु इतना आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि इन संशोधनों का तात्पर्य यह नहीं है कि इनके द्वारा हम यह जताना चाहते हैं कि सरकार को काश्तकारों के साथ हमदर्दी नहीं है क्योंकि जैसा मैंने पहले अर्ज किया केवल मोहलत बढ़ाने की कोशिश थी। क्योंकि जब वह अरेस्ट किया जाय तो बजाय दो महीने के थोड़े दिन और लग जायं तो ज्यादा अच्छा हो। इस संशोधन का भी अभिप्राय यही है कि जब पटवारी डिफाल्टर्स (बाकीदार) की लिस्ट गांव पंचायत को देगा तो गांव पंचायत १५ दिन के बाद तहसीलदार को कोअर्सिव प्रोसेस अख्तियार करने को लिखेगी। ये १५ दिन

इसलिये हैं कि गांव सभा काश्तकार को बुला कर समझायेगी कि क्यों कोअर्सिव प्रोसेस अख्तियार करने की आवश्यकता पड़े इसलिये अपनी मालगुजारी अदा कर दो। जो मैंने पहले कहा था वही इसमें भी कहना पड़ रहा है कि १५ दिन के बजाय ३० दिन कर दिया जाय तो शायद उसको इन्तजाम करने में सुविधा हो और अरेस्ट होने की नौबत न आये।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। कारण वही हैं जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूं। मैंने पहले ही अर्ज किया कि लगान जब वाजिब होता था उससे भी हमने हटा कर डेट्स रक्खी हैं। अब कुछ दिन पहले लगान १५ अप्रैल और १५ अक्तूबर को वाजिब होता था। अब मालगुजारी वसूल होती है १५ मई को और उधर १५ नवम्बर को। तो एक महीने की मोहलत तो काश्तकार को वह मिल गई। एक महीने की अब जब अमीन वसूल करने जाता है कोई अरसिव प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होता है तब मिल गई और १५ दिन की मोहलत पंचायत की तरफ से मिल गई। इस तरह से ढाई महीने की मोहलत मिल गई। इसके बाद जब तहसीलदार के यहां वह जायगा तब कोई कार्यवाही होगी। १५ मई से लेकर ढाई महीने हुये अगस्त में जाकर और १५ नवम्बर से लेकर ढाई महीने हुए फरवरी में जाकर जब कि सारी खरीफ और रबी की फसल पूरे तरीके से कट जाती है और उसके बाद भी कई केसेज में तो ३ महीने तक हो जायेंगे उसके बाद भी अगर कोई कोअर्सिव प्रोसेस (दबाव का प्रसर) जारी न हो तो वह मेरी समझ में नहीं आता कि वह कोअर्सिव प्रोसेस कब जारी होगा। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य इसको वापस लेते हैं?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—जी नहीं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २३० की दूसरी पंक्ति में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम २४५ की तीसरी पंक्ति में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि १५ दिन का समय बहुत काफी है।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं आपकी आज्ञा से श्रीमन् नियम २४५ को पढ़ना चाहता हूं कि इसमें उनको क्या दिक्कत पड़ेगी। उसमें यह है कि :

> "कलेक्टर के स्पष्ट रूप से आज्ञा दिये बिना किसी बाकीदार के नाम एक ही बकाया के लिये एक से अधिक आज्ञा-पत्र जारी नहीं किये जायंगे। यदि तामील होने के दिनांक से १५ दिन के भीतर बकाया चुका न दी जाय तो तुरन्त और अधिक कड़े उपाय काम में लाये जाने चाहियें।"

सिर्फ इस वजह से एक महीने का समय हम मांगते हैं। १५ दिन तो जमीन को उठाने, खतो-किताबत करने और लोगों को सूचना देने में लग जायंगे। इस वास्ते एक महीने का समय मिलना चाहिये ताकि जब कि उसके पास रुपया नहीं है तब ही

[राजा वीरेन्द्र शाह]

तो उसको कठिनाई पड़ रही है और अगर उसके पास रुपया होता तो यह हालत क्यों पैदा होती और उस रुपये का वह इन्तजाम कर सके। इसलिये हम चाहते हैं कि उसको एक मौका और दिया जाय ताकि वह फजीता होने से पहले अपने रुपये को अदा कर दे और इस अर्से में वह उस रुपये का इन्तजाम कर ले। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं कि उसको एक महीने का समय मिलना उचित है।

श्री चरण सिंह--माननीय सदस्य को सम्भवतः कुछ भ्रम मालूम होता है कि उसको कुल १५ दिन का समय मिलेगा। यदि उस समय को लगाया जाय जो तामील होने के बाद लगेगा तो काफी होगा। तामील होने के बाद यह नौबत बहुत दिनों के बाद आयेगी और तब जाकर कई महीने के बाद यह कोअर्सिव प्रोसेस जारी होगा ताकि उसको मालूम होना चाहिये कि यह रुपया देना है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम २४५ की तीसरी पंक्ति में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम २४७ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ---

"पर प्रतिबन्ध यह है कि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २८१ के अधीन प्रसर 'गिरफ्तारी का निरोध' तभी जारी किया जा सकेगा जब कि अधिनियम की धारा २७९ खंड क, ग, घ, ङ तथा च के निर्दिष्ट प्रसर बकाया की वसूली के लिए प्रयोग में लाये जाने के बाद अपर्याप्त सिद्ध हों।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहांतक जमींदारी विनाश ऐक्ट की २७९ धारा का प्रश्न है मैं उसको आप की आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"मालगुजारी की बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक से वसूल की जा सकेगी।

(क) किसी बाकीदार पर मांग पत्र या उपस्थिति पत्र तामील करके,

(ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोधन से,

(ग) उसकी चल सम्पत्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी है, कुर्की या नीलाम से,

(घ) उस खाते की कुर्की से जिसके संबंध में बकाया हो,

(ङ) उस खाते का विक्रय करके जिसके संबंध में बकाया हो,

(च) बाकीदार की दूसरी अचल सम्पति को कुर्की और नीलाम से।"

जब जमींदारी विनाश ऐक्ट में यह तमाम रीतियां बतलाई गई हैं मालगुजारी की वसूली की तो ऐसी सूरत में जब कि यह तमाम रीतियां नाकामयाब साबित होती हैं और उनके बावजूद भी किसान मालगुजारी नहीं देता है तो हो सकता है कि सरकार उसकी गिरफ्तारी का वारण्ट निकाले और उसको गिरफ्तार करा ले। तो जब यह तमाम रीतियां जमींदारी विनाश ऐक्ट में बतलाई गई हैं या मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि यह रीतियां ऐसी हैं कि जिन की वजह से किसान को लामुहाला लगान देना पड़ेगा और ऐसा नहीं होता है तो उसका खाता कुर्क हो जायगा और जो उसकी अचल सम्पत्ति है बैल गाड़ी वगैरह और दूसरा सामान है उन सबका नीलाम कर के सरकार रुपया वसूल कर सकती है। जब यह तमाम चीजें नाकामयाब

हों जायं तब गिरफ्तारी के वारंट की नौबत आ सकती है लेकिन इससे पहले गिरफ्तारी का वारण्ट निकालना अनुचित होगा। इसके अलावा सन् ३७ के टेनेंन्सी ऐक्ट में सरकार ने जमींदारों को अधिकार दिया था कि वह २ साल के बाद अदालत में जा कर इसतरह की कार्यवाही करें। लेकिन यहां पर जब कि सरकार स्वयं अपने हाथ में इस काम को ले रही है तो ३ ही महीने में गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाता है तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को मंत्री जी मान लें और उनको इसके मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। गिरफ्तारी तो आप कभी भी करा सकते हैं और जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने बताया कि अगर आप को गिरफ्तारी का ही शौक़ है तो वह तो चाहे इसमें कीजिये या दसगुने में कीजिये या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन जहां तक आप लगान वसूली करना चाहते हैं तो वह तो दूसरे साधनों से भी कर सकते हैं और पहले आप उन साधनों का प्रयोग कीजिये। आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी एक ऐसी चीज है कि वह किसी को भी पसन्द नहीं है और सरकार को भी यह रास्ता पसन्द नहीं है कि किसी को गिरफ्तार किया जाय लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वह उसको निभाना पड़ती है। लिहाजा कड़वे से कड़वा काम भी करना पड़ता है। तो मालगुजारी जिस तरह से वसूल की जाती है उसी तरीके के सरकार के दूसरे टैक्सेज भी वसूल किये जाते हैं। इंकमटैक्स में भी यही है कि अगर कोई असैसो (निर्धारित) नहीं दे तो वह भी इसी तरह से वसूल किया जायगा जैसे मालगुजारी होती है। इसी तरह से अगर फौजदारी के मुकदमे में जुर्माना हो जाय तो वह भी वसूल किया जाता है। इसी तरह से और टैक्सेज के बारे में भी है। तो मालगुजारी की वसूलयाबी का उसूल भी वही है जो गवर्नमेंट के तमाम ड्यूज (देयों) की वसूलयाबी में इस्तेमाल होता है। दफा २७९ में यह दिया है कि मालगुजारी की बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक से वसूल की जा सकेगी—

(क) किसी बाकीदार पर मांगपत्र या उपस्थिति पत्र तामील करके, (ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोधन से, (ग) उसकी चल सम्पित्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी है, कुर्की या नीलाम से, (घ) उस खाते की कुर्की से जिसके संबंध में बकाया हो, (ङ) उस खाते का विक्रय करके जिसके संबंध में बकाया हो, (च) बाकीदार की दूसरी अचल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम से। अब आप यह चाहते हैं कि गिरफ्तारी सबसे बाद में रखी जाय। जहां तक पहले और बाद का संबंध है तो ऐक्ट में कहीं भी यह नहीं है कि पहले बाकीदार पर मांगपत्र की तामील की जायगी तब गिरफ्तारी की जायगी और न इसका मतलब यह है कि बाकीदार की दूसरी अचलसम्पत्ति की कुर्की और नीलाम गिरफ्तारी से पहले न हो सके। गिरफ्तारी सबसे पहले भी हो सकती है और उसके बाद में भी।

ऐक्ट में कहीं यह नहीं दिया है कि जिस क्रम से दफ़ा २७९ में वसूली करने के तरीक़े लिखे गये हैं उसी क्रम से वे इस्तैमाल किये जायंगे, यह कही नहीं है। यह तहसीलदार या एस० डी० ओ० का अख्तियार है कि जिस तरीके को उचित समझे कि इससे वसूल हो जायगी उसे पहले इस्तैमाल करले। वैसे नियम २४२ में यह है कि विधि के अनुसार यह अपेक्षित नहीं है कि धारा २८२, यानी अचल सम्पत्ति की कुर्की, के अधीन प्रसर जारी करने के पूर्व धारा २८० के अधीन प्रसर जारी किया जाय। धारा २८० मांगपत्र की तामील के बारे में है। हमने यह रखा है कि सामान्यतः उस अचल सम्पत्ति के अलावा जिसके संबंध में मालगुजारी वाजिब हो, वह बात सबसे बाद में हो। मांगपत्र की जो डिमांड है वह सबसे पहले हो। लेकिन ऐक्ट में यह कहीं लाजिम नहीं है। जिस तरीके से तहसीलदार को यह उम्मीद है कि यह इस तरह से दे देगा तो वही तरीका वह इस्तैमाल करेगा। वैसे आमतौर पर दूसरी अचल सम्पत्ति के नीलाम से पहले वह गिरफ्तारी की बात सोचता है क्योंकि अचलसम्पत्ति की कुर्की या नीलाम वगैर में ६ महीने या साल भर लग जाता है। गिरफ्तारी से किसी को खुशी नहीं होती है

[श्री चरण सिंह]

और यह आमतौर पर बाद में ही होती है। यानी उसका नम्बर ५वां आता है। लेकिन ऐक्ट में जो कुछ है उससे उसका दूसरा नम्बर है। वैसे यह बात नहीं है कि गिरफ्तारी का सहारा हमारे देश में ही लिया जाता है। अमेरिका तक में भी यही है जहां के लोग ज्यादा तालीमयाफ्ता हैं और अपने नागरिकता के कर्त्तव्यों को खूब समझते हैं। यह अमेरिका की इंटरनल रेवेन्यू कोड है और उसकी धारा २० है। अमेरिका में इस प्रकार से है --

"Non-payment or evasion of tax in general.

Any person required under this Chapter 1800–1838 to pay any tax required by law or regulation made thereunder, to make any return or keep any record or supply any information for the purposes of the computation of assessment or collection of any tax imposed by this chapter, who wilfully fails to pay such tax, make such return, keep such record or supply such information at the time or times required by law or regulations shall, in addition to other penalty provided by law, be guilty of a misdemeanour and, upon conviction thereof, be fined not more than 10,000 dollars or imprisonment for not more than one year or both, together with the costs of prosecution."

[सामान्य रूप से कर न देना या उनसे छल पूर्वक बचना।

कोई व्यक्ति जिससे इस अध्याय १८०० से १८३८ के अधीन यह अपेक्षा की गई हो कि किसी विधि या उसके अंतर्गत निर्मित विनियम से अपेक्षित कोई कर दे, कोई विवरण दे या कोई अभिलेख रखे या कोई ऐसी सूचना दे जो इस अध्याय द्वारा आरोपित किसी कर के समाहरण या निर्धारण के प्रगणन के प्रयोजनार्थ हो, यदि वह स्वेच्छापूर्वक ऐसा कर या विवरण देने में, ऐसा अभिलेख रखने में या विधि या विनियमों से अपेक्षित समय या समयों में ऐसी सूचना देने में असफल रहता है तो वह विधि द्वारा उपबद्ध अन्य शास्ति के अतिरिक्त असदाचरण का भी दोषी होगा और उसकी दोषसिद्धि के उपरान्त उसको बाद व्यय के सहित १०,००० डालर से अनधिक अर्थदंड या एक वर्ष से अनधिक कारावास या दोनों दंड दिये जायंगे।]

यानी १० हजार डालर तक जुर्माना, या एक साल की कैद या दोनों सजायें एक साथ दी जा सकती हैं। किसी टैक्स के न देने पर, या टैक्स के सिलसिले में अफसर कोई मालूमात हासिल करना चाहे, उस मालूमात के इनफार्मेशन (सूचना) को डिस्क्लोज (उद्घाटन) न करने पर। तो मैं फिर दोहराता हूं कि यह गिरफ्तारी बेशक एक कड़वी चीज है जिसे न मैं करना चाहता हूं और न आगे करने की नौबत आवेगी। अब तक भी मालगुजारी वसूल करने के लिये गिरफ्तारी थी लेकिन सारे स्टेट भर में शायद किसी साल डेढ़ सौ, किसी साल सौ आदमियों को गिरफ्तारी की नौबत आती थी। मैं समझता हूं कि आयन्दा भी इससे ज्यादा की नौबत नहीं आयेगी। लेकिन उस अख्तियार को ले लेना या तहसीलदार या कलेक्टर को बाध्य करना कि पहले पांचो प्रोसेस (प्रसर) खत्म कर ले वह ऐसा कर सकेगा मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। अब तक जो मालगुजारी गवर्नमेंट की तरफ से वसूल होती थी उसमें यह था कि मालगुजारी देने की जिम्मेदारी मुश्तर्का होती थी तो एक आदमी के डिफाल्टर (बाकीदार) करार देने पर सभी डिफाल्टर होते थे और ऐसी सूरत में दूसरे

हिस्सेदार भी गिरफ्तार हो सकते थे औरतें और नाबालिग भी गिरफ्तार हो सकते थे। लेकिन हमने अपने ऐक्ट की धारा २८१ में साफ तौर पर रखा है कि--

"Provided that no woman or minor shall be liable to arrest or detention under this section:

Provided further that no person shall be liable to arrest or detention for an arrear other than in respect of a holding of which he is the *bhumidhar* or *sirdar.*"

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री या अवयस्क की गिरफ्तारी या निरोधन न हो सकेगा :

और यह भी प्रतिबन्ध है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोधन ऐसी बकाया के लिये न हो सकेगा, जो किसी ऐसे खाते के संबंध में हो, जिसका वह भूमिधर या सीरदार न हो।]

यानी जिसके ऊपर अपना ही बकाया है वह उसी के एवज में गिरफ्तारहो सकता है। दूसरा भूमिधर या सीरदार जो उसके साथ शरीक है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जब कि रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत पहले जो डिफाल्टर डिक्लेअर होते थे वे सब गिरफ्तार होते थे। लेकिन हमने रखा है कि नाबालिग भी उसके एवज में गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं, औरतें भी उसके एवज में गिरफ्तार नहीं हो सकती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराता हूं कि हमने यह रखा है कि बकाया रहने पर तहसीलदार या कलेक्टर फौरन ही प्रोसेस इस्तेमाल करें और उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी होगी। बहुत से केसेज ऐसे हो सकते हैं जिनमें गिरफ्तारी का मामला तब भी हो। ऐसी सूरत में तहसीलदार या कलेक्टर उसकी जमीन कुर्क करेंगे। यह लाजिम है कि वह गिरफ्तार कर सकेंगे लेकिन सारे प्रोसेस को इस्तेमाल करने के बाद गिरफ्तारी सबसे बाद में आता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी माननीय गजेन्द्र सिंह ने भवन के सामने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, इस संशोधन को पढ़ने के बाद सब बातें मालूम हो जाती हैं और अभी मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और वे भी इस बात को मानते हैं कि गिरफ्तारी करना बड़े दुख की बात है और वे यह भी मानते हैं कि पहले जब सरकार जमींदार नहीं बनी थी और सरकार के हाथ में मालगुजारी वसूल करने का काम नहीं था तो भी मालगुजारी वसूली के सिलसिले में लोग गिरफ्तार किये जाते थे।

तो मैं आपके जरिये से यह बतलाना चाहता हूं कि यह एक तो नई नई चीज है लोग समझ नहीं पायेंगे और इतना आतंक फैलेगा कि जिसकी कल्पना न हीं की जा सकती है। जो अमीन मुकर्रर किये जायेंगे वह चाहेंगे कि जल्दी से मालगुजारी वसूल हो जाय। हर कर्मचारी अपने काम को किसी न किसी तरह से बनाना चाहता है। वह इस बात को नहीं देखेगा कि किस तरह से वसूल होता है। उसको तो अपना काम बनाने से है। और डिस्क्रीशन (स्वविवेक) कलेक्टर या तहसीलदार को अगर होगा तो वहां पर भी मालगुजारी वसूल होगी जहां पर नहीं होनी चाहिये जैसा कि आजकल हो रहा है जहां पर कहत पड़ रहा है वहां पर भी वसूली हो रही है। मंत्री जी को सहानुभूति जरूर है कि गिरफ्तारी नहीं होगी और आशा आप भी करते हैं लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह गिरफ्तारी का तरीका पहले इस्तेमाल किया जायगा। यह प्रोसेस नम्बर वन (एक) होगा। श्रीमान, आप इसको देख लीजियेगा। अगर मंत्री जी को यह भय है कि यह नहीं रखा जायेगा तो लगान वसूल नहीं होगा तो आप फिर संशोधन ला सकते हैं इसी धारा सभा की बैठक में। दूसरी

[राजा बीरेन्द्र शाह]

दफा इसको संशोधन ला दीजियेगा अभी इसको आर्डर में रख लीजिये और अगर दो तीन साल के अन्दर भय हो कि काश्तकार नहीं मानता तो फिर आप गिरफ्तारी के आर्डर को बदल दीजियेगा। लेकिन उसके पहले बदलना मैं तो यह कहूंगा कि सिर्फ परेशान करना है। हम लोग जो नये नये भूमिधर हुये हैं जो अभी लगान देना भी नहीं जानते उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस संशोधन को जरूर मान लें।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं कि अगरचे अधिनियम में तो इस तरह की कोई पाबन्दी नहीं है कि कौन सा प्रोसेस कब इस्तेमाल किया जायगा। पांचों प्रोसेस इस्तेमाल कर लिये जायं तब गिरफ्तारी का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाय लेकिन मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि यह जो संशोधन है कि ज० वि० अ० की धारा २८१ के अधीन प्रसर (गिरफ्तारी तथा निरोध) तभी जारी किया जा सकेगा जब कि अधिनियम की धारा २७९ के खंड "क, ग, घ, ङ तथा च के निष्टि प्रसर बकाया की वसूली के लिये प्रयोग में लाये जाने के बाद अपर्याप्त सिद्ध हों" तो इसमें केवल "क और ग" रखा जाय और "घ, ङ और च निकाल दिया जाय यानी जब तक साइटेशन (उपस्थिति पत्र) या डिमांड का रिट (मांग पत्र) उसपर तामील न हो जाय और चल सम्पत्ति का नीलाम न हो जाय और तब भी यह जरूरी नहीं होगा कि गिरफ्तारी की जाय। लेकिन इसके पहले नहीं होगी ऐसा करने के लिये मैं तैयार हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हमारा संशोधन जो मैंने पेश किया है नहीं माना जाता है तो इस बात का कलेक्टर या तहलीलदार को अख्तियार होगा कि जैसे ही लगान मिलना उनको बन्द हो जायगा, लगान नहीं मिलेगा फौरन गिरफ्तारी ही शुरू कर दी जायगी। बजाय इसके कि ५ प्रोसेस जो बतलाये गये हैं ऐक्ट में उनको इस्तेमाल करें वह इसी को इस्तेमाल करेंगे इसलिये कि उनको जल्दी वसूल करना है और फिर इस बात की भी होड़ लगेगी जैसा कि दसगुना लगान की वसूली में देखा गया है। सरकार ने कानून बना दिया था कि कोई जबरदस्ती नहीं की जायगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं की जायगी किसी को परेशान नहीं किया जायगा, लेकिन सरकार का तो हुक्म हो गया लेकिन वहां एक होड़ पैदा हुई जिससे मजबूर हो कर दसगुना वसूलने में गिरफ्तारियां की गईं, नोटिस सर्व किये गये, लोगों को हैरेस (परेशान) किया गया और परेशान किया गया। इस किस्म की तमाम बातें पैदा की गयीं। अगर हमारा यह संशोधन नहीं माना जाता है, जिसमें मैंने यह दिया है कि पांचों रीतियां समाप्त होने पर भी अगर वसूलयाबी न हो उसके बाद अन्त में गिरफ्तारी की बात रखी जाय। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि फौरन ही वारंट गिरफ्तारी जारी किया जायगा और किसानों को परेशान किया जायगा।

माननीय मंत्री जी ने हमारे संशोधन के खिलाफ जितनी भी दलीलें दीं सब बेकार साबित हुईं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी किसी को पसन्द नहीं है पर मजबूरन करनी पड़ती है। मैं मानता हूं कि गिरफ्तारी उनको पसन्द नहीं है तो फिर मजबूरन करने की क्या जरूरत है? हमारा विश्वास है कि अगर आप इन पांच रीतियों को काम में लाएंगे तो गिरफ्तारी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कहीं गिरफ्तारी करनी पड़े तो पांचों रीतियां समाप्त हो जाने के बाद।

दूसरे उन्होंने यह कहा कि गिरफ्तारी सब से पहले भी हो सकती है, और सब से बाद भी हो सकती है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस चीज को सब से बाद ही रखा जाय।

उन्होंने कहा कि चल सम्पत्ति के नीलाम में ६ महीने लग जायंगे। जहां तक ६ महीने का ताल्लुक है कोई बात नहीं है। सन् १९३७ के टिनेंसी ऐक्ट में बाकीदार को दो साल का मौका दिया था तब जमींदार नोटिस वग़ैरह तामील करवा सकता था इसके अलावा बहुत थोड़े से काश्तकार ऐसे होंगे जो अपनी चल संपत्ति की कुर्की होने देंगे, जो कि उनकी जीविका का साधन है। शायद ही कोई ऐसा किसान हो जिस की हालत बहुत खराब हो गयी हो या कोई खास बात हो गयी हो तब ऐसा मौका आ सकता है कि उनकी चल संपत्ति नीलाम की जाय।

हमारे मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि दूसरे देशों में और खास कर अमेरिका की उन्होंने मिसाल दी कि वहां पर भी गिरफ्तारी की जाती है। और दूसरे देशों में भी गिरफ्तारी की जाती है। यह कोई दलील नहीं है। जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, अगर आप अमेरिका की गिरफ्तारी की मिसाल देते हैं तो दूसरी मिसालों को भी लीजिये। अमेरिका एम्बेसी से कुछ लोग आये हुये थे। उन्होंने हमसे बताया कि वहां चालीस एकड़ की कम से कम जोत है। और हमारे यहां एक या दो बीघे की कम से कम जोत है।

इस प्रकर माननीय मंत्री जी ने जितनी दलीलें दीं सब लचर मालूम होती हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन जो हमने पेश किया है वह बहुत सुन्दर है। उसको मान लेना चाहिये। इससे किसान परेशान नहीं किया जायगा अगर वह इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो इस चीज से किसान को परेशानी होगी। वह ख्वाहमख्वाह डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार के कोप का भाजन होगा और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जायगा।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान के परेशान होने का या हेरेसमेंट का सवाल है यह गवर्नमेंट कब चाहती है या कोई भी जनप्रिय या प्रजातान्त्रिक सरकार कब यह चाहेगी कि जनता हैरान और परेशान हो आमतौर पर। लेकिन अगर कोई डिफाल्टर है, दे सकता है और नहीं देता है तो हैरान किया जायगा बिना इसके काम नहीं चल सकता। तो जहां तक किसान को हैरान करने की बात है कोई भी अधिकारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वह सरकार की नीति के विरुद्ध चल नहीं सकता। कहीं एक आध से गलती हो जाय, वह होना इंसान से मुमकिन है। लेकिन आमतौर पर जो सरकार की नीति इस सिलसिले में होगी अधिकारी लोग उसी पर चलेंगे।

जहां तक आपके कहने का मतलब यह है कि चल संपत्ति भी नीलाम हो जाय, जब सब छःओं खत्म हो जायंगे उसके बाद यह नौबत आये। उसका मतलब यह है कि छः महीने पीछे, साल भर पीछे हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के ऊपर राय लेंगे?

अध्यक्ष—आपने कोई संशोधन तो नहीं किया। आपने तो अपना सुझाव दिया था कि वह संशोधन जिन्होंने पेश किया है वह स्वीकार कर लें। उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—मैंने वह संशोधन दिया था।

अध्यक्ष--आपने जो संशोधन भेजा है वह इस संशोधन के भीतर नहीं लिया जा सकता। अब यह नहीं लिया जा सकता।

श्री चरण सिंह-- तो मैं जो कुछ अर्ज कर चुका हूं उसके साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम २४७ के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय--

"पर प्रतिबन्ध यह है कि ज० वि० अ० की धारा २८१ के अधीन प्रसर (गिरफ्तारी तथा निरोध) तभी जारी किया जा सकेगा जब कि अधिनियम की धारा २७९ के खंड "क, ग, घ, ङ तथा च के निर्दिष्ट प्रसर बकाया की वसूली के लिये प्रयोग में लाये जाने के बाद अपर्याप्त सिद्ध हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन् आपकी आज्ञा से नियम २४८ निकाल दिया जाय, यह मैं प्रस्ताव करता हूं। मैं नियम पढ़ देना चाहता हूं जिससे लोगों का भ्रम दूर हो जाय कि २४८ क्या चीज है। "ज० वि० आकार-पत्र ७० में गिरफ्तारी के अधिपत्र के लिये ८ आना शुल्क लिया जायेगा।"

श्रीमन्, इसमें जो वारंट ईशू (अधिपत्र निर्गत) होगा उसकी फीस के लिये आठ आना काश्तकार से वसूल किये जायंगे, जिससे वसूली होगी। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो इतना गरीब है कि वह लगान नहीं दे पाया, अब उसी से आठ आना लिया जायगा। अहलमदों को नकल करने के लिये रुपया भी देते हैं, और फीस भी देनी पड़ती है। अब अगर गिरफ्तारी करानी है तो नौकर रखिये या खुद खर्च कीजिये, यह काश्तकार से क्यों वसूल किया जा रहा है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह निकाल दिया जाय और काश्तकारों से आठ आना वसूल न किया जाय।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, कम से कम जब माननीय वीरेन्द्र शाह काश्तकार का नाम लेते हैं और उसके लिये हमदर्दी का चश्मा जब उनके चौड़े सीने से निकलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। "काश्तकार" क्यों कहिये "भूमिधर" या "सीरदार" अब न कोई काश्तकार है न जमींदार। अब तक वारंट की फीस बारह आना थी। हमने जानबूझ कर ८ आना रखी है। तो मुझे नहीं मालूम, पहले जब कौंसिल के ऊपर जमींदार साहबान थे तो उन्होंने १२ आने के ८ आने किये हों, लेकिन आज तो झंडा उठाया है काश्तकारों की हमदर्दी का।

इसलिये मैं यह कहता हूं कि आठ आना कम है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। रहा यह कि माननीय मंत्री महोदय फरमाते हैं कि जमींदारान और ताल्लुकेदारान के वक्त में १२ आने फीस थी, तो मैं आपके द्वारा उनसे बतलाना चाहता हूं कि अगर वे भी हमारी तरह रहे तो जिस राम राज्य की वे स्थापना करना चाहते हैं उसकी स्थापना वे नहीं कर पायेंगे; हम यदि खराब थे तो उसका परिणाम हम भुगत चुके हैं। हम लोगों के वक्त में फीस १२ आने थी वह आपने ८ आने कर दी है लेकिन क्या वह उचित नहीं होगा कि जहां वारंट आफ अरेस्ट पर आठ आने उनसे मांगे जा रहे हैं बिलकुल माफ कर दिये जायं। सचमुच

अगर कोई दे सकता है तो वह गिरफ्तारी पसन्द नहीं करेगा। वह गिरफ्तारी कोई ऐसी नहीं होगी जिससे वह यह समझेगा कि आयन्दा चल कर वह पोलिटिकल सफरर (राजनीतिक पीड़ित) हो जायगा। जब उसके पास कोई सामान नहीं होगा तभी गिरफ्तार होगा। यह संशोधन ऐसा नहीं है जिस पर मैं अधिक समय नष्ट करूं। १२ आने के बजाय आपने ८ आने कर दिये हैं लेकिन अगर आप बिल्कुल माफ कर दें तो और भी उचित होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात सुनने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि १२ आने अगर हम लेते थे तो ग़लती करते थे लेकिन सरकार जो नई जमींदार हुई है और जो चार आने की रिआयत कर रही है वह अगर आठ आने और छोड़ देगी तो उससे खजाना नहीं खाली हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझ से पहली बार एक ग़लती हो गयी थी। मैंने केवल १२ आने कहे। अभी मुझे मैनुअल मिली है और उससे मालूम हुआ है कि धारा ४८ सफ़ा ३८ पर यह लिखा है :---

"The fee levied for a warrant of arrest in form III or orm V shall be Rs. 1-8."

[आकार पत्र ३ या आकार पत्र ५ में गिरफ्तारी के अधिपत्र के लिये आरोपित शुल्क १ रु० ८ आ० होगा।]

डेढ रुपया पहले फ़ीस थी। अब हमने आठ आने फीस रखी है।

अध्यक्ष---जमींदारों की गिरफ्तारी के लिये ?

श्री चरण सिंह---जी हां। पहले जमींदार का मतलब उनसे था जो जमीन के मालिक थे और उनमें बहुत से दो दो रुपये तक मालगुजारी देते थे। १८ लाख ८६ हजार ऐसे जमींदार थे जो ढाई सौ से कम मालगुजारी देते थे और सब के लिये डेढ़ रुपया फीस थी। अब वही लोग जितनी उस वक्त मालगुजारी देते थे उतनी ही बहैसियत भूमिधर देंगे। तो एक प्रकार से उचित यह था कि जो पहले जमींदार थे और भूमिधर हो गये उनकी रखी जाती डेढ रुपया, और जो किसान सीरदार हुये उनकी आठ आने रहती लेकिन हमने उनकी भी फीस आठ आने कर दी, इस पर भी शिकायत है। इन अल्फाज के साथ मैं फिर दुबारा इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम २४८ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं।

नियम २५१ के उपनियम (२) की पहली पंक्ति के शब्द "शीघ्र ही" के स्थान पर शब्द "चौबीस घंटे के भीतर" रख दिये जांय।

श्रीमन्, नियम २५१ में लिखा है कि गिरफ्तारी के बाद बाकीदार शीघ्र ही अधिपत्र जारी करने वाले अधिकारी के सामने लाया जायगा। इस संशोधन के द्वारा मेरा यह निवेदन है कि "शीघ्र ही" के स्थान पर "चौबीस घंटे" कर दिये जांय "शीघ्र" शब्द के अन्तर्गत चार दिन हो सकते हैं, छः दिन हो सकते हैं और इस प्रकार मालूम नहीं अधिकारी लोग कितने दिन उसको लाने में लगा दें। इसलिये

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

में यह समझता हूं कि इसके अन्दर यदि ऐसा कोई प्रतिबन्ध हो जाय कि चौबीस घंटे के अन्दर ही अधिपत्र जारी करने वाले अधिकारी के सामने वह लाया जाय, तो अच्छा होगा।

श्री चरण सिंह---इसमें लिखा है "शीघ्र ही", तो "शीघ्र ही" से मेरे खयाल में वही अर्जेंसी (आपात) टपकती है जो कि चौबीस घंटे से टपकती है, लेकिन यह हो सकता है कि जैसे हमारे मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स (संचार के साधन) हैं, अगस्त का महीना हो, बारिश हो गयी हो और नौतनवा के पड़ोस का कोई भूमिधर हो जिस को गिरफ्तार करके बस्ती लाना हो, बीच में नदियां चढ़ी हुई हों, तो ऐसी हालत में २४ घंटे के अन्दर वह कैसे पेश किया जा सकता है। यदि चौबीस घंटे का ही समय होगा तो जो गिरफ्तार करने जायगा वह और तहसीलदार खिंचे खिंचे फिरेंगे और परेशान होंगे। इसमें जब लिखा है कि विदआउट डिले (विलम्ब के बिना) तो इसका मतलब है कि फौरन जितनी जल्दी मुमकिन हो किया जाय लेकिन इस तरह की पाबन्दी लगाने में बहुत कठिनाई होगी क्योंकि तहसीलों में कई कई नदियां बीच बीच में आ जाती हैं उनका बरसात में पार करना बहुत कठिन होगा। इसलिये मैं समझता हूं यह लफ्ज जो रखा हुआ है वह बिल्कुल ठीक है।

विधान सभा का साप्ताहिक कार्य-क्रम

अध्यक्ष---अब इस पर बहस कल जारी रहेगी। राजस्व मंत्री अब जो कुछ प्रोग्राम बतलाना चाहते थे वह बतलायें।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---इसमें जो कार्यक्रम दिया हुआ है वह इस हफ्ते का है। जब नियमावली पर विचार खत्म हो जाय तो उसके बाद आइटम नं० २१ और २२ ले लिये जायं यानी उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय और फिर वह पारित किया जाय। २१ और २२ के बाद ३ और ४ लिये जायं यानी वित्त मंत्री का उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसिटी बिल ले लिया जाय। उसके बाद आइटम नं० ९ और १० ले लिये जायं। फिर १७, १८ ले लिये जायं। बाकी का क्रम वही रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, हमको यह क्रम समझा दिया जाय।

अध्यक्ष---क्रम इस प्रकार रहेगा कि क्रम संख्या २ यानी नियमावली के बाद क्रम संख्या २१ और २२, ३, ४, ९, १०, १७, १८, ५, ६, ७, ८, ११, १२, १३, १४, १५ तथा १६ और १९ और २०।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मुझे इसमें आपत्ति है। जो कार्यक्रम उपस्थित किया गया है तो उसके बदलने में यह आपत्ति है कि हम संशोधन नहीं दे सकेंगे क्योंकि अभी तक तो हम नियमों में ही लगे रहे और पिछले आइटम्स पर संशोधन नहीं भेज सके। अगर यह पहले ले लिये जायंगे तो नियमानुसार हमारे संशोधन नहीं आसकेंगे।

अध्यक्ष---वह संशोधन आप कल दे दें। दिन भर तो यह नियम चलेंगे ही। आप अपने संशोधन ४ बजे तक दे सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाया कि इस आर्डर को बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी?

अध्यक्ष—यह ठीक है। सरकार को अधिकार है और नेता सदन इस विषय में अपना कार्यक्रम पेश कर सकता है। किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह सरकार से इस विषय में प्रार्थना करे और जो वह बदलना चाहे उनसे बदलवा ले। लेकिन यह सदन इस पर विचार नहीं कर सकता।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२५ अगस्त, १९५२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये २५ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

चार्ट रेमिशन मालगुजारी व लगान बाबत खरीफ, सन् १३५९ फसली (तहसील डुमरिया गंज)

क्रमसंख्या	नाम तप्पा	तादाद कुल गांव	तादाद कुल गांव जिनमें छूट दी गई	तादाद कुल मालगुजारी तप्पा की	छूट जो मालगुजारी में दी गई	कुल तादाद छूट जो लगान में दी गई		कैफियत
						नकदी	अनुमानित	
१	२	३	४	५	६	७		८
१	आदमपुर	५५	३८	३४८०७–१४–६	२४५७–१३–०	१३१७२–१५–०	१०९२७–१२–०	
२	ओहनियां	१५२	१३७	७०९२८–१४–५	१९८४९–०–०	१४८९२–७–०	१२८३७–५–०	
३	छपिया	११३	१०७	५३६४०–१–६	१०९०७–९–०	१८३७१–७–०	१६५२१–६–०	
४	हल्लोर	७३	५९	२६७६५–८–१	४७७०–०–०	१२०७८–३–०	९७६८–९–०	
५	भानपुर	८१	२०	४२८२०–६–९	६७६५–४–०	१३७३९–६–०	११३००–३–०	
६	सेहरी	१४	८	१४२१२–७–०	१४२२–६–०	६५७६–३–०	४७२६–७–०	

अनावृत विधान सभा

७	सगरा	९३	८०	४९२८७–१२–५	१०६१४–१–०	२२६५१–४–०	१६२०५–८–०
८	करही	१५५	१२३	५९७९४–६–७	७५७७–१०–०	१२७७२–२–०	९५२६–४–०
९	बुड्ढी	७९	७४	३१६९०–१०–६	७९३८–७–०	१२५४२–६–०	९३३७–२–०
१०	डीर	४०	४०	१७५८०–१५–०	५६८८–७–०	५४५१–२–०	३५२५–६–०
११	कोट	६९	६१	२९७९४–६–८	५८०५–६–०	१२६८१–७–०	८४२२–०–०
१२	खानकोट	२८	२३	११८१४–११–३	१५७२–९–०	३६७८–५–०	१८२५–६–०
१३	कोप	१२	११	४५६९–११–०	१३७५–१२–०	२२११–१२–०	१६०५–२–०
१४	खुमियांव	२५	२५	१२८३६–१४–०	१७१०–३–०	२१४१५–२–०	१०९२०–८–०
१५	बारिक यार	४८	४०	३२५८८–१२–८	१५२८–४–०	६९४८–१–०	४९३८–७–०
१६	खैरा	१३	१२	३८६२–१४–०	३२७–१४–०	१८४२–१०–०	९३६–३–०
१७	देवाइच पार	१८	१०	६२४६–४–०	५१६–१५–०	१५८२–१०–०	७२२–२–०
१८	देवरुजा	६५	५५	४२०३८–५–९	९१७४–०–०	१६५०५–३–०	१०७३७–८–०
१९	खजहनी	५८	५४	३५२६८–१–४	१०११६–२–०	१८५९७–२–०	१०६३४–९–०
मीजान तहसील डुमरियागंज		११८९	९७७	५८३५३८–४–५	११०११८–१०–०	२१७७०३–११–०	१५५४१७–११–०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चार्ट रेमिशन मालगुजारी व लगान बाबत खरीफ, सन् १३५९ फसली
(तहसील बांसी)

क्रम संख्या	नाम तप्पा	तादाद कुल गांव	तादाद कुल गांव जिनमें छूट दी गई	तादाद कुल मालगुजारी तप्पा की	छूट जो मालगुजारी में दीगई	कुल तादाद छूट जो लगान में दी गई		कैफियत
						नकदी	अनुमानित	
१	२	३	४	५	६	७		८
१	कुवारन	९१	७१	२७६८३–१५–२	४३३२–०–०	१०२८८–७–९	२७०७–६–६	
२	छतिसी	३२	५	६६८८–९–६	४७६–९–०	११४१–५–६	३०१–१०–०	
३	खसेरहा	४०	८	१२६६४–११–०	५६९–१२–०	१२६५४–८–०	३३१२–६–०	
४	हाटा	९७	....	५२१३९–१३–६	३५९–६–०	८४१–२–९	२१४–६–८	
५	भोर	१८	३	५९०२–३–०	४३२–२–०	१००८–११–०	२६३–७–०	
६	गुल्लोर	१०	१	३१८२–८–०	१०–५–०	२९–१–०	१८–३–०	
७	बीसौंगांव	४५	३	१३३९८–१५–२	६९५–१४–०	१६५०–७–६	४३४–६–०	

अनुवाद विधान सभा

८	फखरहय	१०		३,४२२–१५–६	–	–	–
९	पटना	६६	२४	२३,०४७–१४–३	२,१२४–८–०	५,०४४–८–०	१,३२५–७–०
१०	कोंडरी	६८	–	२१,२८५–३–३	–	–	–
११	डबरा	५९	२४	२७,४५२–०–६	३,२२३–४–०	७,६५४–१०–०	२,०१४–४–०
१२	नादेपार	२२	२२	८,५७०–०–८	३,८५०–३–९	९,१४४–३–५	२,४०६–५–०
१३	नक्सौली	२३	–	७,३९६–११–६	–	–	–
१४	नगवा	३९	१७	१३,६९३–११–८	२,३३६–५–०	५,५४८–०–०	१,४५९–५–०
१५	ऊंटापार	२९	२८	१६,५१८–२–०	७,५४५–५–०	१७,९८२–७–१	४,७१५–३–६
१६	बरौली	८३	६९	३२,१३६–२–९	१३,१६३–७–०	२६,२६२–१०–९	८,२२७–१–६
१७	बरकांसमार	१३	१३	५,१०३–४–६	१,९०४–९–०	४,५२२–०–०	१,१०३–७–०
१८	ब्रसनार	१४४	१३४	४७,५४९–१–०	१०,२७४–११–०	२४,४०१–११–०	६,०५१–३–०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम तप्पा	तादाद कुल गांव	तादाद कुल गांव जिनमें छूट दी गई	तादाद कुल मालगुजारी तप्पा की	छूट जो मालगुजारी में दीगई	कुल तादाद छूट जो लगान में दी गई		कैफियत
१	२	३	४	५	६	७ नकदी	अनुमाकित	८
१९	मसिना	६५	६५	३०,१५१–१५–११	७,९१०–८–०	१८,७८६–७–०	४,६९१–४–९	
२०	चंवर	४२	–	१८,९०८–१३–१०	–	–	–	
२१	पचहर	७८	–	२२,१६२–२५०	–	–	–	
२२	सिरवन्त	४७	४४	१८,९२८–१२–०	७,९११–१२–०	१८,७८९–५–०	४,६९२–२–३	
२३	ऐखिन	३१	३०	१६,६९४–१२–३	८,६८९–१३–६	२१,९११–७–६	५,४७२–५–६	
२४	बरहों	४४	३३	२१,४६६–१४–०	८,३०२–५–०	२०,९६७–७–९	५,२६१–४–०	
२५	बंजरहा	५२	२९	२४,२७५–०–७	६,९११–७–०	१६,४१३–१०–०	४,१०१–१–०	
२६	नेतवर	८४	८४	३६,५१६–५–११	१८,३७६–११–६	३२,१४३–५–०	११,५३०–५–०	
२७	भाटिनपार	३२	२५	१५,१९७–१२–५	८,९२८–७–३	१७,४५५–४–०	४,३७४–०–०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२८	घोस	७३	७३	९५,३८५–१५–०	५१,५२४–५–०	९२,३८९–९–६	२७,१३२–५–४
२९	सोंहास	१७	५	७,३५९–८–६	१,१०८–२–०	२,६३३–५–९	६५६–५–०
३०	सहिला	३८	१७	१०,६७७–१३–४	१,३९९–१–०	३,३२२–५–०	८३०–९–३
३१	बरगदवा	१५	१४	४,५६८–९–६	२,८५९–६–०	६,५६५–३–९	१४,१६–४–९
मीजान तहसील बांसी		१५०७	८४१	६,५०,१३०–६–७	१,७५,२१८–१४–०	३,७८,५६१–४–०	१,०४,७१२–२–०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये २५ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

बस्ती जिले में टेस्ट वर्क्स की संख्या व्यय आदि का विवरण

क्रम सं०	तप्पा	टेस्ट वर्कस का नाम	कुल व्यय	तारीखें जबकि काम किया गया	मजदूरों की कुल संख्या जिन्हें काम पर लगाया गया
१	२	३	४	५	६
१	कोट और बुटी	इटावा विशकोहर सड़क	२१,९९२–१०–०	६–४–५२ से २–५–५२ तक	४१,१६९
२	बुटी	कुंडौरा तिलोकपुर सड़क	२७,१२९–१०–६	१६–३–५२ से ७–६–५२ तक	५०,५०३
३	धोग्रनिया	डुमरियागंज मल्हवार सिंगर जोत सड़क	१८,६३४–१४–०	९–६–५२ से २८–६–५२ तक	२६,०७१
४	बुटी नेतवार	सोहांस लोटन नेपाल की सीमा तक की सड़क	५६,७९३–३–६	२९–३–५२ से ६–५–५२ तक	१,०४,६५१
५	नेतवार	लोटन जिला सरहदी सड़क	२,६८९–७–६	५–५–५२ से ८–५–५२ तक	९,९८७
६	सोहांस	उस्का सोहना सड़क	१०,१७३–३–६	६–५–५२ से १४–५–५२ तक	१८,५२१
७	कोट	पवरी सुनाई सड़क	१५,५५८–०–६	१५–३–५२ से २७–५–५२ तक	२६,९४७
८	कोट	खटवा खांडसारी सड़क	३२,६५५–२–०	११–४–५२ से ६–६–५२ तक	५४,९९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९	रुवौली भानपुर	रुवौली भानपुर सड़क	५०,४६९–९–६	१४–४–५२ से	५–५–५२ तक	८६,०४६
१०	पटना	बन्कटा परम सिंघवा सड़क	१९,०३१–१४–१	१९–४–५२ से	२२–५–५२ तक	३५,४८९
११	कुंडरा	बन्कटा बन्सी सड़क	२,६८७–९–०	२३–५–५२ से	२–६–५२ तक	३,३७३
१२	बसहर	सन्धा मिहदावल सड़क	८,५९०–१३–२	१६–६–५२ से	२७–६–५२ तक	९,३०५
१३	खानकोट टेबल्या	टेबल्या भोलापुरसड़क	१,१२४–९–०	२५–६–५२ से	२८–३–५२ तक	१,६२३

तालाब

१४	बुटी	कथबटिया	८१३–११–०	५–६–५२ से	६–६–५२ तक	१,५२७
१५	"	कोहरवारा	८४७–११–०	६–६–५२ से	११–६–५२ तक	१,५९५
१६	"	तिलोकपुर तालाब नं० १	१,२८३–६–०	१५–५–५२ से	५–६–५२ तक	३,७९७
१७	"	तिलोकपुर तालाब नं० २	३,६३५–१२–०	२१–५–५२ से	६–६–५२ तक	५,११३ १/२
१८	भानपुर	बमनी	१,३८५–५–०	४–६–५२ से	७–६–५२ तक	२,५७१
१९	घटी	कमसर	१,७१२–१५–०	२७–५–५२ से	१२–६–५२ तक	३,२१५ १/२
२०	बुटी	कथवटिया शुद्ध	५७०–७–०	६–६–५२ से	६–६–५२ तक	१,०८५ १/२
२१	हीर	गंवरिया	२,०५६–६–०	६–६–५२ से	१८–६–५२ तक	३,६७१
२२	कराही	मनवापुर तालाब नं० १	१,७१६–५–०	१३–६–५२ से	२०–६–५२ तक	३,१९९ १/२
२३	कराही	" " २	७९८–१०–०	१६–६–५२ से	२१–६–५२ तक	१,४१३
२४	सगरा	चौखड़ा	१,८१३–७–०	१३–६–५२ से	२०–६–५२ तक	३,१९९. १/२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	तप्पा	टेस्ट वर्कस का नाम	कुल व्यय	तरीखें जबकि काम किया गया	मजदूरों की कुल संख्या जिन्हें काम पर लगाया गया
१	२	३	४	५	६
२५ रुदौली	रुदौली	२,०२५–५–०	१४–५–५२ से	१३–६–५२ तक	३,६३१
२६ ,,	गंवरिया	१,५७८–३–०	१२–६–५२ से	२०–६–५२ तक	२८,५४१
२७ ,,	दोमहुवा	१,२१४–२–६	२२–५–५२ से	५–६–५२ तक	२,१२९ १/२
२८ खेतराहा	खेतराहा	१,२३७–९–२	२६–५–५२ से	२०–६–५२ तक	४,९०१ १/२
२९ छपिया	गंगधार	५०४–२–०	१६–६–५२ से	२१–६–५२ तक	८९३
३० धोवनिया	जितही	१६–०–०	१६–६–५२ से	२०–६–५२ तक	२९ १/२
३१ सगरा	भरी	४,६७२–१–०	१–३–५२ से	२८–३–५२ तक	९,३१५
		जिला बोर्ड			
३२ घटहोन	शोहरतगढ़ परसा सड़क	५,५९८–११–०	३१–३–५२ से	२२–५–५२ तक	९,२०६
३३ ,,	,, अस्पताल	९३४––८–०	२०–४–५२ से	२३–४–५२ तक	१,५४०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३४	सोहांस	सोहांस लोटन सड़क	६,१८३ –८–०	२१–३–५२ से	२७–३–५२ तक	८,४४६
३५	,,	,, मोहना सड़क	१०,९८१–११–३	२३–२–५२ से	२७–३–५२ तक	१७,१५९
३६	हलौर	डुमरियागंज चन्द्रदीपघाट सड़क	११,८५२–१०–०	१–३–५२ से	८–५–५२ तक	१४,४३९
३७	मानपुर	वैरा पुखरा	६,९७५ –१–०	१९–५–५२ से	२०–६–५२ तक	१२,५९३
३८	,,	सामपुर पुखरा	२,२८२–१२–०	१९–५–५२ से	२०–६–५२ तक	५,१५९
३९	हलौर	डुमरियागंज ड्रेन	९९४ –५–०	१९–५–५२ से	२०–६–५२ तक	१,७३७ १/२
४०	छपिया	मेहो हरदो तालाब छोटा और बड़ा	३,५७६ –१–३	३०–३–५२ से	१०–४–५२ तक	६,६२९
४१	कंडरा मसीना	बांसी डुमरियागंज सड़क और हलौर	५४,४८४–१२–०	३१–१२–५१ से	२२–५–५२ तक	१,०८,०३५
४२	असनार्थ	प्रतापपुर में तालाब की खुदाई	४,२४२–१३–०	२२–५–५२ से	३१–५–५२ तक	७,७२८
४३	,,	बिदौली में तालाब की खुदाई	३,७८३–१–६	२७–५–५२ से	१४–६–५२ तक	७,३०३
४४	,,	गौरी गौरा तालाब की खुदाई	६७४–१४–०	२३–५–५२ से	२४–६–५२ तक	१,२२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	टप्पा	टेस्ट वर्क्स का नाम	कुल व्यय	तारीखें जबकि काम किया गया	मजदूरों की कुल संख्या जिन्हें काम पर लगाया
१	२	३	४	५	६
		नियोजन विभाग			
		तालाबों का पुनरुद्धार			
४५	कराही	शाहपुर	६,६७४–१०–६	६–४–५२ से ३०–६–५२ तक	१०,२१५ १/२
४६	छपिया	मेही हरदो	२,३९९–१२–६	१४–४–५२ से ३०–६–५२ तक	४,३२३ १/२
४७	आदमपुर	नरहरिया	४,१८९–१४–०	१५–४–५२ से ,,	७,९३८ १/२
४८	मानपुर	मानपुर	२,३३४–१५–०	१४–४–५२ से ,,	६,३२१
४९	कराही	कटेश्वरनाथ	६,०३०–१५–०	१४–४–५२ से ,,	११,०४५ १/२
५०	खानकोट	सेमरी	८६७–१०–६	१५–४–५२ से ,,	१,२५४ १/२
५१	सगरा	सगरा	४,५५०–०–०	१४–४–५२ से ,,	९,५०७
५२	,,	भरी	५,५२२–६–०	१४–४–५२ से ,,	९,३७५ १/२
५३	बुटी	गोविन्दपुर	३,२७७–२–०	५–५–५२ से ,,	५,१८८
५४	हीर	कपिया मकटी	२,६३४–४–०	२२–५–५२ से ,,	३,८७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५५	सारा	पंडिया	२,७९४– २–०	३–६–५२ से	,,	५,१७१
५६	,,	थनुहवा	४,०९९–१०–६	१४–४–५२ से	,,	७,२०८ १/२
५७	कराही	बड़ा लटेरा	३,७२७–१०–३	२५–५–५२ से	,,	६,८२६
५८	दखिन हवेली	भदौली	६,३९३––४–०	२७–५–५२ से	,,	१०,४२७
५९	रुदौली	कर्महिया	२,८९६–११–३	१२–४–५२ से	,,	५,६९९
६०	,,	दयानगर	३,२९९–१४–६	१२–५–५२ से	,,	६,११० १/२
६१	उगरा	बिशुनपुर	१,५००––०–०	२७–५–५२ से	,,	२,०४६
६२	कुंडरी	जीवा	७,२६३––२–०	१३–४–५२ से	,,	१३,८६०
६३	,,	शीतलगंज	३,७००––०–०	१६–४–५२ से	,,	६,५२५ १/२
६४	,,	दानोकुयां	७,०००––०–०	६–५–५२ से	,,	१३,९१२
६५	बरहीन	नौगढ़	१,५७०––०–०	१६–४–५२ से	,,	२,७०३
६६	ऐसिन	तेंदुरी जिल्लिया	४९७––०–०	२१–४–५२ से	,,	९५७
६७	पजहड़	सलुई	३,१०८––८–६	११–५–५२ से	,,	६,३५६ १/२
६८	महनार	गौरी गौरा	५,७१४––०–०	२५–५–५२ से	,,	१०,३९०
६९	मसीना	बूढ़ापार	९५१––५–०	१६–६–५२ से	,,	१,७७६
....		योग ...	५,०१,५२०––९–६			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये २५ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

देवरिया जिले में खोले गये टेस्ट वर्क्स तथा उन पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या की सूची

नाम स्थान जहां टेस्ट वर्क्स खोले गये	मजदूरों की संख्या			
	पुरुष	स्त्री	लड़के	जोड़
तहसील देवरिया				
कंवनपुर बघौज घाट रोड	२,७६६	२०६	९७४	३,९४६
रुद्रपुर बांध	७९९ १/२	३५७	३५३	१,५०९ १/२
तहसील सलेमपुर				
सम सलेमपुर मझौली रोड	१,०५९	१५५	७३८	१,९५२
चुरिया बांध	२,१६६	७००	१,०५२	३,९१८
तहसील पडरौना				
पडरौना जटहा बाजार रोड	१,१९५ १/२	१३० १/२	५३५	१,८६१
तमकुही सिसवा रोड	७,०४४	१,२२३	३,०७०	१२ ११३३७ १/२
बभनौली कसया रोड बभनौली तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पिपरा घाट रोड	८१३	९०	१८१	१,०८४
पटहेरवा रोड पटहेरवा पडरौना रोड	अधिक वर्षा के कारण कार्य आरम्भ न हीं हो सका।			
तहसील हाटा				
खडा नौरंगिरा रोड	२८८ १/२	३४६	५१० १/२	१,६८५
हाटा कैप्टनगंज रोड	१,६३६ १/२	१९४	७१० १/२	२,५४१
कसया रामकेला रोड	५१६	१६ १/२	२३० १/२	७६३
		योग	....	३०,५९६

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७६ एल० ए०—१९५२—८५०